महानगर नई दिल्ली बुधवार 25 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर मुहर

जनरल बिपिन रावत बनाए जा सकते हैं पहले सीडीएस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के सृजन को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सीडीएस सरकार के लिए एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। 1999 में गठित कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में सीडीएस होगा। सरकार अगले कुछ दिनों में पहले सीडीएस की नियुक्ति कर सकती है और सेना प्रमुख विपिन रावत का नाम इस पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है, जो 31 दिसंबर को बाकी पेज 8 पर

अगले कुछ दिनों में पहले सीडीएस की नियुक्ति हो सकती है और सेना प्रमुख विपिन रावत का नाम इस पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है, जो 31 दिसंबर को सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सीडीएस अन्य सेना प्रमुखों के समान ही होंगे। हालांकि, प्रोटोकाल की सूची में सेना प्रमुखों से वरिष्ठ होंगे।

जनगणना 2021 और एनपीआर को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारत की जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के उन्नयन (अपडेट) को मंजूरी प्रदान दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत में जनगणना 2021 की कवायद के लिए 8,754.23 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई। एनपीआर के उन्नयन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

जनगणना के लिए पौने नौ हजार करोड़ और एनपीआर के लिए चार हजार करोड़ रुपए मंजूर

एनपीआर अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। यह जनगणना कार्य के साथ होगा। असम को इससे अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पहले ही राष्ट्रीय नागरिक पंजी का कार्य हो गया है। जनगणना 2021 दो चरणों में होगी। इसमें पहले चरण में घर की सूची या घर संबंधी गणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2020 तक होगी। इसका दूसरा चरण नौ फरवरी से 28 फरवरी 2021 में होगा। इसकी संबद्धता तिथि एक मार्च 2021 होगी। बर्फबारी वाले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संबद्धता तिथि एक अक्तूबर 2020 होगी।

सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जनगणना के लिए कोई लंबा फार्म नहीं भरना होगा। बाकी पेज 8 पर

मुख्य बातें

- *एनपीआर* अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच
- *जनगणना* का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2020 तक, दूसरा चरण नौ फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक
- *जनगणना* के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया
- *एनपीआर* में किसी सबूत, दस्तावेज और बायोमीट्रिक की जरूरत नहीं : जावड़ेकर
- *एनपीआर* योजना से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मारुति के पूर्व प्रबंध निदेशक खट्टर के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने मारुति उद्योग के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि खट्टर की नई कंपनी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी की है।

सीबीआइ ने हाल में दर्ज प्राथमिकी में खट्टर और उनकी कंपनी कारनेशन ऑटो इंडिया लि. के खिलाफ पंजाब बाकी पेज 8 पर

प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल का रास्ता रोक कर लौटाया

कोलकाता, 24 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को यादवपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद राज्यपाल ने इस घटना के बारे में कहा कि 'कानून का शासन पूरी तरह खत्म हो गया है।' राज्यपाल विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेने गए थे।

ममता बनर्जी सरकार के साथ चल रही रस्साकशी के बीच धनखड़ विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां बाकी पेज 8 पर

दिवाला कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला व ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) में एक और संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे इस कानून को लेकर कुछ चीजों को बेहतर तरीके से स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। इससे पहले आइबीसी में तीन बार संशोधन किया जा चुका है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवाला व ऋणशोधन बाकी पेज 8 पर

एनपीआर और एनआरसी में मूलभूत अंतर : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सफाई दी कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जनसंख्या का रजिस्टर है। इसके आधार पर अलग-अलग योजनाओं के आकार बनते हैं। बाकी पेज 8 पर

भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर सुस्ती के दौर में : आइएमएफ

वाशिंगटन, 24 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर सुस्ती के दौर में है और सरकार को इसे उबारने के लिए तत्काल नीतिगत उपाय करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) ने यह बात कही है।

सोमवार को जारी रिपोर्ट में आइएमएफ के निदेशकों ने लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में जो जोरदार विस्तार हुआ है, उससे लाखों लोगों को गरीबी से निकालने में मदद मिली। हालांकि, 2019 की पहली छमाही में विभिन्न कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सुस्त पड़ी है।

आइएमएफ एशिया और प्रशांत विभाग में भारत के लिए मिशन प्रमुख रानिल सलगादो ने कहा कि भारत बाकी पेज 8 पर

कश्मीर से अर्द्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियां हटाने का फैसला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर से अर्द्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियों (7200 जवान) को हटाने का फैसला किया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हालात को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी। कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ियां कम करने का फैसला किया।

पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद संभावित विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए घाटी में केंद्र सरकार ने कई पाबंदिया लगा दी थी, जिन्हें धीरे-धीरे बहाल किया बाकी पेज 8 पर

अंदर के पन्नों पर

सीएए के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उठे विवाद में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। - खबर पेज 5 पर

हेमंत सोरेन 29 को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मंगलवार की रात आठ बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया। -खबर पेज 8 पर

दिल्ली : दूरसंचार सेवाएं बंद करने के खिलाफ याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वह याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए दूरसंचार सेवाओं को बंद कर दिया गया। -खबर पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

No-14823667L I,Ranjeet Kumar Sharma S/o-Bishuni Sharma R/o-P-10/10,Basantra Line,Sadar Bazar,Delhi Cant.-110010,inform that,my wife's name & date-of-birth wrongly written in my,services book-17.06.1978 Sangita Sharma instead of-05.02.1980 Sangeeta Sharma for,all future purposes. 0040525365-3

No-14823667L I,Ranjeet Kumar Sharma S/o-Bishuni Sharma R/o-P-10/10,Basantra Line,Sadar Bazar,Delhi Cant.-110010,inform that,my son's name wrongly-written,in my services book Abhinashi Kumar Sharma instead of Avinash Kumar Sharma for all,future purposes. 0040525365-4

I,Mushtaque Ahmad S/o Late Zahoor Ahmad R/o-H.No.B-3,Gali.No.2,Batla House,Jamia Nagar,Delhi-110025,inform that name of mine has been wrongly written as Mushataque Ahmad in my 10th-class marksheet and certificate,and name of mine has been wrongly written as Mushtaq Ahmad in my 12Th class marksheet and certificate,and Mushtaque Ahmed in my graduation marksheet. The actual name of my mine is Mushtaque Ahmad. 0040525372-2

I,Antrika Sawhney W/o Rabdeep Singh R/o.Block-H-6,Sector-39, Noida,Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-201301,have changed my name to Antrika Kaur for all future purposes. 0040525365-2

I, Usha Rani W/o Baljit Gill R/o 1/281, Gali No.1, Shri Ram-Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Jagjeet Kaur. 0040525371-2

I, Smt. Priyanka Charasia W/O Sanjeev Kumar H.No-16/430 Old.No-353, 3rd-Floor Joshi-Road Karolbagh, N.Delhi-110005. Changed My Name To Priyanka. 0040525371-10

I, Shalini Verma W/o Mohit Bhatnagar R/o C1866, first Floor, Sushant Lok, Gurgaon, have changed my name to Shalini Singh for all purposes. 0040525364-1

I, Sazia D/o Mohd. Afzal R/o House No.1252, Block-D, J.J. Colony, Bawana, Delhi-110039, have changed my name after marriage to Sazia Islam W/o Kamrul Islam for all purposes. 0040525323-1

I, Sarah Siddiqui D/o Dr.Tariq Omar Siddiqui W/o-Mohammed Yasir Hashmi R/o-H.No.302, First-Floor, Front-Side, IP.Colony, Sector-30/33, Faridabad, Haryana-121003, have changed my name to Sarah Hashmi,for all future purposes. 0040525371-7

I, Ritika Sharma alias Ritika R/o Flat No.901, Tower-15, Paras Tierea, Sector-137, Noida, UP, have changed my name to Ritika Dutta for all purposes. 0040525286-1

I, Rajwant Kaur W/o Gurpal Singh R/o-A5A-4D Janakpuri New Delhi-110058, have changed my name to Simran Kaur. 0040525399-1

I, Raj D/o Nem Singh, FF, Plot No.-21, Sai Enclave, Sector-23, Dwarka, Delhi-110077, have changed my name to RAJ BHARDWAJ. 0040525294-1

I, Parmod Sidana S/o Omprakash R/o-H.No.866, Sector-5, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name to Pramod Kumar. 0040525371-6

I, Pappu Kumar, S/o Sh. Dharam Singh R/o H. No. A-140, Om Enclave, Part-2, Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana), has changed my name to Pritam Singh. In future, I may be known, referred and addressed as Pritam Singh for all purposes. 0040525292-1

I, Pankaj Kumar Ray S/o Sh. Ram Babu Ray R/o RZI-116/1, 2nd Floor, Mahavir Enclave, New Delhi-110045, have changed my name to Pankaj Kumar Roy for all future purposes. 0040525296-1

I, PARVEJ ALAM S/o Rashid Ahmad R/o H.No. C-87, Gali No.9, C-Block, Ghonda Extn. Delhi-110053, have changed my name to PARVEZ for all purposes. 0040525283-1

I, Nitin Kumar S/o Naresh Kumar R/o-254-255, 1st-Floor, Pocket-18, Secter-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Nitin Kumar Jain 0040525312-4

I, Nipun S/o Shri Arun Kumar Sharma R/o- H.No.5/7, Near Vijay Chowk, Krishna Nagar Delhi-110051. I have changed my name from Nipun to Nipun Sharma for all purposes. 0040525356-1

I Babita W/O Shiv Kumar Resident- 5/109-A, First Floor, Nirankari Colony Delhi-110009 have changed my name to Gurdeep Kaur. 0040525351-1

I Amarpal Verma S/o Chandrapal Singh R/o House No-81, Vill-Mirjapur Sadat, Post-Lakshar, Tehsil-Laksar, Haridwar, Uttrakhand-247663, have changed my name to Amar Verma. 0070689723-1

व्यक्तिगत

I, Nikita D/o Sh. Harish Kumar R/o D-2/4, Budh Vihar, Phase-1, Delhi-86, have changed my name Nikita to Nikita Gambhir for all future purposes. 0040525290-1

I, Neetu Bakshi, D/o Ashok Bakshi,R/o B-583, Sudershan Park,New Delhi110015, have changed my name to Saumya Uttam for all purposes. 0040525309-1

I, Neeta Sharma W/o Bijay Anand Sharma R/o-QR.No.203, Type-4, Block-B, Sector-2, R.K.Puram, N.Delhi-110022, have changed my name to Nita Sharma permanently. 0040525371-4

I, Neelam W/o-Ananta Budathoki R/o-27/25 First-Floor Block-A,Khanpur Extension New Delhi-110062,have changed my name,from Neelam to Neelam Budathoki for all purposes. 0040525312-1

I, Navin Kumar S/o Ram Chandra Choudhary R/o-H.No.139 3rd-Floor, Pocket-B-6 Sector-3, Rohini Delhi-110085 have changed my name to Naveen Kumar 0040525331-4

I, Naval Kishore Gogaria S/o Pran Nath Gogaria R/o-1883 Gali-Ahiran Malka Ganj Delhi-110007, have Changed my name to Nawal Kishore 0040525285-1

I, Narinder S/o Vinod Kumar R/o-4048/1,Bagichi Ram Chander,Pahar Ganj,New Delhi-110055,have changed my name to Narinder Kumar. 0040525365-1

I, Ritu Rani W/o Nitin Kumar Jain R/o-254-255, 1st-Floor, PKT-18, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Ritu Jain 0040525312-3

I, Narendra Kumar Tomar S/o Daya Karan R/o 139-140, 3rd Floor, Pocket-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to NARENDRA TOMAR. 0040525284-1

I, Nafisa Irfan W/o Irfan Elahi R/o 570, Churi Walan, Jama Masjid, Delhi-110006 have changed my name to Nafeesa Irfan. 0040525291-1

I, Momeena W/o Mohd Dilshad R/o-Flat.No-203, 2nd-Floor, 128-129, Gali.No-15, Zakir-Nagar, Jamia-Nagar, Okhla, N.Delhi-110025, have changed my name from Momeena Saifi,to Momeena 0040525360-1

I, Mohit Chaturvedi S/o Naveen Kumar Chaturvedi R/o 105, Tower No-B-5, SRS Royal Hills, SRS City, Sector-87, Faridabad, Haryana-121002, have changed my minor son's name from Rishaan Chaturvedi aged 2 years to Shubharth Chaturvedi forever. 0070689722-1

I, Mayank S/o-Devender Kumar Gosain H.No-2 FF Gali No-3 Ram Chander-Enclave Mohan-Garden Uttam-Nagar New-Delhi-110059. have changed my name to Mayank Gosain. 0040525399-7

I, Manpreet Kour W/o Sukhvinder Singh R/o S-221/59, Gali No.-1, Vishnu Garden, Delhi-110018, have changed my name to MANPREET KAUR. 0040525293-1

I, Manisha Khanchandani W/o-Deepak Kumar Chandnani R/o 5-D, Surya Apartments, Plot No.21, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Vanshika Chandnani for all purposes. 0040525329-1

I, Mamta Nautiyal W/O Rishi Kumar R/O-917 Sector-6 R.K.Puram New Delhi-110022 Changed My Name To Mamita Nautiyal. For All Purposes. 0040525351-5

I, MUSTAKEEM S/o Abdul wahid R/o-G-4/9,F/F, Sunder-Nagri,Delhi-93. Inform that name of my and father has been wrongly-mentioned as Qureshi mustakim and Abdul Wahid Qureshi in my passport documents. The correct-name my is Mustakeem and father name is Abdul Wahid for all future purposes. 0040525399-2

I, Kumar Ajit Singh Deo S/o-Kumar Sajneshwar Singh Deo R/o-Village Morna,Sector-35, Noida, U.P.- 201301,have changed my name to Ajit Singh Bainsla 0040525312-2

I, Jyoti Bala W/o Mohit Madan R/o 53-54, 1st-Floor, PKT-8, Secter-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Jyoti Madan. 0040525312-5

I, Imbisat Afeefa W/o Nadeem Rahman R/o 76-G, Pocket-2, Jasola New Delhi-110025, have changed my name to Imbisat Afeefa Faruqui for all purposes. 0040525288-1

I, Hemlata Verma W/o Narendra Tomar R/o 139-140, 3rd Floor, Pocket-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to HEMLATA. 0040525284-2

I,Rajesh Kumar S/O Radhey Shyam Bansal R/O-House.No-A-80/15,Street.No-6,Near Himachal Bekary,East Nathu Colony,Shahdara,Delhi-110093,Have Changed To Rajesh Kumar Bansal For All Future Purposes 0040525365-11

I,Vijender Singh S/o-Attar Singh R/o-401,Gahlan Residency-2,Chandra Park,Dwarka Mor,New Delhi-110078 have changed,my name,from Vijender Singh to Vijender Singh Kadian vide,affidavit dated-10/12/2019 at,New Delhi. 0040525365-13

I, Harleen Sehgal D/o Atul Sarangal R/o House No.A40/2, DDA Flats, 2nd Floor, Naraina Vihar, New Delhi-110028 have changed my name to Harleen Sarangal for all future purposes. 0040525319-1

I, Harash / Harash Chadha S/o Om Parkash Chadha R/o M-22, Gujrat Sargodha CGHS Ltd. Plot -38 , Sector-13 Rohini Delhi-110085 Have Changed My Name to Harash Kumar Chadha. 0070689734-1

I, Gyan Prakash Singh R/o 193 Shivpuri Road, Vill- Rajapur P/o Shinghamau Lucknow-227205 have changed my minor daughter's name from Shubhi Prakash to Shubhi Prakash Singh for all purposes. 0040525231-13

I, Gurdip Singh S/o Narain Singh R/o E-30, B K Dutt Colony, Lodhi Road, New Delhi-110003, have changed my name to Gurdeep Singh. 0040525295-1

I, Devender Bajaj H.No-31/2 B, Gali.No-4, East AzadNagar, Krishna-Nagar, Delhi-110051, have changed my minor son's name Hunny Bajaj to Honey Bajaj Permanently. 0040525371-5

I, Deepanshu Bajaj S/o Narender Bajaj R/o H.No. 286, Pkt E-19, Sector-3, Rohini, Delhi-85, state that in my 10th marksheet my Father's name is wrongly mentioned as Narinder Bajaj whereas his correct name is Narender Bajaj. 0040525289-1

I, Deepak Kumar S/o Sh. Prem Chand R/o 5-D, Surya Apartments, Plot No.21, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Deepak Kumar Chandnani for all purposes. 0040525324-1

I, Bhanwar Nemiwal alias Bhanwar Lal Kumawat alias Bhanwar Lal Nemiwal alias S/o Ganga Ram R/o-K-29A, Right-Side 2nd-Floor, Khirki-Extension, Malviya-Nagar, New Delhi-110017. Have changed my name to Bhanwar Lal Kumawat for all future purposes. 0040525371-9

I, Bhanwar Lal Kumawat@Bhanwar Lal Nemiwal@Bhanwar Nemiwal S/o-Ganga Ram R/o-K-29A, Right-Side 2nd-Floor, Khirki-Extension, Malviya-Nagar, New-Delhi-110017, informs that Bhanwar Lal Kumawat and Bhanwar Lal Nemiwal and Bhanwar Nemiwal names are one and same person i.e.me. 0040525371-8

I, Baljeet Singh S/o Sohan Gill R/o-1/281, Gali.No.1, Shri Ram-Nagar, Shahdara, Delhi-110032.have changed my name to Baljit Gill. 0040525371-3

I, Anuradha W/o Vinay Goyal R/o 366, FF, Pocket- 5, Sector- 22, Begumpet North West, Delhi-110086, have changed my name to Priya for all purposes. 0040525327-1

I, Alka Gupta W/o Parveen Aggarwal R/o F-469, Karampura Delhi-15, have changed my name to Alka Aggarwal. 0040525371-1

I Veena Nagar W/o Vijay Nagar R/o -C/2/2 Sec-15 Rohihi Delhi-110085, changed My Name To Sunita Nagar. 0040525351-6

I Surender Singh S/o Girdhari Lal R/o New Patel Park line-par Bahadurgarh Distt.Jhajjar Haryana. changed my name to Sunder Singh. 0040525351-9

I Santosh Kumar Dwivedi S/o Lalmani Dwivedi R/o 253, Sansarpur, Sirmour Rawa, MP-486441, have changed my name to Shantanu Kumar Dwivedi. 0070689717-1

I Saddam Husaan S/o Munsiraja R/o- 1704, Rajeev Nagar, DLF, Faridabad. have changed my name to Saddam Hussain. 0040525351-3

I Radha Jha W/o Satya Narayan Thakur R/o River Side Budh Bazar, Chief House, Dundua, Ramgarh, Jharkhand-829135, have changed my name to Bimla Thakur. 0070689721-1

I Pushpanjali Singh R/O A 1405, Prateek Wisteria, Sector - 77, Noida, Pin - 201301 Have Changed My Name To Pushpa Singh As PerDocument. 0070689714-1

I Puneet Kaur D/o InderMohan Singh Kalra R/o T-116 Vishnu Garden New Delhi-18 have changed my name to Puneet Kaur Kalra. 0070689730-1

I Mohd Dilshad S/o arib Mohd R/o-H.No.886-B, Ward No.8, ehrauli, Gadaipur, N.Delhi-110030,have changed my name Mohd Dilshad Saifi to Mohd Dilshad,for all Purpose 0040525360-3

I Manoj Chaudhary S/o Mahipal Singh Chaprana, 115-MCF, Mewla-Maharajpur, Faridabad. have changed my name to Manoj Chaudhari. 0040525351-4

I ,Shakeel Ahmad S/o Mujib Ahmed R/o-H.No.B-44 StreetNo-18, Man-Singh, Nagar, Old-Mustafabad Delhi-110094. My Name has been wrongly written as Shakil in my Passport bearing No-G5330591, the Actual Name of mine is Shakeel Ahmad, 0040525285-3

I, Rajeev Kumar Sinha, residing at 3203, ATS-II, Sector-50, Noida, G.B Nagar, U.P., have changed my name from Rajeev Sinha to Rajeev Kumar Sinha, for all future purposes. 0040525335-1

व्यक्तिगत

मैं, अनिल वार्ष्णेय पुत्र श्री स्व. सुभाष चंद पता बी–148, प्रथम तल, गली नं. 1 वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली–110062 में रहता हूँ। मेरा हाईस्कूल सर्टिफिकेट में अनिल कुमार नाम है। मैं यह सूचित करना चाहता हूँ अनिल कुमार एवं अनलि वार्ष्णेय दोनों एक ही व्यक्ति है।

I Mohd Dilshad S/o Garib Mohd R/o-H.No.886-B, Ward.No.8, Mehrauli, Gadaipur, N.Delhi-110030, changed my minor daughter name Zohra Yasmeen Saifi to Zohra,for all purpose 0040525360-2

I Krishna Kumari W/o Ranbir SIngh H.No.101-A, Gali No.6, Raja-Nahar Singh Colony, Ballabgarh. have changed my name to Krishna Devi. 0040525351-2

I Komal Rajendra Chawla D/o Rajender Chawla R/o Q-7/19 Mangol Puri Delhi-110083, Changed My Name To Komal Chawla. 0040525351-7

I Kishan Murli Prasad Sing R/O A 1405, Prateek Wisteria, Sector - 77, Noida, Pin -201301 Have Changed My Name To Krishna Murari Prasad Singh As Per Document. 0070689715-1

I Kapil Sharma S/o Ramesh Chand Sharma R/o-526 Mantola Paharganj New Delhi-110055,I Want to Change my name Kapil to Kapil Sharma DOB-24-05-1993, for all purpose. 0040525285-2

I Huma Abid W/o Mohd Arif R/o-G-43/B Abul-Fazal Enclave Part-I Jamia Nagar Okhla New Delhi-110025. have changed my name to Huma Arif after my marriage. 0040525351-8

I Hitherto known as Vimla W/o Raju R/o 12-A Street No.2, Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as Sukh Biri Devi 0040525331-5

I Hitherto known as Raju S/o Inder Raj R/o-12-A Street No.2, Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as Raj Kumar 0040525331-6

I Bachan Singh S/o Baz Singh R/o Sabuana, Langiana, Ferozepur, Punjab-152002, have changed my name to Gurbhawan Singh. 0070689718-1

I Ajay Kumar s/o Kashmir Singh R/o 91, Gali Number 11, Hans Nagar Colony, Pandwala Kalan Najafgarh, New Delhi 110043, have changed my name to Ajay Kumar Rana. 0070689720-1

I, Amrinder Sidhu S/o Raman Singh Sidhu Passport no (J 8137646) R/o-H.No.606 B, Aralias-Appts.,DLF-Golf-Links, DLF-Phase-V, Gurgaon,Haryana inform you that my father's name mentioned in my passport and other relevant documents as Kanwaljit Singh is not valid. The correct name of my father is Mr. Raman Singh Sidhu and should be henceforth,reflected as so. 0040525218-1

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main /Compartment,Secondary, Senior Secondary Examination of Year 1985 and Roll No.003371 issued by CBSE has been actuallylost. Name of the candidate Pradeep Kumar Soni Tel.9818542836 0040525199-1

Lost Original Marksheet Cum Certificate Class-X Year-2015 Roll No.8130191 CBSE Delhi, Nitish Kumar S/o Ashok Kumar R/o-500/20-D/2-A/12 Gali No.13, 60-Foot Road Vishwas Nagar, Shahdara Delhi-110032 0040525331-2

Lost Original Marksheet/ Certificate Class-X Year-2016 Roll No.8642160 CBSE Delhi, Deepanshu Sharma S/o Om Parkash Sharma B-20 Gali No.2 Natthu Colony East Mandoli Road, Shahdara Delhi-110093. 0040525331-3

Lost original-Allotment Letter & All-Deposited receipts of property Unit No.13121, Tower-Redwood, Mahagun Mywood, Plot No.Gh-04, Sector-16C, Greater-Noida West. Finder Please contact-Anand Bhadola S/o Late G.D. Bhadola R/o C-5B, Rajat Vihar, Sector-62, Noida Mob#9582331818. 0040525408-2

I, Kamardeep Singh Gill S/o Pirthipal Singh Gill, have lost original documents of Property No.2269/1, Faiz Road, Ashok Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Finder contact: 9899490914. 0040525332-1

I, NEHA Chauhan D/o-Jai prakash R/o-h.no-56 village-sungarpur Delhi-36, have lost my original-certificate class-10th year-2016,Rollno-8178295 CBSE-Delhi. 0040525399-5

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Sh. Ram Singh son of Shri Kundan lal, R/o 48 Block D Princess Park Copernicus Marg, New Delhi-111001 has severed his/her all the relations with his son namely Sumit Singh & his daughter-in-law Neha W/o Shri Sumit Singh and disowned from all his movable and immovable properties. Any person dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk and consequences and my client shall not be responsible for any acts or damages.

Darsan, Advocate
13, Lawyers Chamber, Patiala House Courts, New Delhi.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल इस्लामुद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फूर निवासी आर–302, गली नं. 14, रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 92 ने अपने पुत्र मौ. आसिफ, पुत्रवधु समरीन सैफी को उनके गलत आचरण व दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद कर लिये हैं एवं भविष्य में इनके किसी भी अपराधिक कृत्य एवं दीवानी कार्य व लेन–देन के लिये मेरा मुवक्किल व इसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ता./–
एम.एम. अन्सारी
अधिवक्ता

PUBLIC NOTICE

For & on behalf of my clients Sh. Shobha Kant Jha s/o Sh. Ram Chander Jha & Smt. Gayatri Devi w/o Sh. Shobha Kant Jha both r/o RZ-K2/184A, Block-2, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi-41, I serve this Public Notice that my clients sever their relations and Debar thier son Mr. Mukesh Kumar and his wife Mrs. Pooja Jha from their properties both movable & immovable for all intents and purposes. Anyone deals with them shall do at his own risks.

Tribindh Kumar (Advocate)
B-5, Suneja Tower-I, Janakpuri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

My clientess Jaswant Kaur Arya W/o Sh. Som Dutt Arya aged about 73 years R/o Flat No. 6701, Shri Radhe NRI Green Apartment, Vrindawan, U.P., and H.No LP-29F, Top floor, Pitampura, Maurya Enclave Delhi-110034 has disowned their son Sandeep Dutt Arya and his wife namely Nidhi Arya due to his misconduct. My Clientess have no control over their son, they have disowned/ debarred their said son from all their movable and immovable properties. If any body deals with his they may deal on their own risk.

Abhishek Sharma, Advocate
C-161, Joseph block, Tis Hazari, Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients Dalip Singh, S/o Sh. Sani Ram, and his wife Geeta Devi R/o H.No. 367, Block-C, J.J. Colony, Wazir Pur, Nimri, North-West Delhi, Delhi-110052, Temp. Address:- Air Force Station, Hindan, Mohan Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201004 have severed their relations with their son Rajeev Kumar & his wife Shivani and debarred them from all movable-immovable properties due to their misconduct towards my clients. Anybody deals with them shall do at his own risk, cost & consequences.

ANURAG SHARMA (Advocate)
G-624, 6TH FLOOR, G-BLOCK, LAWYERS CHAMBER BLOCK, KARKARDOOMA COURTS, DELHI-110032

NOTICE

My original documents of Property No. Flat No. G-11, 6th Floor, Amba CGHS Ltd plot No.5, Sector -10, Dwarka New Delhi Original share certificate Date 10.09.1995, allotment letter Date 12.12.1999 and possession letter Date 15.03.2004 in favor of **Sh. Surinder Rana** (owner) have been lost and fir has been lodged FIR LR No.**2700566/2017** finder may contact **Sh. Surinder Rana** S/o Sahib Singh Rana **Mobile No. 9999497150.**

PUBLIC NOTICE

Be known that my client. **MASSA SINGH** S/O JAGIR SINGH & **JASBIR KAUR** W/O MASSA SINGH both R/o E-7, GURUDWARA BALA SAHIB, NEAR BHAGWAN NAGAR, ASHRAM, DELHI-110014, have disowned and severed all their relations with their son **PARMJEET SINGH** S/O MASSA SINGH R/O E-704, QUTUB VIHAR PH-I, GOYLA DAIRY, DELHI-110071, and debarred from their movable and immovable properties / assets due to his misbehavior. If any person, organization, institution dealing with him in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility, for that my client shall not be responsible in any manner whatsoever.

Sd/-
DINESH KUMAR (Advocate)
Enrol. No D-5096/17

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client Nurul Nabi Khan S/o Saeedul Nabi Khan R/o D2A/2C, Janak Puri, New Delhi-58 is currently residing at above mentioned address. My client's name & his father's name wrongly printed as Narul Nabi Khan and Saeed Khan respectively in Driving Licence No. DL-0919860066612 but his exact & correct name is Nurul Nabi Khan & his father's name is Saeedul Nabi Khan which is valid & applicable for all offical purposes & records and all contractual and/or other obligation assumed by him, under the name & style of Nurul Nabi Khan, shall be valid and binding upon him.

Advocate A. K. Verma
319, DC, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

It is notified for the information of general public that my clients Sh. Raj Kumar S/o Sh. Shyam Lal & Smt. Kusum W/o Sh. Raj Kumar both R/o RZ-B-2/11, Vijay Enclave, Shiv Main Marke, Mandir Wali Gali, New Delhi-45 have severed all their relations & connections with their son Ashwani alias Ashu because he is out of control of my clients & have debarred him from their all movable & immovable properties.
Anybody deals with him will be doing at his/her/their own risk, cost & expenses. My clients shall neither be liable & responsible for his acts, deeds & things under any circumstances.

Adv. M. Dharam Singh
F-12, Jeewan Park, N.D.-59

NOTICE

Public at large are hereby informed that my client **HUMA AHMAD W/O SAKEEL AHMAD** having its residence at C-3A/140B, Janakpuri, New Delhi-110058 is the absolute & legal owner in possession of the property entire built up property with Nomenclature S+G+3, RZ-91, area admeasuring 100 Sq. Yds carved out of Khasra No. 16/3, area of Village-Asalatpur Khadar, colony known as Mohindra Park, Uttam Nagar, New Delhi.
Any person, who has got, rights, interest, title, claim, encumbrances, charges of any nature whatsoever in respect of the above said Property or any part thereof, can send their objections with their documentary evidence at below address within 15 days from the date of publication of this notice, failing which it shall be presumed that the said Property is entirely is free from all such claims, interest, charges, encumbrances etc.
This notice is published on **25th December 2019.**

Ravi Sachdeva (Advocate)
JRS Associates, B-68, Sector-40, Noida-201301, Distt. Gautam Budh Nagar (UP)

PUBLIC NOTICE

My client namely Snajeev Narula, S/o. Late Om Prakash Narula, R/o. 11286/3, Laj Building, 2nd floor, Doriwalan, Karol Bagh, New Delhi-110005, do hereby cancel his earlier debar/disown notice published on dated 01.01.2016, in the English Newspaper Indian Express Hindi newspaper Jansatta, in respect of his wife namely Sharda, son namely Sourabh and his married daughter Nidhi Goswami, W/o. Sh. Rajat Goswami and their children as they have changed their behaviours towards my client as now all they are keeping relations amicably with my client.

Sd/-
SURENDER KUMAR
Advocate
Enrl. No.-D-142/1997/R
Seat Behind-Court No.-31
Near Police Post
Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client, MRS. CHHAYA BUNGER W/O SH. VIPIN BUNGER owner of FLAT NO. 72, FIRST FLOOR, POCKET-1, BLOCK-C, SECTOR-11, ROHINI, DELHI has applied for issuance of Certify copies of the aforesaid flat vide File No. J.27(241)1996/ RO/JH in DDA. The original documents i.e. Allotment/Demand Letter & NOC to Water and Electric of the above said flat has been lost. An NCR/LR NO. 1953670/2019 dated 03/12/2019 to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch, Delhi.
Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 9818110020 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (H), or Director (H), D Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, New Delhi.

BRAJ VEER SINGH (Adv.)
En No. D-2415/2012

सार्वजनिक सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री स्व. सुमेर सिंह निवासी मकान न. 7, एच ब्लॉक, दीनदारपुर, पिल्लर न. 1333, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043 ने अपने सभी सम्बन्ध अपने दोनों पुत्र श्री अमित एवं श्री सचिन एवं पुत्रवधु श्रीमती मानिका व श्रीमती शबनम से विच्छेद कर लिये है और मैंने इन पुत्रों व पुत्रवधुओं को अपनी सभी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इनसे कोई लेन देन किसी प्रकार का करता है तो मेरा मुवक्किल इसका जिम्मेदार नहीं होगा।

Trivedi & Associates
(Advocate & Legal Consultants)
Ch. No. 724 Dwarka Courts, New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Aishwarya Marwaha D/o Smt. Meenakshi Marwaha R/o D-3-E, MIG Flats, Mayapuri, Delhi-110064 got married to Sh. Kumar Krishna S/o Sh. Awadh Bihari Pandey R/o Village Laxmipur, Post-Laxmipur, Thana-Pirpainti, Lachhmipur, Bhagalpur, Bihar-813222 on 20.07.2013, after the marriage, Sh. Kumar Krishna left my client & has not returned back since 7 year, therefore my client has severed all relation with him & his family members as the said marriage shall now deemed null and void, in future, if anybody wants to file any case against my client, the same shall be deemed as null and void.

Saurabh Kumar (Advocate)
Ch. No. 483 Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My clientess Smt. Jamna Devi W/o Late Sh. Ganga Ram R/o F-233, Budh Nagar, Inder Puri, Delhi-110012, do hereby severe all her relations and debar her son Dharamvir & his wife Smt. Poonam from all her moveable-immoveable properties due to their ill-behaviour. My clientess will not be responsible for their any acts & deeds whatsoever.

Sd/-
Basant Kr. GAUTAM
Advocate
Ch. No. 533, Rohini Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client SMT. KIRAN PASI D/o SH. C.L PASI W/o LATE SH LALLAN SHAH R/o RZ-35, DICHAON ENCLAVE, New Delhi-110043, has severed all relations with her son namely MOHIT KUMAR and also disowned and debarred him from all his/her movable and immovable properties with immediate effect, due to his bad habits and bad society. Anybody dealing with him shall do so at his/her own risk, cost and responsibilities thereto. My client shall not be responsible in any manner for the same.

Praveen Rastogi
Enrol No-D/244/06

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Arjun Kumar Srish S/o Sh. Man Bahadur Srish residing at B-15, B-Block, Lajpat Nagar-3, New Delhi-110024 declare that name of mine has been wrongly written as Arjun Singh in my daughter's Rupa Educational Documents. The Actual name of mine is Arjun Kumar Srish respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

My/Our client MR. KARTAR SINGH SON OF SH. MATRU LAL & MRS. MEERA DEVI WIFE OF SH. KARTAR SINGH BOTH RESIDENT OF B-30-Y, DDA FLATS, A-BLOCK, JAHANGIR PURI, DELHI-110033, have disowner their son namely MR. DINESH KUMAR R/O B-30-Y, DDA FLATS, A-BLOCK, JAHANGIR PURL, DELHI-110033 and his wife SMT. CHANDNI and his all children, and revoke all relationship from them due to their bad behavior and intensions. My clients have debarred them from all their rights, claims in any manner from their moveable and immovable properties and in near future their will have no concern with my clients in any manner immediate effect.
Any Persons dealing with them shall be doing so at their own risk and responsibilities.

Sd/-
SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrl. No. D-152/88

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Lalit Kumar Arora s/o Late Madan Lal Arora R/o B-4/16, Rajouri Garden, New Delhi-110027, has disowned/debarred his son Akshit Jhamb from his all moveable & immovable assets/ properties located at anywhere & also severed all relations with him. Any person/s dealing with him shall be at his/her/their own risk. Bhawna Rana (Advocate), D-204, Second Floor, Karampura, New Delhi-15.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल हुमा अहमद पत्नी सकील अहमद जिनका सी–3ए/140बी, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में निवास है। पूर्ण निर्मित संपत्ति नोमनक्लेचर एस+जी+3, 100 वर्ग गज, खसरा नम्बर 16/3 में से गाँव असालतपुर खादर कॉलोनी जो कि मोहिंद्र पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली के नाम से जाना जाती है। उपरोक्त संपत्ति के पूरी तरह से कानूनी मालिक एवम कब्जाधारक है।
यदि किसी व्यक्ति का कथित सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार, हित, हक, दावा, अधिभार, किसी भी प्रकार का प्रभार है तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नीचे दिये गये पते पर भेज सकता है और ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि कथित सम्पत्ति किसी भी दावे, हित, प्रभार, अधिभार आदि से मुक्त है।
यह सूचना **दिनांक 25 दिसम्बर 2019** को प्रकाशित।

रवि सचदेवा (अधिवक्ता)
जेआरएस एसोसिएट्स, बी–68, सैक्टर–40, नोएडा–201301, जिला–गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

PUBLIC NOTICE

This is inform that Ms Neelam Raj W/o Sh. Bhagat Raj is the title holder of property/flat bearing no. 44, Pocket-B 2nd floor, Nand Nagri Delhi-93, by virtue of sale deed duly registered as registration No.1834, Book No.1 Vol. No. 2984, pages from 50 to 57 dated 05/04/2019 in the office of sub - registrar Shahdara. That my client has lost original Conveyance Deed issued by Delhi Development authority in favour of Smt. Gaytri Devi registration Number 16922 book No.1 volume no. 5697 pages from 105 to 107 dated 02/11/2015 for Flat No.44 Pocket B Nand Nagri Delhi, have been lost/misplaced in lieu of report dated 21/12/2019 Delhi Police Bearing LR No.2020608/2019 have been filed. Any person(s), company(ies). Bank(s) etc. In possession of the above mentioned documents or having information of the same is requested to put forth their claim(s), if any, with supporting documents, to be delivered to the undersigned within 15 days of publication of this notice, post expiration of which any claim (s)/ objection(s), if raised, shall be treated as null, void and as waived.

Sd/-
Ms. Vijaya Tyagi
(Advocate)
G-711, KKD Court Delhi

नरेला के दो कारखानों में लगी आग, लाखों का सामान खाक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में रानी झांसी रोड अनाज मंडी के बाद सोमवार को किराड़ी में हुए हादसे के बाद मंगलवार तड़के फिर नरेला इलाके में एक सिलेंडर फटने से दो कारखानों में आग लग गई। इसमें से एक कारखाने में जूते बनाए जाते थे जबकि दूसरे में गत्ते का सामान का काम होता था। दोपहर तक आग बुझाने में अग्निशमन विभाग ने 36 दमकलों और अन्य बचाव दलों को मुस्तैद कर रखा था। इस हादसे में तीन दमकल कर्मचारी झुलस गए। आग से कई लाख रुपए का सामान जल गया।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के अधिकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह चार बजकर 52 मिनट पर उन्हें आग लगने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही फैक्टरी होने के कारण दमकल की 32 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। इस आग को बुझाने का काम अभी चल ही रहा था कि इसके ठीक बाद दूसरी जगह आग लगने की सूचना मिली। बचाव अभियान में लगे तीन दमकल कर्मियों को मामूली चोटे भी आई। इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अग्निशमन के क्षेत्रीय अधिकारी मदन लाल के साथ दमकलकर्मी विकास अऔर सोनू इस हादसे में झुलसे हैं।

बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि आसपास के अन्य मकानों और फैक्टरियों को तुरंत खाली करा लिया गया और दमकल की कुछ और गाड़ियों को आपात स्थिति से निबटने के लिए तैयार रहने कहा गया।

LOST AND FOUND

I, Divya Pandit alias Divya Kaushik, D/o late Shri Davinder Nath Pandit R/o 8A/31, WEA, Karol Bagh, New Delhi -110005 would like to inform General Public that the Original Deed of Sale dated 12/03/2003 entered into between the Ghaziabad Development Authority and Shri Davinder Nath Pandit registered with the office of the Sub-Registrar IV, Ghaziabad, Uttar Pradesh bearing Registration No.4996 along with Allotment Letter and Possession Letter (both in original) issued by GDA that were under my possession has been lost/misplaced by / stolen from me. In this regard, FIR Nos. 1928776/2019 in Delhi and at Indirapuram Ghaziabad Dated. 27/11/2019 and 21/12/2019 has been lodged with Police Station Karol Bagh, New Delhi and Police Station, Indirapuram, Ghaziabad respectively. If anyone finds it, kindly contact the above named at Mobile Nos. 9811994589 / 9810924271.

रिक्त स्थान

Courtse Germany invites you for a Walk in interview from 1st January to 15th February for the following job/training/departments:

Packing: 10
Helper/Trainees: 20
Welder Trainer:5
Lancer Trainer:10
Polisher Trainer:5
Press Operation trainer: 2
Foreman:1
Caretaker:1
Sweeper: 1
Sales Representative : 2

Caretaker, Trainees and Sales Representative will have to furnish a 5 years job agreement bond. Trainees on/after their successful completion of training will be provided with a certificate. Address:D16 SMA Industrial Estate Opp. Jahangir Puri, Delhi.

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that my Client Mrs. Vaishali Narula, W/o, Shri. Naresh Narula, R/o, B-1/103, Milan Vihar Apartments, I.P. Extension, Delhi 110092 lawful and absolute owner of Flat No. B-204, 2nd Floor, SARANSH Apartments, Plot No.34, Patparganj, Delhi 110092 has lost the Allotment-Cum-Possession Letter and possession letter dated 21.12.1991, issued by "The Sara Group Co-operative Group Housing Society Limited, Delhi - 110092" somewhere in Madhu Vihar Market on 23.12.2019. The same could not be found/traced by my Client, despite sincere efforts. In this regard, Mrs. Vaishali Narula, has filed a Non-Cognizable Report bearing No.LR No. 2028206/2019 dated 23.12.2019. General Public is hereby warned not to misuse the aforesaid lost documents and return them forthwith to my Client at B-1/103, Milan Vihar Apartments, I.P. Extension, Delhi-92.

Rajaram C Iyer (Advocate)
12-D, POCKET-I, MAYUR VIHAR PHASE-I DELHI-110091

पूर्वी निगम ने व्यापारियों को राहत दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने आवासीय क्षेत्र में गैर प्रदूषण कारी घरेलू उद्योगों से संबंधित व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। मेयर अंजू ने मंगलवार को बताया कि नई अधिसूचना के अनुरूप अब अधिकतम नौ कर्मचारियों व 11 किलोवाट पावर वाली गैर प्रदूषणकारी घरेलू औद्योगिक इकाइयों हेतु लाइसेंस लेने के लिए श्रम एवं उद्योग विभागों दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अंजु ने दिल्ली मुख्य योजना 2021 में इस बाबत संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। यह दिल्ली के व्यापारियों के लिए अच्छा निर्णय है।

निगम की अनोखी पहल 'गारबेज कैफे'

दक्षिणी निगम ने नजफगढ़ जोन में प्लास्टिक कचरे के निष्पादन के लिए एक अनोखी पहल 'गारबेज कैफे' की शुरुआत की है। इसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में मुफ्त में नाश्ता और दोपहर व रात का भोजन दिया जाएगा। इसके तहत द्वारका के वर्धमान मॉल का एक रेस्तरां प्लास्टिक कचरे के बदले मुफ्त भोजन देगा। योजना के तहत 250 ग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले नाश्ता व एक किलो प्लास्टिक कचरे के बदले दोपहर या रात का भोजन मिलेगा।

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT IAS & HOW TO CRACK IT
FREE SEMINAR
TILAK NAGAR
Sun. 29th Dec. 2019
10 A.M. to 12 P.M.
4 P.M. to 6 P.M.
NIRVANA IAS ACADEMY
Batches Start 5th January 2020
Weekend Batches Available
www.nirvanaias.com
ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.
TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.
Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005
LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

www.readwhere.com

(25 दिसम्बर, 1924 - 16 अगस्त, 2018)

"यह अटल जी का अनुकरणीय नेतृत्व था, जिसने 21वीं शताब्दी के मजबूत एवं खुशहाल भारत की नींव रखी। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय के जीवन को छुआ है।"

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

राष्ट्रवाद के प्रणेता, सुशासन के संवाहक 'भारत रत्न' पूर्व प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयन्ती पर शत्-शत् नमन

श्रद्धापूर्ण स्मृति में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा (लोक भवन प्रांगण) का अनावरण

एवं

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (चक गंजरिया, सुल्तानपुर रोड) का शिलान्यास

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री द्वारा

गरिमामयी उपस्थिति

आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	**योगी आदित्यनाथ** मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	**राजनाथ सिंह** रक्षामंत्री, भारत सरकार
हृदय नारायण दीक्षित अध्यक्ष, विधानसभा	**केशव प्रसाद मौर्य** उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	**डॉ. दिनेश शर्मा** उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
सुरेश कुमार खन्ना मंत्री, वित्त, संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश	**डॉ. नीलकंठ तिवारी** राज्य मंत्री, पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रोटोकॉल (MOS), उत्तर प्रदेश	**संदीप सिंह** राज्य मंत्री, वित्त, प्राविधिक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश

दिनांकः 25 दिसम्बर, 2019 | समयः अपराह्न 2:45 बजे | स्थानः लोक भवन प्रांगण, लखनऊ

कार चालक सीट बेल्ट अवश्य पहनें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

www.readwhere.com

दिल्ली सरकार ने पांच साल के रिपोर्ट कार्ड में खुद को बताया पास

हमें सभी एजंसियों ने दी क्लीनचिट : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजंसियों ने आम आदमी पार्टी सरकार को हर जांच में क्लीनचिट दिया है। यह ठोक बजाकर कह सकता हूं कि 'आप' दिल्ली की आजादी के बाद सबसे ईमानदार सरकार है। सीएजी व सीबीआइ जैसी केंद्रीय जांच एजंसियों ने दिल्ली सरकार को क्लीनचिट दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के हर काम पर विरोधियों की सीधी नजर थी और हमारे विरोधियों ने ही 'आप' सरकार को बेहतर कार्य का प्रमाणपत्र दिया। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पांच साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड जारी किया।

केजरीवाल ने कहा कि यह सेवक की जिम्मेदारी है कि अपने कामकाज की रिपोर्ट दे। आज से 5 साल पहले जनता ने नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि मैने अपनी जनता का सीना चौड़ा किया है और ऐतिहासिक काम हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कॉमनवेल्थ व सीएनजी घोटला होता था। अब लोग दिल से टैक्स देते हैं। सीएजी के ऑडिट के बाद सामने आया कि सरकार मुनाफे में चल रही है जबकि हमने जनता से टैक्स वसूल नहीं किया। पूर्व सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र का 70 साल में कबाड़ा कर दिया। आज पांच साल के कामों की चर्चा हर क्षेत्र में हो रही है। सरकार ने काम 6600 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 15600 करोड़ किया। सरकारी स्कूल के परीक्षा परिणाम सुधरे हैं और 5 साल में स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी।

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम जनता को अच्छा मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 3500 करोड़ से बढ़ाकर 3700 करोड़ किया है। जनता की सुविधा के लिए 400 मोहल्ला क्लीनिक खोले हैं। दिल्ली मे बिजली का सिस्टम सुधरा है। मौसम में आए बदलाव के बाद आम जनता के शून्य बिल बढ़े हैं। इस समय 31 लाख उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार 200-400 यूनिट का लाभ 12 लाख उपभोक्ताओं ने लिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूरे देश में केवल दिल्ली में ही 24 घंटे बिजली आती है। 2014 में 7-8 घंटे कटौती होती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पानी का बुरा हाल था। टैंकर भेजे जाते थे। 70 साल में जानबूझ कर पानी की लाइन नहीं दी। करीब 14 लाख लोगों को मुफ्त पानी मिलता है। परिवहन सेवाएं सुधारने के लिए 4300 बसें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा का काम शुरू किया। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और महिलाओं का टिकट मुफ्त किया है। कच्ची कॉलोनी में कांग्रेस-भाजपा दोनों ने जनता को धोखा दिया।

'आप' का रिपोर्ट कार्ड धोखे का प्रतीक : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता के साथ किये गये धोखे का प्रतीक है। इस रिपोर्ट कार्ड से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। 70 वादे कर 74 झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री रिपोर्ट कार्ड में अपनी ही सरकार का गुणगान कर रहे थे।

मनोज तिवारी ने सवाल किया कि 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज कहा हैं। जिनका आम आदमी पार्टी ने वादा किया था। दिल्ली में लगभग 21 लाख छात्र है और इनके लिए शिक्षकों की भारी कमी है। मुख्यमंत्री को 20 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी लेकिन कार्यकाल दिल्ली सरकार ने एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। क्लासरूम बनाने के नाम पर दिल्ली सरकार ने शिक्षा के नाम पर 2 हजार करोड़ से भी अधिक का घोटाला किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक आरटीआई की जानकारी के अनुसार रोगी कल्याण समिति में फंड जस का तस पड़ा रहा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने निजी विज्ञापनों के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आइसीयू बेड, वेंटीलेटर, मानिटर, इंफ्यूशन पम्प, ब्लड बैंक और गैस पाइपलाइन जैसी जरूरी सुविधाएं तक नहीं हैं।

विधानसभा में विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया वह झूठ और भ्रम का पुलिंदा है। ज्यादातर वादे हवा हवाई साबित हुए हैं। लोकसभा 2019 के चुनावों तक मुख्यमंत्री यही कहते रहे कि प्रधानमंत्री और उप राज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने खुद ही मान लिया है जो घोषणा पत्र 2015 में जारी किया था और जो रिपोर्ट कार्ड आज जारी किया है, उसमें जमीन-आसमान का फर्क है। उन्होंने सवाल किया कि घोषणापत्र के 70 वायदों का क्या हुआ ? उन्होंने आरोप लगाया कि असल में तो इनका नारा, अच्छे बीते 5 साल -लगे रहो केजरीवाल की जगह अच्छे बीते 5 साल -आपने काटा खूब माल होना चाहिए।

झुग्गी वालों को दिल्ली सरकार ने दिए प्रमाणपत्र

नई दिल्ली। 65 हजार झुग्गी वालों को उनके झुग्गी के नजदीक ही घर बनाकर दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन झुग्गी वालो को सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद कोई भी इन झुग्गी को तोड़ नहीं सकेगा। यह कार्यक्रम आंबेडकर नगर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शेष रह गए लोगों को भी सर्वे कराकर प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस के बाद कोई झुग्गी को कोई तोड़ नहीं सकता है। **(जनसत्ता संवाददाता)**

जाम से राहत दिलाएगा आश्रम फ्लाईओवर-अंडरपास

नई दिल्ली। आश्रम को जाम से राहत दिलाने के लिए एक नया फ्लाईओवर व अंडरपास तैयार होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लागू होने से नोएडा-गाजियाबाद समेत दक्षिणी दिल्ली वालों को राहत होगी। इस लाइन पर आम जनता को जाम से जूझना पड़ता था। यह प्रोजेक्ट दिल्ली को जाम से राहत देगा और इस पर 128.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आश्रम चौक पर सुबह - शाम जाम लगता है और 30 - 45 मिनट का एक ही लाइट पर लग जाता था। उन्होंने कहा कि इस जाम में कई बार वे खुद फंसे हैं। **(जनसत्ता संवाददाता)**

नौसेना अधिकारी के बेटे से ऑटो सवार बदमाशों ने की लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 दिसंबर।

मुंबई में तैनात एक नौसेना के अधिकारी के बेटे को ऑटो सवार बदमाशों ने मारपीट कर लूट लिया। बदमाशों ने नकदी, लैपटॉप समेत अन्य सामान लूटा। घटना को अजांम देने के बाद बदमाश उन्हें थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में फेंककर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस से की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, मुंबई में रहने वाले सुबोध जीत दत्ता अपनी कंपनी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नोएडा आए हुए हैं। वह नोएडा के एक होटल में ठहरे हुए हैं। उनके पिता समरजीत दत्ता मुंबई में नौसेना में अधिकारी हैं। उनकी मां भी सेना में कार्यरत हैं। सोमवार रात को वह कंपनी की एक पार्टी में शामिल होने के लिए सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ मॉल गए थे। रात करीब 12 बजे वह वहां से बाहर निकले और होटल जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। इसके बाद चालक ने दो और लोगों को बिठा लिया। कुछ दूर आगे चलने के बाद चालक व अन्य लोगों ने सुबोध को कब्जे में ले लिया और मारपीट कर उनसे लैपटॉप, मोबाइल, पांच हजार रुपए समेत अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद थाना सेक्टर-39 क्षेत्र में उतार कर बदमाश भाग गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह पुलिस से संपर्क किया।

जिलाधिकारी का फर्जी छुट्टी का आदेश वायरल करने वाले दो छात्रों को बाल सुधार गृह भेजा गया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 दिसंबर।

स्कूल के विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी शिविर कार्यालय पर किया प्रदर्शन

सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों को आश्वासन देकर लौटाया

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर का फर्जी दो दिनों की छुट्टी का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में थाना सेक्टर-20 पुलिस ने 12वीं के दो छात्रों को मंगलवार को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र सेक्टर-27 जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर बैठ गए हैं। कैंप कार्यालय पर रोते हुए छात्रों ने पकड़े गए छात्रों को माफ करने की गुहार लगाई है। आरोपी दोनों विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। दो दिन बाद प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं।

जिलाधिकारी का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर रविवार को पोस्ट किया गया था। इससे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच हुआ है। जबकि डीएम बीएन सिंह के मुताबिक उनकी तरफ से छुट्टी से संबंधित कोई संदेश या पत्र जारी नहीं किया गया है। इसके बाद एसएसपी वैभव कृष्ण ने थाना सेक्टर-20 पुलिस को जांच का आदेश दिया। जांच में सोमवार देर रात सेक्टर-12 स्थित स्कूल के दो छात्रों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में छात्रों ने बताया कि उन्होंने मस्ती करने के लिए डीएम गौतम बुद्ध नगर का फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया। फिर फर्जी लेटर पेड पर छुट्टी होने की बात लिखकर वायरल कर दिया। दोनों छात्रों के पुलिस की गिरफ्त में होने का पता चलने पर मंगलवार को उनके साथी छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सौ अधिक विद्यार्थी पहले थाना सेक्टर 20 पहुंचे। जहां पता चला कि दोनों को फेज टू स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इसके बाद सभी छात्र डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे। काफी अभिभावकों ने भी बच्चों को बाल सुधार गृह भेजने को सही निर्णय नहीं माना है। आरोपी छात्रों के साथियों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से छोड़ने की मांग की है।

एसएचओ थाना सेक्टर- 20 के मुताबिक दोनों छात्रों के खिलाफ धारा 419, 420 और 566 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्र और जिला विद्यालय निरीक्षक नीरज कुमार पांडेय भी पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा तब प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी घर को लौटे।

कानून बनाकर किया जाए तदर्थ शिक्षकों का समायोजन : डूटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से डीयू में कार्यरत सभी अस्थायी और तदर्थ शिक्षकों समायोजन करने के लिए अधिनियम बनाने की मांग की है।

डूटा की ओर से डीयू के उत्तर परिसर में इस मामले में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजीब रे, संयुक्त सचिव प्रेम चंद, कोषाध्यक्ष आभा देव हबीब आदि उपस्थित थे। अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि चार दिसंबर से शिक्षक अपनी मांगों के लिए डीयू के कुलपति कार्यालय के बाहर दिन रात कड़ाके की ठंड में हड़ताल कर रहे हैं। पांच दिसंबर को एचआरडी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए मंत्रालय की ओर से यह समाधान निकाला गया था कि जब तक डीयू में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक तदर्थ शिक्षकों, अस्थायी शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने अपनी मांगों के लिए 18 दिसंबर को यूजीसी के कार्यालय के बहार भी प्रदर्शन किया गया था और इनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। तब तदर्थ शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर आश्वासन दिया गया था। 27 दिसंबर को शिक्षक संघ की संचलान समिति की बैठक है।

ऐक्सिस बैंक — आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एवं एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी/सह-ऋणी एवं जमानतकर्ता का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1.	**मोहम्मद उमर (ऋणी)**, पुत्र मो0 यामीन **मोहम्मद अबूबकर (सह-ऋणी)** पुत्र मो0 यामीन निवासी म0नं0-213, खालापार पुलिस स्टेशन, कोतवाली नगर, निकट मर्नीजी रोड, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 भारत - 251001	स्थित म0नं0 662 मोहल्ला-रहमत नगर, खालापार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश भारत 251001 जो कि **मो0 उमर** के नाम **क्षेत्रफल-67.72 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व:** रिजवान का मकान, **पश्चिम** : सड़क, **उत्तर** : सड़क, **दक्षिण:** विक्रेता की सम्पत्ति	रू. 14,61,939.00 दिनांक 19.09.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि : 19.09.2019** **कब्जा दिनांक : 19.12.2019**
2.	**श्री सुखदेव (ऋणी)**, पुत्र सुरेश चन्द यादव निवासी मोहम्मदपुर नाडायगुर निकट वाटर टैंक फिरोजाबाद, उ0प्र0 भारत -283141 एवं : निवासी म0नं0 675 मेहराबाद लेबर कालोनी स्टेशन रोड जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश-205135	स्थित 658वीं/1 मौजा मेहराबाद गाटा नं0 521 मेहराबाद पूर्वी वार्ड नं0 9 तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद, जो कि **सुखदेव** के नाम **क्षेत्रफल-167.28 वर्ग मी0** **चौहद्दी: पूर्व:** विक्रेता की भूमि, **पश्चिम** : रास्ता, **उत्तर** : प्लाट विनोद कुमार, **दक्षिण:** भारत सिंह का प्लाट	रू. 15,04,724.95.00 दिनांक 01.05.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे **देय सूचना की तिथि : 29.05.2019** **कब्जा दिनांक : 19.12.2019**

दिनांक : 24.12.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि0

समक्ष माननीय मध्यस्थ श्री पी.डी. सुधाकर
एस.डी.ए. 8, दूसरा तल सैक्टर 45, नौएडा-201303
उपस्थिति हेतु सम्मन, दिनाक 03.01.2020 को 11:30 बजे प्रातः

क्रमांक	वाद संख्या	CASE TITLE/ के मामले में:	उपस्थिति की तिथि	Defaulter/प्रतिवादी
		शिवालिक मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. V/s		(समुदाय आयोजक/गारंटर/अन्य)
1	S78/19	Anjali & Others	03.01.2020	1. सुश्री अंजलि D/o श्री अमरपाल, R/o H.No. 10, गांधी नगर, आंशिक नगर पंचायत, सरधना, जिला मेरठ, पिन न.- 250342 **(समुदाय आयोजक)** 2. श्री अमर पाल सिंह, R/o H.No. 10, गांधी नगर, आंशिक नगर पंचायत, सरधना, जिला मेरठ, पिन न.- 250342 (गारंटर) 3. श्री रवि प्रकाश, R/o- गांधी नगर, आंशिक नगर पंचायत, सरधना, जिला मेरठ, पिन न.- 250342 (गारंटर)
2	S80/19	Sweety Pundir & Others	03.01.2020	1. श्रीमती स्वीटी D/o श्री प्रेम सिंह, R/o- ग्राम झबीरन, पोस्ट बडगाव, जिला सहारनपुर, पिन न.-247453 **(समुदाय आयोजक)** 2. श्रीमती स्वीटी W/o गौरव राना R/o- ग्राम व पोस्ट- भारी, दिनारपुर, जिला सहारनपुर, पिन न.- 247452 **(समुदाय आयोजक)** 3. श्री प्रेम सिंह S/o स्व. नौबत सिंह R/o- ग्राम झबीरन, पोस्ट बडगाव, जिला सहारनपुर, पिन न.-247453 (गारंटर) 4. श्रीमती सुशीला W/o प्रेम सिंह, R/o- ग्राम झबीरन, पोस्ट बडगाव, जिला सहारनपुर, पिन न.- 247453 (गारंटर)
3	219/19	Saurav Diwedi & Others	03.01.2020	1. श्री कप्तान दिवेदी S/o मुशी लाल, R/o पोस्ट एवं गांव - नौंक, थाना-बघौली, हरदोई, यू.पी., पिन न. 241122 (गारंटर)

उक्त बैंक ने आप के विरुद्ध एक वाद मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किया था। जो की आपको अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिये **दिनांक 03.01.2020 को 11:30 बजे प्रातः एस.डी.ए. 8, दूसरा तल सैक्टर 45, नौएडा-201303** पते पर उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया जाता है। उक्त अगली तिथि व समय पर आपके उपस्थित न होने पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए, तदनुसार इस वाद का निपटारा किया जायेगा।
आदेश, (मध्यस्थ) Arbitrator

अकादमिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए शिक्षक संघ ने दिए सुझाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ ने मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासन को मानसून सेमेस्टर की अकादमिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि बिना किसी समझौते के अकादमिक गतिविधि को पूरा किया जाए।

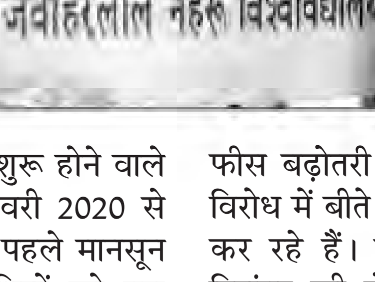

जेएनयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीके लोबियाल एवं सचिव सुरजीत मजूमदार ने बयान जारी कर कहा जनवरी से शुरू होने वाले अगले सेमेस्टर के लिए 20 जनवरी 2020 से कक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन इससे पहले मानसून सेमेस्टर से जुड़ी अधूरी गतिविधियों को पूरा किया जाए। 6 से 17 जनवरी 2020 के दौरान मानसून सेमेस्टर की जितनी भी कक्षाओं का नुकसान हुआ है। उन्हें दो हफ्ते के लिए लिया जाए। साथ में शिक्षक संघ ने यभी कहा है कि अगर प्रशासन को छात्रों की चिंता है तो वह इन सुझावों को देखेगा। शिक्षक संघ ने यह भी उम्मीद जताई है कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय भी जरूरी भूमिका अदा करेंगे। शिक्षक संघ ने जेएनयू प्रशासन की ओर से दिसंबर की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा को वैकल्पिक माध्यमों से कराने पर भी सवाल उठाए। जेएनयू की मंगलवार से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं।

जेएनयू के छात्रावास की फीस बढ़ोतरी एवं छात्रावास के नए नियमों के विरोध में बीते करीब दो महीने से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से कई विद्यार्थियों ने दिसंबर की सेमेस्टर परीक्षा का भी बहिष्कार किया है।

बड़ा दिन कनॉट प्लेस के पास पवित्र हृदय महागिरजाघर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जगमग रोशनी की गई। फोटो : अरुष चोपड़ा

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि की उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 23, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	कैलीराम पुर (1473)	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नाथू सिंह और श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश 404900NC00052355 और 4038009900000573	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नाथू सिंह श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश पताः 56, एफआईटी कॉलेज, गंगापुरम, मवाना रोड, मेरठ, यूपी 250001	प्राइमरी/कॉलटरल - एक आवासीय मकान निर्मित आवासीय प्लॉट स. 20-ए, खसरा नं. 30 का भाग, क्षेत्रफल 181.15 वर्ग मीटर स्थित गंगापुरम कॉलोनी, राजस्व ग्राम- रजपुरा, मवाना रोड, परगना, तहसील व जिला मेरठ, यूपी. सपत्ति श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश के नाम, सीमायें:-पूर्वः श्रीमती दुहिता कुशवाहा का प्लॉट न. 27 पश्चिमः सड़क 25 फीट चौड़ी उत्तरः श्रीमती जॉली सी. पाल व अन्य का प्लॉट नं. 20 दक्षिणः श्रीमती पदमा तनेजा का प्लॉट नं. 21	09.10.2019 रु. 30,32,093/- दिनांक 01.09.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	23.12.2019	श्रीमती गरिमा वर्मा
2.	बायपास रोड (6623)	श्री विजय कुमार पुत्र श्री राकेश सिंह 662300JH00000119	श्री विजय कुमार पुत्र श्री रकम सिंह, पताः मकान नं. 158, मुल्तान नगर, मेरठ, यूपी 250001	एक दक्षिणी मकान नगरपालिका संख्या 158 का भाग क्षेत्रफल 75 वर्गगज, स्थित मुल्तान नगर, राजस्व ग्राम माजरा मालियान, परगना, तहसील और जिला मेरठ, यू. पी. स्वामित्व श्री विजय कुमार पुत्र श्री रकम सिंह, सीमायें:-पूर्वः15'00" / धर्म वीर की संपति, पश्चिम 15'00" / गली, उत्तरः 45'00" / उदयवीर की संपत्ति, दक्षिणः 45'00" / कृष्ण कुमार की संपत्ति	27.06.2019 रु. 4,37,575/- दिनांक 01.01.2016 से ब्याज व अन्य खर्चे	23.12.2019	श्री अजित श्रीवास्तव

दिनांक:- 24.12.2019 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

भारत से जो ज्ञान बाहर के देशों को गया है, वह प्रेम, बंधुभाव और समरसता के भाव से गया है। ये विचार पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित सामाजिक समरसता सम्मलेन में व्यक्त किए। इस सम्मेलन का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध संघ द्वारा किया गया।

जोशी ने कहा कि भारत की संस्कृति में बौद्ध विचारों और विचारकों का बहुत योगदान है। विश्व में आज जो संघर्ष है और हाहाकार है, उसके लिए बुद्ध का समरसता का संदेश बहुत उपयोगी है।

www.readwhere.com

सीएए के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उठे विवाद में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इस याचिका में नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जाने की वजह से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। कानून में किए गए इन प्रावधानों के विरोध में पिछले करीब एक हफ्ते से देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन हो रहा है और इस दौरान कई स्थानों पर हिंसा भी हुई है।

यह जनहित याचिका मुंबई निवासी पुनीत कौर ढांडा ने वकील विनीत ढांडा के माध्यम से दायर की है। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया गया है और अदालत से अनुरोध किया गया है कि सभी राज्यों को सख्ती के साथ इस कानून को लागू करने का निर्देश दिया जाए। इससे पहले, 18 दिसंबर को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब पांच दर्जन याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। हालांकि अदालत ने कानून के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

गुजरात : उपद्रव मामले में दो विधायक व पूर्व सांसद सहित 10 लोग दोषी

राजकोट, 24 दिसंबर (भाषा)।

2008 में दर्ज उपद्रव और तोड़फोड़ के एक मामले में दो विधायकों और एक पूर्व सांसद सहित 10 लोगों को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपा एस राजपूत ने जूनागढ़ और वांकानेर से कांग्रेस विधायकों–भिखाभाई जोशी और मोहम्मद जावेद पीरजादा के साथ राजकोट ईस्ट से पूर्व कांग्रेस विधायक इंद्रनील राजगुरु और पूर्व भाजपा सांसद देवजी फतेपारा व छह अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें एक साल जेल की सजा सुनाई और सभी पर पांच–पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

शेफ और मॉडल जगी जॉन घर में मृत मिलीं

तिरुवनंतपुरम, 24 दिसंबर (भाषा)।

मशहूर शेफ, टीवी प्रस्तोता और मॉडल जगी जॉन (38) यहां कुरावणकोणम स्थित अपने घर में मृत पाई गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। योग और खाना पकाने संबंधी कई मशहूर वीडियो बनाने वाली जॉन का शव सोमवार को उनके रसोईघर में पाया गया।

जॉन के दोस्तों ने उनसे संपर्क न होने की स्थिति में पुलिस को सूचना दी। जगी घर में अपनी मां के साथ रहती थीं। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि जॉन के सिर के पीछे चोट का निशान था जो मौत का कारण हो सकता है। शव परीक्षण मंगलवार को होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शव को अंतिम संस्कार के लिए कोतराक्कारा ले जाया गया है।

विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले जर्मन विद्यार्थी ने देश छोड़ा

चेन्नई, 24 दिसंबर (भाषा)।

पिछले सप्ताह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाला एक जर्मन विद्यार्थी भारत से चला गया है।

आव्रजन विभाग ने घरेलू मुद्दों पर प्रदर्शन में उसके भाग लेने को वीजा विनियमों का कथित उल्लंघन माना और उसे देश छोड़कर चले जाने को कहा था। आइआइटी मद्रास के सूत्रों ने बताया कि जर्मन विद्यार्थी जैकब लिंडेनथल कल रात देश से चला गया। वह इस संस्थान के भौतिकी विभाग से जुड़ा था और आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत यहां आया था।

पिछले सप्ताह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ यहां संस्थान के गजेंद्र चौराहे के पास प्रदर्शन के दौरान उसने साथी प्रदर्शनकारियों से कहा था कि (हिटलर के शासनकाल में) यहूदियों के खिलाफ शुरू में छोटे छोटे कदमों पर ध्यान नहीं दिया गया था। अंतोगत्वा ऐसे ही कदमों से उनका नरसंहार हुआ।

जैकब के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, '1933–45 के दौरान हम वहां नहीं थे।' इस तरह उसमें 1933–45 के दौरान जर्मनी में हिटलर के शासन में यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का परोक्ष जिक्र किया गया था। उसके हाथ में एक और तख्ती थी जिस पर लिखा था, 'बिना असहमति के लोकतंत्र नहीं।'

विक्रय सूचना
सुन्दर एग्रो मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (अधीन सीआईआरपी)
समाधान प्रोफेशनल('आरपी') : श्री अनिल कुमार मित्तल

समाधान प्रोफेशनल पता : ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली– 110048
ईमेल आईडी : assetsale1@aaainsolvency.in,sunderagromills@aaainsolvency.com
फोन : +91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा / राजकुमार)
ई निलामी : ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री.
ई निलामी की तिथि एवं समय: 09 जनवरी, 2020 को अपराहन 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली पीठ के आदेश दिनांक 08 नवम्बर 2019, द्वारा नियुक्त समाधान प्रोफेशनल द्वारा इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स) अधिनियम 2016 के अधिनियम 29 के तहत सुन्दर एग्रो मिल्स प्रा. लि.–अधीन सीआईआरपी के स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों की बिक्री विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–निलामी प्लेटफार्म https://aaa.auctiontiger.net के माध्यम से किया जायेगा।

आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	वृद्धिशील मूल्य
कार: आई 20 स्पोर्टस पीटीवीटी (2017–मॉडल) 7060 केएम ब्लैक सिल्वर कलर	ब्लॉक 1	रू. 3.92 लाख	रू. 40 हजार	रू. 5 हजार

ई–नीलामी के नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं– 1. ई–नीलामी ''जहां है जैसे है'', ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है'' आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित की जायेगी। 2. आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ प्रपत्र, ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://aaa.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क व्यक्ति श्री तिलक मराठा +91-6351896834/07961200580/84 & tilak@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net (लिंक https://aaa.auctiontiger.net पर जाने के बाद इच्छुक संविदाकार को विकल्पों (i) कम्पनी का नाम (सुन्दर एग्रो मिल्स प्रा. लि.) अथवा (ii) राज्य तथा सम्पत्ति में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके उल्लिखित कम्पनी को ढूंढना होगा।) 3. अपनी संविदा जमा करने से पूर्व इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति के स्वामित्व, स्थानीय बकाया कर, विद्युत एवं पानी के प्रभार, रखरखाव प्रभार, यदि कोई हो, के सम्बंध अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा स्वयं के व्यय पर एवं संतुष्टि के लिए सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए। साइट पर सम्भावित संविदाकारों द्वारा उपर्युक्त का निरीक्षण पूर्व सूचना देकर **श्री पुनीत सचदेवा / श्री राज कुमार: +91-8800865284** से सम्पर्क करके किया जा सकता है। 4. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो डीडी / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ''सुन्दर एग्रो मिल्स प्रा. लि., खाता सं. 022802000004573, इण्डियन ओवरसीज बैंक, मॉडल टाउन, दिल्ली शाखा, आईएफएससी कोड IOBA0000288, 11वां तल, डी माल, नेता जी सुभाष प्लेस पीतमपुरा, दिल्ली, मॉडल टाउन, रा.रा.क्षे.दिल्ली, 110034 के खाते में या सुन्दर एग्रो मिल्स प्रा. लि. (अधीन सीआईआरपी) के नाम से किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से जमा करनी अपेक्षित है अथवा सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में प्रदत्त प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी के अनुसार ईएमडी हेतु बैंक गारंटी देनी होगी। 5. इच्छुक संविदाकार को (1) पहचान प्रमाण पत्र (2) वर्तमान निवास प्रमाण (3) पैन कार्ड (4) वैध ई मेल आईडी (5) लैण्डलाइन तथा मोबाइल फोन नम्बर (6) परिशिष्ट I के अनुसार शपथ पत्र तथा दायित्व पत्र (7) परिशिष्ट II के अनुसार संविदा आवेदन प्रपत्र (8) परिशिष्ट III के अनुसार संविदाकार द्वारा घोषणा–पत्र की स्वप्रमाणित सहित ई–नीलामी में भाग लेने हेतु निवेदन पत्र, ईएमडी जमा अथवा बैंक गारंटी के प्रमाण करने होंगे, इन परिशिष्टों के प्रारूप सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिये जा सकते हैं। ये दस्तावेज 6 जनवरी 2020 को सायं 5.00 बजे तक या इससे पूर्व ई–मेल द्वारा अथवा नीचे दिये गये कार्यालय परिसमापक के पते पर पहुँच जाना चाहिए। इच्छुक संविदाकारों को ईएमडी जमा के विवरण सहित अपने केवाईसी दस्तावेज 6 जनवरी 2020 को सायं 5.00 बजे से पूर्व https://aaa.auctiontiger.net पर अपलोड करने होंगे। 6. पोर्टल (https://aaa.auctiontiger.net) पर ई नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र संविदाकारों के नाम समाधान प्रोफेशनल द्वारा चिन्हित किए जायेंगे। ई–नीलामी सेवा प्रदाता (ऑक्शन टाइगर) पात्र संविदाकारों को ई–मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेगा। 7. यदि संविदा ई–नीलामी बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित आगे बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने पर उच्चतम संविदा राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) की बोली जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और उस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्प्रेषण निर्गत किया जायेगा जो समाधान प्रोफेशनल के अनुमोदन का विषय होगा। 8. सफल संविदाकार की ईएमडी विक्रय विचारार्थ विक्रय के अंश के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। **ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।** समाधान प्रोफेशनल सफल संविदाकार को एक आशय पत्र निर्गत (एलओआई) करेगा और सफल संविदाकार को शेष राशि (सफल संविदा राशि –ईएमडी राशि) एलओआई के निर्गमन के 15 दिनों के भीतर समाधान प्रोफेशनल के पास जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित के अनुसार समय सीमा के भीतर सफल संविदाकार द्वारा शेष राशि जमा करने में चूक करने पर सफल संविदाकार द्वारा सम्पूर्ण जमा राशि (ईएमडी +कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी। 9. सफल संविदाकार नीलामी पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प शुल्क / अन्तरण प्रभार, शुल्क आदि तथा समस्त स्थानीय कर, शुल्क दर, अभिनिर्धारण प्रभार, शुल्क आदि संविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा। 10. समाधान प्रोफेशनल को किसी या सभी प्रस्ताव(वों) को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी को स्थगित / विलम्बित / निरस्त करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से सम्पत्ति या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। 11. सम्पूर्ण विक्रय प्रक्रिया के भुगतान के पश्चात विक्रय प्रमाणपत्र / अनुबन्ध केवल सफल संविदाकार के नाम से निर्गत किया जायेगा और किसी अन्य के नाम से नहीं निर्गत किया जायेगा। 12. यह विक्रय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 तथा उसके तहत विनियमों के प्रावधानों का विषय होगा। 13. यदि एक से अधिक संविदाकार ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में समाधान प्रोफेशनल को हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। 14. सफल संविदाकार को कम्पनी के व्यवसाय व संचालन के लिए समाधान प्रोफेशनल के माध्यम से कार्य करने वाली कम्पनी द्वारा स्थापित और व्यवस्थित किए गये डाटा रूम (डाटा रूम) में पहुँच तथ्य जानने के लिए प्रदान की जायेगी। इच्छुक संविदाकार को ई–नीलामी तिथि तक डाटा रूम में जाने व सूचना पाने की इजाजत होगी। इच्छुक संविदाकार द्वारा डाटा रूम में सूचनाओं उपयोग, समय–समय पर समाधान प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकता है। 15. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 9 जनवरी 2020 को अपराहन 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे (5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

हस्ता.
श्री अनिल कुमार मित्तल (समाधान प्रोफेशनल)
सुन्दर एग्रो मिल्स प्रा. लि. के मामले में
आईबीबीआई (पंजीकरण सं. (IBBI Regn. No- IBBI/IPA-002/IP-N00742/2018-2019/12263
पता : ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली– 110048
ईमेल आईडी : assetsale1@aaainsolvency.in, sunderagromills@aaainsolvency.com
(श्री पुनीत सचदेवा / राजकुमार)
तिथि : 24.12.2019, स्थान: नई दिल्ली
फोन (011 4666 4618); +918800865284

HDFC
WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली–110 067
दूरभाष: 011–41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम / ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री सादत अनवर एवं श्रीमती शबनम सादत (ऋण खाता सं. 623521336)	30–अप्रैल–2019* को बकाया रु. 68,34,714/– (केवल अड़सठ लाख चौंतीस हजार सात सौ चौदह रुपये)	14–मई –2019	20–दिसम्बर –2019 (भौतिक)	फ्लैट नं.–टी1/0012, भू–तल, टॉवर 1, रहेजा सम्पदा टी1, सैक्टर 92, गांव सिवाना, तहसील वाजीरपुर, गुड़गांव भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्री मनोज गौड़ (ऋण खाता सं. 610860435)	30–जून–2019* को बकाया रु. 44,17,093/– (केवल चवालीस लाख सत्रह हजार तिरानवे रुपये)	12–जुलाई –2019	23–दिसम्बर –2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. 1406, 14वीं मंजिल, टॉवर ए, मुलबेरी काउंट्री, सैक्टर 70, गांव मुजेरी, फरीदाबाद भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
3.	श्री अजय कुमार शर्मा (ऋण खाता सं. 610730297)	30–जून–2019* को बकाया रु. 43,22,023/– (केवल तैंतालीस लाख बाईस हजार तेईस रुपये)	12–जुलाई –2019	23–दिसम्बर –2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. ए–905, 9वीं मंजिल, ब्लॉक ए, मुलबेरी काउंटी, सैक्टर 70, गांव मुजेरी, फरीदाबाद, हरियाणा पर स्थित भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
4.	श्री प्रवीण गुप्ता एवं सुश्री बबिता गुप्ता (ऋण खाता सं. 610703859)	30–जून–2019* को बकाया रु. 35,24,911/– (केवल पैंतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ ग्यारह रुपये)	12–जुलाई –2019	23–दिसम्बर –2019 (भौतिक)	फ्लैट नं. ए–1105, 11वीं मंजिल, ब्लॉक ए, मुलबेरी काउंटी, सैक्टर 70, गांव मुजेरी, फरीदाबाद, हरियाणा भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
5.	श्री संदीप चोपड़ा (ऋण खाता सं. 610846585)	31–जुलाई–2019* को बकाया रु. 47,96,339/– (केवल सैंतालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ उनतालीस रुपये)	12–सितम्बर –2019	23–दिसम्बर –2019 (भौतिक)	फ्लैट बी–508, 5वीं फ्लोर, टॉवर बी, मुलबेरी काउंटी, सैक्टर 70, गांव मुजेरी, फरीदाबाद, हरियाणा, भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
6	श्री बलजीत गुलाटी एवं श्रीमती हेमा गुलाटी (ऋण खाता सं. 581435623)	31–अगस्त–2019* को बकाया रु. 19,64,282/– (केवल उन्नीस लाख चौंसठ हजार दो सौ बयासी रुपये)	30–सितम्बर –2019	20–दिसम्बर –2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. 1703, 7वीं मंजिल, नगीना सीजीएचएस लि., प्लॉट नं0 95, सैक्टर 54, गुणगांव, हरियाण और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
7.	श्री डी. एन. भोलाप्रसाद गौड़ एवं श्रीमती पुष्पा देवी (ऋण खाता सं. 623409052)	31–जुलाई–2019* को बकाया रु. 12,18,387/– (केवल बारह लाख अठारह हजार तीन सौ सत्तासी रुपये)	03–सितम्बर –2019	23–दिसम्बर –2019 (प्रतिकात्मक)	हाउस नं. 5970, भू–तल, एल.आई.जी. पॉकेट –1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सैक्टर – 3, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
8.	श्री विपिन वर्मा (ऋण खाता सं. 612224693)	31–मई–19* को बकाया रु. 22,42,398/– (केवल बाईस लाख बयालीस हजार तीन सौ अठानवे रुपये)	12–जुलाई –2019	23–दिसम्बर –2019 (प्रतिकात्मक)	यूनिट# 1505, 14वीं मंजिल, बिल्डिंग नं. 5, टॉवर आनंदम, अंसल रॉयल हैरिटेज, सैक्टर–70, गांव मुझेरी, फरीदाबाद भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
9.	श्री विशाल जोशी (ऋण खाता सं. 635085549)	30–जून–2019* को बकाया रु. 18,89,701/– (केवल अठारह लाख नवासी हजार सात सौ एक रुपये)	12–जुलाई –2019	23–दिसम्बर –2019 (प्रतिकात्मक)	यूनिट नं0 एफ–46, प्रथम तल के साथ प्लॉट नं 1 सैक्टर 12, फरीदाबाद, हरियाणा, पर स्थित बिल्डिंग एल्डेको स्टेशन 1 में क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
10.	श्री परमवीर सिंह राय एवं सुश्री अनीता बर्थवाल (ऋण खाता सं. 612690793)	30–अप्रैल–2019* को बकाया रु. 32,53,453/– (केवल बत्तीस लाख तिरपन हजार चार सौ तिरपन रुपये)	15–मई –2019	23–दिसम्बर –2019 (प्रतिकात्मक)	यूनिट नं. टी4/1404, 13वीं मंजिल, टॉवर मौर्या, अंसल रॉयल हेरिटेज, सैक्टर–70, गांव मुझेरी, फरीदाबाद, भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालाँकि, चूँकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार / रों बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी / रियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्र. सं. 1, 2, 3, 4 और 5 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों) / प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **भौतिक कब्जा** तथा क्र. सं. 6, 7, 8, 9, और 10 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों) / प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **प्रतिकात्मक कब्जा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों) / कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों) / प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति (यों) / प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के बंधक के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों) / कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट / आमंत्रित किया जाता है / जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदार (रों) / कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) / विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है / हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 24.12.2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
60/–
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई –400 020

(This is only an advertisement for information purpose and not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase, or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.)

DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED

CIN: U74999MH2019PLC319622

Our Company was originally formed as a Partnership Firm under the Indian Partnership Act, 1932 in the name and style of *"DC Infotech"* pursuant to partnership deed dated April 01, 1998 at Mumbai, Maharashtra. Further the Partnership Firm was converted into Public Limited Company *"DC Infotech and Communication Limited"* on January 15, 2019 pursuant to Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. The Corporate Identification Number of our Company is U74999MH2019PLC319622. For further details, please refer the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 117 of the Prospectus.

Registered Office: Unit No. 2, Aristocrate, Ground Floor, Lajya Compound, Mogra Road, Andheri (East), Mumbai 400069, Maharashtra, India.
Tel: 022-28329000; **E-mail:** cs@dcinfotech.com; **Website:** www.dcinfotech.com
Company Secretary and Compliance Officer: Nikita Shukla

OUR PROMOTERS : CHETANKUMAR TIMBADIA AND DEVENDRA SAYANI

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 24,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), (INCLUDING A PREMUIM OF ₹ 35.00 PER EQUITY SHARE), AGGREGATING ₹ 1,080.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,26,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00/- FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45.00 EACH AGGREGATING ₹ 56.70 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 22,74,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 45 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 1,023.30 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 40.00 % AND 37.90 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 45.00/- EACH
THE ISSUE PRICE IS 4.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF EQUITY SHARE

ISSUE PROGRAMME
ISSUE OPENED ON: DECEMBER 12, 2019
ISSUE CLOSED ON: DECEMBER 18, 2019

The Equity Shares of the Company offered through the Prospectus dated November 28, 2019 are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited (**"NSE EMERGE"**) in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018. Our Company has received an In-principle approval dated October 01, 2019 from National Stock Exchange of India Limited for listing our shares and also for using its name in the offer document for listing of our shares on EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purpose of the Issue NSE EMERGE will be the Designated Stock Exchange The Issue is being made through the Fixed Price Issue process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made as per Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time, wherein (a) minimum 50% of the net issue of shares shall be allocated to retail individual investors and (b) remaining to: (i) individual applicants other than retail individual investors; and (ii) other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of number of specified securities applied for; Provided that the unsubscribed portion in either of categories specified in clauses (a) or (b) may be allocated to applicants in the other category.

All investors have participated in this offer through ASBA process including through UPI mode (as applicable) by providing the details of the respective bank accounts / UPI ID as applicable in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs") / Sponsor Bank as the case may be. For details in this regard, specific attention is invited to chapter titled *"Issue Procedure" on page 224 of the Prospectus.*

SUBSCRIPTION DETAILS

Details of the application :
The Issue has received 686 applications (before rejections and Bids not Banked) for 37,56,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 1,26,000 Equity Shares) resulting 1.565 times subscription. The details of the applications received in the Issue (before technicalrejections but before Bids not banked) are as follows:

Details of valid Applications Received (Before Technical Rejection and before bids not banked):

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares	Subscription
Market Maker	1	1,26,000	1.00
Other than Retail Individual Investor's	17	16,26,000	1.430
Retail Individual Investor's	668	20,04,000	1.763
TOTAL	**686**	**37,56,000**	**1.565**

Details of bids not banked are detailed below :

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares
Other than Retail Individual Investor's	Nil	Nil
Retail Individual Investor's	23	69,000
TOTAL	**23**	**69,000**

Details of applications rejected by the Registrar on technical grounds are detailed below :

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares
Market Makers	Nil	Nil
Other than Retail Individual Investor's	Nil	Nil
Retail Individual Investor's	40	1,20,000
TOTAL	**40**	**1,20,000**

Details of valid Applications Received (After Technical Rejection and bids not banked) :

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares	Subscription	Revise Subscription
Market Makers	1	1,26,000	1.00	1.00
Other than Retail Individual Investor's	17	16,26,000	1.430	1.513
Retail Individual Investor's	605	18,15,000	1.596	1.514
TOTAL	**623**	**35,67,000**	**1.486**	**1.486**

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange–NSE EMERGE on December 23, 2019

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker at the issue price of ₹45.00/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE EMERGE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,26,000 Equity shares in full out of reserved portion of 1,26,000 Equity Shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors at the issue price of ₹ 45.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE EMERGE. The category was subscribed by 1.514 times. Total number of shares allotted in this category is 12,00,000 Equity shares.

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in Retail Individual Investors category	% of total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant (Before Rounding Off)	Allocation per Applicant (After Rounding Off)	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Equity Shares allotted	Surplus/ (Deficit)
3,000	605	100.00	18,15,000	100.00	12,00,000	1,983.47	3,000	80:121	12,00,000	0.00
Total	**605**	**100.00**	**18,15,000**	**100.00**	**12,00,000**	-	-	-	**12,00,000**	**0.00**

C. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹45.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE EMERGE. The category was subscribed by 1.513 times. Total number of shares allotted in this category is 10,74,000 :

No. of Shares Applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% of total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant Before rounding off	Allocation per Applicant After Rounding Off	Ratio of Allottees to Applicant	Total No. of Shares allocated/ allotted	Surplus/ Deficit
6,000	5	29.41	30,000	1.84	19,815	3,963	3,000	1:1	15,000	-4815
6,000							3,000	2:5	6,000	6000
9,000	1	5.88	9,000	0.55	5,945	5,945	6,000	1:1	6,000	55
15,000	1	5.88	15,000	0.92	9,908	9,908	9,000	1:1	9,000	-908
21,000	1	5.88	21,000	1.29	13,871	13,871	15,000	1:1	15,000	1129
1,11,000	3	17.64	3,33,000	20.47	2,19,952	73,317	72,000	1:1	2,16,000	-3952
1,11,000							3,000	1:3	3,000	3000
1,14,000	2	11.76	2,28,000	14.02	1,50,598	75,299	75,000	1:1	1,50,000	-598
1,20,000	1	5.88	1,20,000	7.38	79,262	79,262	81,000	1:1	81,000	1,738
1,23,000	1	5.88	1,23,000	7.56	81,244	81,244	81,000	1:1	81,000	-244
3,00,000	1	5.88	3,00,000	18.45	1,98,155	1,98,155	1,98,000	1:1	1,98,000	-155
4,47,000	1	5.88	4,47,000	27.49	2,95,250	2,95,250	2,94,000	1:1	2,94,000	-1,250
Total	**17**	**100.00**	**16,26,000**	**100.00**	**10,74,000**	-	-	-	**10,74,000**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on December 23, 2019 has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE EMERGE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares in dematerialised form to various successful applicants.

The CAN-cum-Refund Orders and allotment advice and/or notices shall be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before December 26, 2019. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks and Sponsor Bank being processed on or prior to December 24, 2019 for unblocking fund. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE EMERGE within Six working days from the date of the closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on or before December 27, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from the NSE EMERGE.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, **Satellite Corporate Services Private Limited** at www.satellitecorporate.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below.

REGISTRAR OF THE ISSUE

SATELLITE

SATELLITE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
Unit No. 49, Building No. 13 A-B, 2nd Floor, Samhita Commercial Co-op Society Ltd. off Andheri Kurla Road, MTNL Lane, Sakinaka, Mumbai 400072, Maharashtra, India | **Tel. No.:** 022 – 28520461/462 | **Website:** www.satellitecorporate.com
Email id: service@satellitecorporate.com | **Investor Grievance E-mail:** sme.ipo@satellitecorporate.com
Contact Person: Michael Monteiro | **SEBI Registration Number:** INR00003639

FOR, DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED
Sd/-
Chetankumar Timbadia
DIN: 06731478
Managing Director

Place : Mumbai
Date : December 24, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF DC INFOTECH AND COMMUNICATION LIMITED.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the united states or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1993.

Raka

www.readwhere.com

जनसत्ता

25 दिसंबर, 2019

खतरे की घंटी

साल के आखिरी हफ्ते में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर खतरे की घंटी बजी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस वक्त मंदी का जो माहौल है, वह किसी गंभीर संकट से कम नहीं है और मंदी से उबरने के लिए सरकार को तत्काल नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। आइएमएफ की यह चेतावनी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की विफलता को बताने के लिए पर्याप्त है। भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत साल भर पहले हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त सरकार मंदी की बात को खारिज करती रही और स्थिति बिगड़ती चली गई। अब विश्व बैंक सहित दुनिया की बड़ी रेंटिंग एजंसियां और यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ने भी आर्थिक वृद्धि में गिरावट के जो अनुमान व्यक्त किए हैं, वे इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि अर्थव्यवस्था में भारी मंदी है और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हाल-फिलहाल इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। इस संकट से निकलने के सरकार को नीतिगत स्तर पर जो काम करना चाहिए, उसका अभी अभाव दिख रहा है। आइएमएफ की चिंता भी इसी को लेकर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण जो भी रहे हों, उनके समाधान अगर वक्त रहते होते रहते तो आज हालात गंभीर नहीं होते। मंदी के जो चक्रीय कारण होते हैं, उनसे निपटना कहीं आसान होता है, लेकिन भारत में समस्याएं सुलझने के बजाय ज्यादा उलझती जा रही हैं। इसीलिए आइएमएफ ने वित्तीय क्षेत्र के सुधार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस रफ्तार से वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बारे में सोचा रहा था, वह उतना तेज हो नहीं पाएगा। इसका मतलब साफ है कि वित्तीय क्षेत्र की हालत सबसे खराब है। सरकारी बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। बैंकों को संकट से निकालने के लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में भारी-भरकम पैकेज भी दिए, लेकिन आज भी बैंक लड़खड़ाए हुए हैं। वित्तीय संस्थानों में हुए बड़े घोटालों ने भी अर्थव्यवस्था पर चोट की है। आइएलएंडएफएस के एक लाख करोड़ से ज्यादा घोटाले, पीएमसी, घोटाले, दीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों के हजारों करोड़ के घोटाले बता रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। इन सबका असर यह हुआ है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों ने उद्योगों को कर्ज देने से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। इसलिए छोटे-बड़े उद्योगों में मंदी छाई हुई है।

इस वक्त बड़ी चुनौती बचत, खपत और निवेश के असंतुलन को दूर करने की है। मंदी की मार से त्रस्त ज्यादातर उद्योगों में नौकरियां नहीं हैं और लाखों लोग बिना रोजगार के बैठे हैं। ऐसे में सरकार मांग और उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात कर रही है। प्रश्न इस बात का है कि लोगों के पास जब काम नहीं होगा तो खर्च करने को पैसा कहां से आएगा और कैसे बाजार में मांग बनेगी? जब मांग नहीं होगी तो फैक्ट्रियां और कारखाने बनाएंगे क्या? जब औद्योगिक गतिविधियां सुस्त होंगी तो कैसे विकास दर बढ़ेगी? अर्थव्यवस्था की सुस्ती का सबसे बुरा असर तो यह पड़ा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। विदेश व्यापार चौपट हालत में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जिस तरह बंटाधार हुआ है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार बार-बार यह दावा रही है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। पर सवाल है कि फिर क्यों नहीं हम मंदी मार से उबर पा रहे?

हादसों की सड़क

सड़कों पर दुर्घटनाएं और उसमें होने वाली मौतें चिंता के नए विषय नहीं हैं। लेकिन इस चिंता के मद्देनजर समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस पहलकदमी हुई, इसकी सच्चाई हर कुछ समय बाद आती रहती है। स्वास्थ्य पत्रिका लांसेट में सोमवार को प्रकाशित एक ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत में 2017 में हुए सड़क हादसों में करीब सवा दो लाख लोगों की मौत हुई। इसके अलावा देश भर में पंद्रह से लेकर उनचालीस साल के बीच की उम्र के लोगों की समय से पहले मौत की सबसे मुख्य वजह के रूप में सड़क दुर्घटना को दर्ज किया गया है। यह तथ्य अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अलग-अलग वजहों से होने वाले सड़क हादसों में मरने वालों और इससे जुड़ी व्यापक समस्या को लेकर सरकार की रीति-नीतियां किस कदर उदासीनता की शिकार हैं। इतनी बड़ी तादाद में होने वाले हादसों से न केवल बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, उनके विकास पर उल्टा असर पड़ता है, सामाजिक नतीजे त्रासद रूप से प्रभावित होते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचता है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली जन-क्षति को क्या एक गंभीर समस्या के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए?

लांसेट की इस रिपोर्ट में दर्ज यह तथ्य चिंताजनक है कि इन हादसों में मरने वालों में आधे से ज्यादा लोग पैदल यात्री और मोटरसाइकिल सवार थे। यह आंकड़ा वैश्विक औसत से भी अधिक है। सलीकों की बात करें तो यह माना जाता है कि सड़क पर पैदल यात्रा करने वालों का पहला हक होता है। कई देशों में यह यातायात की संस्कृति बन चुकी है कि अगर कोई पैदल सफर कर रहा व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश में होता है तो वाहन चालक गाड़ी को रोक लेते हैं। लेकिन हमारे यहां अगर इतनी बड़ी तादाद में पैदल चलने वाले दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, तो यह सोचने की बात है कि क्या इसके लिए केवल पीड़ित जिम्मेदार है या फिर सड़क निर्माण, ढांचे और यातायात के कायदों में कोई ऐसी कमी है कि उसमें पैदल यात्रियों को गैर-महत्त्वपूर्ण माना जाता है! क्या सामान्य से लेकर व्यस्त सड़कों तक पर पैदल यात्रियों या दोपहिया वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं हो सकती है? लेकिन इसके उलट कई जगहों पर यह देखा जा सकता है कि पैदल चलने के लिए सड़कों के किनारे बने फुटपाथ की जगहों को वाहनों की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह किस तरह की यातायात नीति है?

सही है कि सड़कों पर होने वाले हादसों के लिए मुख्य रूप से यातायात नियमों से लेकर उनके पालन में लापरवाही सबसे बड़ा कारक है। लेकिन क्या सुव्यस्थित सड़कों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के मामले में भी कमी नहीं दिखती है? सड़कें मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग और आर्थिक विकास का एक सबसे महत्त्वपूर्ण साधन रही हैं। लेकिन यही सड़कें अगर व्यापक स्तर पर मानव संसाधनों की क्षति की वजह बन रही हैं तो क्या सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या इनके निर्माण में वैज्ञानिक पद्धति के लिहाज से कोई कमी है या फिर क्या उनमें कोई सुधार की जरूरत है! विडंबना यह है कि हर थोड़े अंतराल पर आने वाले अध्ययनों और रिपोर्टों में यह बताया जाता है कि इस तरह के हादसों की प्रकृति क्या है, उनकी वजहें क्या हैं, उनसे निपटने के रास्ते क्या हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इतनी गंभीर समस्या के प्रति सरकारों की अनदेखी की वजह क्या हो सकती है! आखिर हर साल लाखों लोगों के नाहक ही जान गंवाने के मसले के प्रति इस स्तर तक उदासीन कैसे रहा जा सकता है?

कल्पमेधा

झूठ बोलना तलवार के घाव की तरह है।
घाव तो भर जाएगा, लेकिन उसका
निशान हमेशा बना रहेगा।
– शेख सादी

नागरिकता का सवाल और संकट

जाहिद खान

> असम की मिसाल सबके सामने है। एनआरसी को लेकर पिछले पांच साल में राज्य में जो अफरा-तफरी मची, उसने सभी को परेशान करके रख दिया। अपने आप को भारतीय साबित करने के लिए लोगों को क्या-क्या जतन नहीं करने पड़ रहे? राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इस कवायद में उलझी रही। इतना समय और अरबों रुपए खर्च करने के बाद जब अंतिम मसौदा सामने आया, तो उसमें लाखों वास्तविक भारतीय इस सूची से बाहर हो गए।

पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर सारे देश में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 का विरोध हो रहा है। विरोध की आग चारों तरफ फैल गई है। लोग बिना किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में स्वतः स्फूर्त इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सरकार, देश के नागरिकों की चिंताओं और मांग को सहानुभूति से देखती-सुनती-समझती, इसके उलट वह उनके दमन पर उतर आई है। चारों तरफ अव्यवस्था, अराजकता और डर का माहौल है। नागरिकता बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश की सरकारों ने तो अपने यहां नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से मना कर दिया है।

सरकार के संसद में इस आश्वासन कि उन राज्यों में नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नहीं होगा, जो इनर लाइन परमिट या छठी अनुसूची के दायरे में आते हैं के बावजूद आंदोलनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ है। मालूम हो कि छठी अनुसूची जनजातीय परिषदों को ज्यादा स्वायत्तता देती है। नया प्रावधान पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा। असम के कुछ ही जिलों में छठी अनुसूची लागू है। चूंकि असम इनर लाइन परमिट वाला राज्य नहीं है, इसलिए यह पूर्वोत्तर का अकेला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां बांग्लादेश से आए अवैध हिंदू शरणार्थी बसाए जा सकेंगे। यही वजह है कि असम में ही इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों सहित असमिया लोगों की मूल समस्या बांग्लादेशियों के बढ़ते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व की है। उनका डर है कि नागरिकता संशोधन कानून के अमल में आने के बाद उनकी जमीन, भाषा, पहचान और रोजगार पर संकट आ जाएगा। पूर्वोत्तर के सात राज्यों में दो सौ अड़तीस मूल जनजातियां ऐसी हैं, जो आस्था से हिंदू नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोगों को यहां बसाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं। वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर्म और भाषा के आधार पर अलग नहीं करते। असमिया लोगों की नजर में सारे बांग्लादेशी उनका हक मार रहे हैं। यही वजह है कि वे सभी से एक समान नफरत करते हैं। इन राज्यों में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा में सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान ही नहीं मारे गए हैं, बल्कि बांग्लादेशी हिंदू या बांग्लाभाषी हिंदू भी इसका शिकार हुए हैं।

15 अगस्त, 1985 को तत्कालीन केंद्र, राज्य सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) तीनों के बीच जो असम समझौता हुआ था, उसमें सहमति बनी थी कि 1971 से पहले जो लोग असम में आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। समझौता स्पष्ट तौर पर कहता है कि 24 मार्च, 1971 के बाद आए सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। असम समझौते की मूल भावना को देखते हुए ही राज्य में एनआरसी अमल में आया। एनआरसी का मकसद भारतीय नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था। बहरहाल एनआरसी का जब अंतिम मसौदा सामने आया, तो उसमें उन्नीस लाख लोग ऐसे निकले, जो अपने आप को भारतीय साबित नहीं कर पाए। इनमें भी तेरह लाख लोग गैर मुसलमान यानी हिंदू और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग थे। इनमें पांच लाख चालीस हजार बांग्लादेशी हिंदू हैं। असम हो या पश्चिम बंगाल, ये हिंदू प्रवासी ही भाजपा के बड़े वोट बैंक हैं। इन्हीं के वोटों के सहारे पार्टी असम और पश्चिम बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव को फतह करना चाहती है। यही वजह है कि हिंदू प्रवासियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए केंद्र सरकार ने आनन-फानन में संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पारित करवा लिया।

नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से साल 2014 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के सभी अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, सिवाय मुसलमानों के। यही बात इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह है। देश का संविधान सभी भारतीयों के लिए नागरिकता के अधिकार की गारंटी देता है, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग या पेशा कुछ भी हो। नागरिकता संशोधन विधेयक लोगों के इस अधिकार को खत्म करता है। धर्म के आधार पर किसी की नागरिकता तय करने का अर्थ है, देश के संविधान को नकारना। जबकि देश की ताकत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जिसका अहम पहलू अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। नागरिकता संशोधन कानून के अलावा

देश के नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता एनआरसी को लेकर भी है। एनआरसी का प्रयोग, असम में पूरी तरह से विफल होने के बाद भी, सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है और अब वह एनआरसी को सारे देश में लागू करना चाहती है। इस बात का इरादा उसने सड़क से लेकर संसद तक में जाहिर किया है। एक ओर बार-बार यह कहा जा रहा है एनआरसी लागू होकर रहेगा, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संबंध में कैबिनेट में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। विपक्ष एनआरसी को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहा है, उन्हें डरा रहा है। नागरिक संशोधन कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में एनआरसी भ्रम और भय की जो स्थिति बनाई जा रही है, उससे लोग गुस्से में हैं।

असम की मिसाल सबके सामने है। एनआरसी को लेकर पिछले पांच साल में राज्य में जो अफरा-तफरी मची, उसने सभी को परेशान करके रख दिया। अपने आप को भारतीय साबित करने के लिए लोगों को क्या-क्या जतन नहीं करने पड़ रहे? राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इस कवायद में उलझी रही। इतना समय और अरबों रुपए खर्च करने के बाद जब अंतिम मसौदा सामने आया, तो उसमें लाखों वास्तविक भारतीय इस सूची से बाहर हो गए। इनमें बड़ी संख्या में असम में रह रहे हिंदीभाषियों के नाम भी शामिल नहीं थे। जिन लाखों लोगों के नाम छूटे, उनमें असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के रिश्तेदार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दुर्गा खाटीवाड़ा और असम आंदोलन की पहली महिला शहीद बजयंती देवी के परिवार के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी छबीलाल उपाध्याय की प्रपौत्री मंजू देवी सहित अनेक नामी-गिरामी हस्तियां हैं। जिन भारतीयों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आकर असम में बसने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है। विदेशी न्यायाधिकरण ने इनका नाम जबरन निष्कासन सूची में डाल दिया है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए, जिनमें विदेशी अधिकरण ने कुछ लोगों को महज इसलिए विदेशी घोषित कर दिया कि उनका नाम एनआरसी में तो था, लेकिन वे या उसका कोई प्रतिनिधि अधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ था।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एनआरसी के तहत देश के नागरिक के रूप में पुष्टि के लिए कौन-कौनसे दस्तावेज वैध माने जाएंगे। अभी तक जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक लोगों को करीब एक दर्जन दस्तावेज देने होंगे। ऐसे में एक गरीब एवं अनपढ़ व्यक्ति ऐसी जटिलताओं से कैसे निपटेगा, यह बड़ा सवाल है। सरकार ने अवैध घुसपैठियों एवं शरणार्थियों की पहचान के लिए क्या मापदंड तैयार किए गए हैं? यही वह वजह है, जिससे देश का हर नागरिक डरा हुआ है, खासतौर से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय। उन्हें डर है कि नागरिकता साबित करने की आड़ में कहीं उनके साथ भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। उनके संवैधानिक अधिकार, तो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि एनआरसी में नाम न होने की वजह से उन लोगों के नागरिक अधिकार, संपत्ति और तमाम सरकारी लाभ आदि एक झटके में छिन जाएंगे। जबकि अवैध आप्रवासियों को नागरिक संशोधन कानून भारत की नागरिकता प्रदान कर देगा।

समूह का सुख

गिरीश पंकज

दुनिया मेरे आगे

मेरा ही क्या, अनेक लोगों का यही अनुभव होगा कि अकेले में अकसर निराशा का भाव जन्म लेने लगता है। लेकिन समूह में रहने से मन में जीवंतता बनी रहती है। यह और बात है कि साधना या सृजन-कर्म के लिए आमतौर पर एकांत ही अनुकूल होता है। लेकिन मैं सामान्य स्थितियों की बात कर रहा हूं। मैंने कुछ लोगों को देखा और महसूस किया है कि अकेले में वे कुछ-कुछ उदास ही रहते हैं। मगर जब कुछ मित्रों या परिचितों के साथ होते हैं, तो चेहरे पर प्रसन्नता की तितली मंडराने लगती है। एकाकी-जीवन मनुष्य को कुछ कुछ वीतरागी किस्म का बना देता है। जबकि समूह में व्यक्ति सांसारिकता से जुड़ा रहता है। हताश-निराश व्यक्ति अगर अकेला रहे तो उसके मन में न जाने कैसे-कैसे गलत या निराशाजनक विचार उमड़ने लगते हैं! किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में विफल विद्यार्थी को अकेले नहीं रहने देना चाहिए। अकेले में हताशा में वह गलत कदम भी उठा सकता है।

मेरे एक मित्र जब सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें लगा कि अब जीवन में कुछ खास करने को नहीं रहा। वे निराशा के भंवर में डूबने-उतराने लगे। घर पर ही रहते। धीरे-धीरे वे अपने पुराने मित्रों से भी कटने लगे। यहां तक कि घर के सदस्यों के साथ भी घुलना- मिलना कम कर दिया। नतीजतन वे अवसाद में जाने लगे। आखिर वही हुआ, जिसकी आशंका थी। वे बीमार रहने लगे और हृदय रोगी बन कर एक दिन बिस्तर पकड़ लिया। फिर कुछ दिनों बाद ही वे संसार से कूच कर गए। मन में उत्साह कायम रहता तो शायद ठीक-ठाक जीवन जी लेते, मगर लोगों से कट कर जीवन को अनुपयोगी समझ कर हताश होना भारी पड़ गया।

जबकि उनके साथ ही सेवानिवृत्त हुए एक अन्य मित्र स्वस्थ और सानंद जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को रसमय बना लिया है। सुबह से शाम तक खुद को सामाजिक गतिविधियों में कुछ ऐसा व्यस्त किया कि वे अनेक लोगों की जरूरत बन गए। वरिष्ठ नागरिकों के समूह में तो उनका नियमित रूप से जाना होता है और वहां वे देश-दुनिया की चर्चा करते हैं और मगन रहते हैं। पहले वाले मित्र भी शुरू-शुरू में वरिष्ठ नागरिकों के उस फोरम में आते थे, पर कुछ दिनों के बाद आना ही बंद कर दिया।

कुछ लोग फितरत से अंतमुर्खी होते हैं। ऐसे लोग सबसे मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। यह कोई अच्छी आदत नहीं, पर इसे भी कुछ लोग गर्व से बताते हैं कि मैं तो किसी से ज्यादा मिलता-जुलता नहीं। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि कुछ लेखक भी अकेले रह कर कैसे सामूहिकता का बोध कर पाते हैं और कैसे आम जीवन की संवेदना को महसूस करके लिपिबद्ध भी कर लेते हैं। सामूहिकता से कट कर किया गया सृजन निष्प्राण होता है। उसमें अनुभव की कमी के कारण पठनीयता नहीं बन पाती। जैसी अकेले रहने के आदी व्यक्ति के जीवन से सरसता खत्म होती चली जाती है। पहले वाले मित्र आमतौर पर अकेले ही रहते थे. अपने कमरे में कैद। आत्मबंदी हों गोया। मित्रों ने उन्हें अक्सर समझाया कि आओ, बैठो। देश-दुनिया की चर्चा करो। हंसी-मजाक करो। सबके साथ रहो। मन में जो भावनाएं उमड़ रहीं हैं, उन्हें दूसरों से साझा करो। यही तो सामाजिकता है। लेकिन वे किसी की नहीं सुनते थे। न जाने क्यों उन्हें एकाकी जीवन ही रास आने लग गया था।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस नाते उसका यह दायित्व है कि वह समाज से जुड़ा रहे। समाज से कट कर, एक कमरे में सिमट कर आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं? तब तो बात समझ में आती है कि हमें कुछ एकांत चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी एकांत में चले जाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कहीं न नहीं किसी मुद्दे को लेकर तनाव या अवसाद ग्रस्त हैं। अवसाद से उबरने का सबसे सटीक फार्मूला यही है कि हम समूह में रहें। समूह में रह कर हम जीवन को प्रफुल्लित और उत्साहजनक बना सकते हैं। बीमार व्यक्ति भी समूह में आकर बीमारी से मुक्त होने लगता है। सामूहिक होना एक तरह से सुरक्षित होना भी है।

रात-बिरात अगर कोई लड़की अकेले कहीं जा रही है तो वह असुरक्षित हो सकती है। लेकिन उसके साथ तीन-चार लड़कियां हैं, तो वह हर हाल में सुरक्षित है। इसलिए हमेशा सामूहिकता की ताकत को समझना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आजकल 'महिला स्व सहायता समूह' बन रहे हैं। इसके सहारे कुछ महिलाएं पर्याप्त धन अर्जन भी कर रही हैं। अकेले काम करना और कुछ लोगों के साथ मिल कर काम करना, इसमें काफी फर्क आ जाता है। कोई बच्चा कमरे में अकेले पड़ा रहे तो वह उस फूल की तरह मुरझा जाता है, जिसे सींचा नहीं जाता। लेकिन जैसे ही वह मित्रों के साथ खेलने-कूदने लगता है तो इतने कितना प्रफुल्लित होकर घर लौटता है! मतलब यह कि सामूहिकता ऐसा जल है जो हमारे अंतर के हृदय सुमन को सदैव संचित करता रहता है। उसे मुरझाने नहीं देता। समूह में रह कर उसके सुख को वही समझ सकता है, जो सामूहिकता को जीता है।

सबका त्योहार

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां हर धर्म के त्योहार को हर धर्म के लोग मनाते हैं। हर धर्म और हर धर्म के त्योहार-पर्व हर धर्म के लोगों को इंसानियत और सबका सम्मान करने की शिक्षा देते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह (यीशु) के जन्मदिवस के उपलक्षय पर मनाया जाता है। यह सारी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसा मसीह ने अपने उपदेशों 'सुसमाचार' में दुनिया को इंसानियत का संदेश दिया है। आज जिस तरह समूची दुनिया में वैर-विरोध, हेराफेरी, बेईमानी, नफरत, हिंसा आदि दुनिया को पतन की ओर ले जानी वाली कुरीतियां बढ़ रही हैं।

अगर दुनिया का हर इंसान अच्छी राह पर चलना शुरू कर देगा तो दुनियां में फैली सभी कुरीतियों का खात्मा हो जाएगा और दुनिया जमीन पर ही स्वर्ग बन जाएगी। विश्वास है कि क्रिसमस वाले दिन ही सांता क्लॉज अपनी झोली में बच्चों के लिए तोहफे लेकर आता है। यह हर कोई अपने बच्चों को बताता है। लेकिन इसके साथ सभी अपने बच्चों को यह बताएं कि सांता क्लॉज सबको यह संदेश देता है कि जिंदगी में कभी गलत रास्ते पर न चलें। न बेईमानी, हेराफेरी करें और न ही कोई अनैतिक काम करें तो इससे बच्चों के कोमल मन में अच्छी बातें घर करेंगी। त्योहार कोई भी क्यों न हो, किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, उसे मनाने के साथ उसके इतिहास और उसकी शिक्षा का अनुसरण भी हर किसी को करना चाहिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

आग का दायरा

दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में हुए भयानक अग्निकांड की त्रासदी अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि सोमवार तड़के महानगर के किराड़ी इलाके में कपड़े की गोदाम में लगी आग ने नौ लोगों की जिंदगी छीन ली। दूसरी घटनाओं की तरह इस घटना में भी आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली में शॉर्ट सक्रिट की वजह से कई घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ समय पहले जामिया इलाके में इसी वजह से लगी आग में छह लोगों, तो अर्पित होटल में लगी आग में सत्रह लोगों को काल का ग्रास होना पड़ा था। आंकड़े बताते हैं कि 2017-2018 में 29,423 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 1267 लोग घायल हुए और 318 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में हर महीने इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन जिम्मेदार संबंधित महकमे और अधिकारी अपनी आंखें मूंदे रखते हैं। दिल्ली में आग की एक मुख्य कारण यह भी है जो हर बार सामने आते हैं। संकरी गलियां, जिसके कारण अग्निशामक गाड़ियां वहां या तो नहीं पहुंच पाती हैं या फिर उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चारों तरफ बिजली के तार का जंजाल लगा होना। लेकिन न तो जिम्मेदार सुध लेते है और न ही आम लोग। जरूरी है कि नगर निगम और सरकार हादसों पर लगाम लगाने पर काम करें।

● *गौतम, एमसीयू, खंडवा कैंपस*

बदलता दौर

जैसे-जैसे युग बदला है, मनुष्य की सोच में भी बदलाव आया है। आज दुनिया पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदल चुकी है। लोग फैशन के पीछे भाग रहे हैं और संसाधनों या सुविधाओं की वजह से बहुत आलसी भी हो गए हैं। वे ज्यादातर काम खुद से नहीं करते हैं और हाथ की जगह मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में लोग हाथ से काम करते थे। आज के जमाने में उसी काम के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि पहले जमाने के लोग स्वस्थ रहते थे और आज लोगों को उतनी ताकत नहीं है। ताकत इसलिए नहीं है कि लोग मशीन पर निर्भर करने लगे हैं। सुविधाओं का लाभ उठाना अलग बात है, लेकिन लोग जरूरी मेहनत भी नहीं करते हैं तो कैसे रहेंगे स्वस्थ। जिस तरह से युग में बदलाव आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि लोग शायद खाना भी मशीन से खाने लगेंगे। लोग और भी कमजोर हो सकते हैं। जब हम सब 2019 में जिंदगी गुजार रहे थे तो यह दुनिया चांद पर पहुंच गई थी। अब देखना है कि 2020 में क्या-क्या तकनीकी खोजें होती हैं और लोगों को शारीरिक मेहनत से कितनी दूर करती है।

● *मो जमील, मधुबनी, बिहार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हरित विकास

हाल ही में 'कॉप 25' में एक बार फिर कुछ खास नतीजे सामने नहीं आए और ऐसा पिछले पच्चीस सालों से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुआयामी और दूरगामी समस्या पैदा कर सकती है। यह जानते हुए कि खतरा सामने है, फिर भी हम हम कुछ नहीं कर रहे, सिवाए बात के अलावा। दरअसल, इसके निवारण के लिए कोई अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम भूगोल और पर्यावरण को राजनीतिक सीमाओं में बांध कर नहीं रख सकते। इसलिए जरूरी है कि बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मिल कर प्रयास किया जाए। ऐसी समस्या के पीछे एक कारण बहुत हद तक जिममेदार है, वह है जीडीपी आधारित प्रतिस्पर्धात्मक विकास, कि हमें इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है और हमें इतना! इसी चक्कर में हम पर्यावरण को नजरअंदाज कर देते है, अब जरूरी है कि जीडीपी के बजाय 'ग्रीन जीडीपी' आधारित विकास पर ध्यान लगाया जाए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी हम समस्या का समाधान पा सकते हैं। जब पूरा हमारा आधार ग्रीन जीडीपी आधारित आकलन हो जाएगा और इसमें सारे देश मिल जाएंगे, तब नए रास्ते निकलेंगे।

● *कुंदन वर्मा, बहराइच, उत्तर प्रदेश*

मुसीबत के वाहन

राष्ट्रीय हरित पंचाट यानी एनजीटी ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उसने दिल्ली सहित देश के 122 शहरों के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे वाहनों के पंजीकरण में कमी लाएं। यह वे शहर हैं, जहां के वायुमंडल में प्रदूषण का सर्वोच्च स्तर पाया गया है और पार्किंग की समस्या भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। एनजीटी ने इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बेहतर बनाने की भी अपील की है। इस धरा पर जगह तो उतनी की उतनी है, पर वाहनों की संख्या में दिन-प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। इसलिए परिवहन के साधनों को रखने के लिए जगह की मारामारी उत्तरोत्तर विकट होती जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या से भी महानगर और राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से ही जूझ रहे हैं। प्रदूषण की समस्या तो अपनी जगह यथावत है ही। इसलिए यह अंतहीन सिलसिला कहां पर जाकर थमेगा, कह पाना मुश्किल है।

● *ललित महालकरी, इंदौर*

हिमाचल में जल संग्रह की पुराना तरीका खातरी

खातरी शब्द से चंगर क्षेत्र के लोग ही परिचित होते हैं क्योंकि खातरी उनकी जिंदगी है। जल संग्रहण का यह सबसे बेहतरीन माध्यम आज मिटने की कगार पर है। लेकिन प्रदेश के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने अब इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है।

आज भी पीते हैं लोग खातरियों का पानी

बीरबल शर्मा
मंडी।

हर साल बढ़ते जलसंकट के बीच हिमाचल प्रदेश में प्राचीन समय से बनाए गए कृत्रिम जल स्रोत बड़ा सहारा बन रहे हैं। ये पहाड़ी को खोद कर उसमें गुफानुमा बड़ा गढ्डा तैयार करके बारिश के पानी को सहेज कर रखने व उसे प्रयोग में लाने की परंपरा रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऐसे स्रोतों, जिन्हें स्थानीय भाषा में खातरी कहा जाता है को पुनर्जीवित किया जाने लगा है। खातरी के पानी को आज भी दूसरे सभी पेयजलों से ज्यादा शुद्ध व पीने लायक माना जाता है।

हिमाचल प्रदेश के चंगर क्षेत्र में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिलों का काफी बड़ा भाग आता है। मंडी जिला यह चंगर क्षेत्र उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में रियासतकाल से ही पानी की विकराल समस्या रही है। इससे पार पाने के लिए बुजुर्गों ने एक नायाब तरीका खोजा था और उसे नाम दिया गया था खातरी। लोग अपने घर के पास मौजूद छोटी-बड़ी पहाड़ी के निचले हिस्से पर छेनी और हथौड़े की मदद से एक गड्ढा खोदते थे। यह खातरी कई फुट लंबी और गहरी होती थी। इसे बनाने में वर्षों लग जाते थे। जब यह खातरी बनकर तैयार हो जाती थी तो इसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था।

हिमाचल

धर्मपुर क्षेत्र निवासी कृष्ण चंद पराशर बताते हैं कि चंगर क्षेत्र में कहावत है कि गंगा का पानी खराब हो सकता है लेकिन खातरी का पानी नहीं, क्योंकि यह पानी पूरी तरह से फिल्टर होकर आता है। खातरी में जमा पानी का वर्ष भर बिना किसी डर से इस्तेमाल किया जा सकता था।

लेकिन आज घर-घर तक पानी पहुंचने से यह समस्या हल हुई है और खातरियों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। यही कारण है कि आज ये खातरियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।

अब राज्य सरकार ने इस जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल संरक्षण की अपील के बाद हिमाचल प्रदेश के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इन खातरियों को साफ करने का अभियान छेड़ दिया है।

ठाकुर का कहना है कि जल संग्रहण में खातरियों से बड़ा और कोई विकल्प नहीं, इसलिए इन्हें हर हाल में पुनर्जीवित करना है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़े तो इनके पानी का भी इस्तेमाल किया जा सके।

भविष्य में जल संकट विश्व के सामने सबसे बड़े संकट के रूप में उभरने वाला है। ऐसे में इस प्रकार के जल स्रोत अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है ताकि भविष्य के संकट से पार पाने की अभी से तैयारी की जा सके।

गंगा का पानी खराब हो सकता है लेकिन खातरियों का नहीं, इस कहावत के लिए मशहूर हैं जल संरक्षण के लिए बनाई खातरियां

छेनी और हथौड़े से पहाड़ी खोदकर बनाई जाती थी खातरियां

इलाके के लोग इस पानी को मानते हैं सबसे साफ और सुरक्षित

चंगर क्षेत्र में बहुत बड़ी तादात में पाई जाती हैं इस प्रकार की खातरियां

आईपीएच विभाग ने उठाया इन खातरियों के संरक्षण का मुद्दा

सभी खातरियों की होगी सफाई, फिर से किया जाएगा पुनर्जीवित

तेजी से सिकुड़ रहे हैं गंगोत्री और उसके सहायक ग्लेशियर

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून

वाहनों की बढ़ती आवाजाही से गंगोत्री और उसके सहायक ग्लेशियरों में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिसने पर्यावरणविदों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक अध्ययन के मुताबिक इस साल उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा के दौरान गंगोत्री क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा डीजल और पेट्रोल वाले वाहनों का आना-जाना लगा रहा। यात्रा की अवधि के दौरान इन वाहनों से निकलने वाले कार्बन ने ग्लेशियरों को नुकसान पहुंचाया।

इस मामले में देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन और मंथन किया। संस्थान ने उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम क्षेत्र में भोज वासा में एथेलोमीटर के माध्यम से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में वाहनों की आवाजाही से निकलने वाले कार्बन के प्रभाव का अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि क्षेत्र में कार्बन की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है। लिहाजा हर साल गंगोत्री ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है।

2016 में एथेलोमीटर से मिले आंकड़े चौंकाने वाले रहे है। तब मई महीने में वाहनों की आवाजाही से गंगोत्री क्षेत्र में कार्बन निकलने की मात्रा 1899 नैनोग्राम प्रति घन मीटर और अगस्त महीने में 123 नैनोग्राम प्रति घन मीटर मापी गई। मई में चारों धामों में वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक रहती है, जबकि बरसात के अगस्त महीने में वाहनों की तादाद गर्मियों के सीजन के मुकाबले कम हो जाती है।

अध्ययन के मुताबिक 2016 की रिपोर्ट के बाद अब नए आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें डेढ़ से दो साल का समय लग सकता है। इस अध्ययन के अनुसार गंगोत्री धाम के केदार बामक रक्त वर्ण, चतुरंगी ,रुद्र गेरा, वासुकी, सतोपंथ, सुरालय, सीता, नीलांबर, गंगोत्री के कई सहायक ग्लेशियर इतने अधिक बिगड़ गए हैं कि इनके नीचे की जमीन दिखाई देने लगी है। वातावरण में आ रहे बदलाव और मानव निर्मित प्रदूषण इस क्षेत्र के ग्लेशियरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

कुछ सालों में उत्तराखंड में लगातार जंगल जलने की घटनाएं तेजी के साथ हो रही हैं। वह भी ग्लेशियरों के लिए के लिए खतरा बनी हुई हैं। वाहनों की आवाजाही गंगोत्री धाम में जिस तेजी के साथ बढी है, वे आंकड़े भी चौकाने वाले हैं। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तादाद 2016 में गंगोत्री क्षेत्र में 26 हजार 726 थी जिनमें 2 लाख 87 हजार 727 तीर्थयात्री इस क्षेत्र में आए थे। जबकि इस साल 55 हजार 437 वाहन इस क्षेत्र में 5 लाख 28 हजार 129 तीर्थयात्री लेकर आए। आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के निर्माण के बाद वाहनों और तीर्थ यात्रियों की तादाद और अधिक बढ़ेगी। तब गंगोत्री धाम क्षेत्र में कार्बन की मात्रा और अधिक बढ़ोतरी होगी।

वाडिया भूगर्भ संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर पीएस नेगी का कहना है कि गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा लगातार बढ़ रही है और इस क्षेत्र में जिस तरह से सड़कों के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, उससे वाहनों की तादाद बढ़ने के साथ-साथ ग्लेशियरों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। गंगा रक्षा के लिए समर्पित संस्था मातृ सदन हरिद्वार के संस्थापक संचालक स्वामी शिवानंद सरस्वती का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों और जंगलों का खनन, जंगल और भू माफिया लगातार दोहन कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। यदि ग्लेशियर और पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो हिमालय क्षेत्र की दुर्दशा होने के साथ-साथ पूरे विश्व के पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

आजकल ऑल वेदर रोड परियोजना की पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस कमेटी के चेयरमैन जाने-माने पर्यावरणविद् डॉ रवि चोपड़ा का कहना है कि यदि वक्त रहते हिमालय के नजदीक वाहनों की आवाजाही को काबू में नहीं लाया गया तो भविष्य में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ने के बाद इस क्षेत्र की भयावह स्थिति हो जाएगी।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफ़ेसर दिनेश चंद्र भट्ट का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में चार धाम की यात्रा पर जाने वाले वाहनों की आवाजाही 50-60 किलोमीटर पहले पहले रोक देनी चाहिए और वहां से बैटरी से चलने वाले वाहनों को तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए।

उत्तराखंड

अकादमिक बैंक रखेगा पढ़ाई का भविष्य सुरक्षित

सुशील राघव
नई दिल्ली।

पढ़ाई छोड़ने और लंबा समय बीत जाने के बाद विद्यार्थी को नए सिरे से पढ़ाई शुरू करनी होती है। ऐसे में अधिकतर लोग पढ़ाई को आगे जारी रख नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद यदि विद्यार्थी को वह पाठ्यक्रम पसंद नहीं आया तो भी उसको शुरू से पढ़ाई शुरू करनी होती है। विद्यार्थियों की ऐसी ही अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय अकादमिक क्रेडिट बैंक (एनएसी बैंक) शुरू करने जा रहा है।

यह बैंक बहु प्रवेश और बहु निकास के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके साथ ही यह विद्यार्थी को कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्तर पर पढ़ाई की स्वतंत्रता देगा। शुरुआती तौर पर इसमें स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। फिलहाल आयोग इस संबंध में सभी हितधारकों के सुझावों पर गौर कर रहा है। यह बैंक राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रहस्थान (एनएडी) के साथ मिलकर कार्य करेगा।

यूजीसी के एक अधिकारी के मुताबिक, हमारे देश में ऐसे अनेक मामले मिल जाएंगे जहां शादी, किसी नए शहर में विस्थापित होने पर या परिवार की मदद करने के लिए नौकरी करने की वजह से लोगों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। कुछ साल गुजर जाने के बाद यदि ये विद्यार्थी फिर अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें नए सिरे से पाठ्यक्रम में दाखिला लेना होता है। इसी तरह, एक कॉलेज से कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद यदि विद्यार्थी कॉलेज बदलना चाहता है तो उसे अभी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनएसी बैंक से ऐसी सभी समस्याओं का हल निकलेगा। दरअसल, इस बैंक में जमा क्रेडिट को विद्यार्थी एक से दूसरे संस्थान, पाठ्यक्रम और काल में इस्तेमाल कर पाएंगे।

अधिकारी के मुताबिक, यह बैंक पारंपरिक बैंक की तरह ही कार्य करेगा। यहां पर विद्यार्थी अपने क्रेडिट जमा और जरूरत पड़ने पर उनको हस्तांतरित या भुना भी सकेंगे। एनएसी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह पूरी तरह से विद्यार्थी के ऊपर निर्भर है कि वह खाता खुलवाए या नहीं। अधिकारी के मुताबिक, इसका प्रमुख उद्देश्य पढ़ाई को विद्यार्थी केंद्रित करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी श्रेष्ठ पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। वे अपने पाठ्यक्रम में अपने-अपने मुताबिक बदलाव कर सकेंगे। इस बैंक को कोई उपाधि देने का अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार विश्वविद्यालयों के पास ही सुरक्षित रहेगा।

यह बैंक राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रहस्थान (एनएडी) के मानक ढांचे के तहत कार्य करेगा। इस योजना के तहत यह भी तय किया गया है कि विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि लेना चाहता है, उसे कम से कम 50 फीसद क्रेडिट वहीं से अर्जित करने होंगे। इसके अलावा 50 फीसद क्रेडिट वह बैंक से लेकर उपयोग कर सकता है।

विद्यार्थियों को मिलेगी स्वायत्तता

अभी तक भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र में संस्थानों और शिक्षकों को स्वायत्ता प्राप्त है लेकिन जिन विद्यार्थियों के लिए यह तंत्र कार्य कर रहा है उन्हें बिलकुल भी स्वायत्ता नहीं है। एनएसी बैंक विद्यार्थियों को भी स्वायत्ता देगा। इसके माध्यम से वे अपनी पसंद का संस्थान, कॉलेज और पाठ्यक्रम चुन पाएंगे। इतना ही नहीं, वे अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और उसके क्रेडिट भी उन्हें मिलेंगे।

देश

एनएसी बैंक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, कॉलेज और समय चुनने की आजादी देगा। अभी विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था में केंद्र में नहीं है लेकिन इसके माध्यम से पूरी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित हो जाएगी।
-डॉ. भूषण पटवर्द्धन, उपाध्यक्ष, यूजीसी

महाविद्यालयों में होगा पुलिस-छात्र संवाद

आशीष दुबे
नोएडा।

उत्तर प्रदेश

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में लचर कानून व्यवस्था से ज्यादा इनसे बचने के लिए पूर्व प्रयासों में कमी है। ऐसी घटनाओं में वृद्धि इस बात को इंगित करती है युवाओं को भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति इन जघन्य अपराधों के कारण मिलने वाली सजा से अवगत कराया जाए। इस मुहिम को शुरू करने की पहल उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने की है। जहां पुलिस एक पब्लिक ऑफिसर के रूप में महाविद्यालयों में महीने में एक बार युवाओं को आज के समय में बढ़ रहे ऐसे अपराधों एवं उनके करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत मिलने वाले सजा समेत अन्य प्रावधानों से अवगत कराएगी।

इस मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने पुलिस महानिरीक्षक मेरठ व सहारनपुर मंडल को पत्र भेजकर महीने में कम से कम एक बार महाविद्यालयों में इन अपराधों के मूल कारण मानसिक विकृति को दूर करने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है। छात्र जागरूक होकर समाज को भी जागरूक करने में मदद करेंगे। इससे महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों में काफी कमी आ सकेगी। पुलिस महानिरीक्षक के अलावा मेरठ व सहारनपुर मंडल के उच्च शिक्षा विभाग ने इस अनूठी पहल के बारे में अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज को भी अवगत कराया है।

शिक्षाविद्ों का मानना है कि पुलिस व्यवस्था का स्वरूप समाज में अपराध होने के उपरांत मात्र दोषी को दंडित करने का नहीं, बल्कि नागरिक अव्यवस्था फैलने से बचाने के लिए भी है। मौजूदा व्यवस्था में अपराधों से बचने के लिए पूर्व प्रयास ना के बराबर हैं। अपराध घटित होने के बाद केवल कानूनी जांच एवं आपराधिक आपातकाल के लिए कानून का लागू करना ऐसी मानसिक विकृतियों का समाधान नहीं है। नागरिक अव्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी है कि युवाओं को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को ना करने और अपराध करने पर मिलने वाली समाज के बारे में जरूर बताया जाए।

उत्तर प्रदेश के दोनों मंडलों में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हापुड़, बागपत और गौतमबुद्धनगर के नौ जिले हैं। जिनके 18 सरकारी, 50 अशासकीय अनुदानित और 1002 स्व वित्त पोषित महाविद्यलयों में करीब साढ़े तीन लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि इस मुहिम से महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों में शून्यता आ सकती है। मानसिक विकृति को दूर कर समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने में यह कदम काफी प्रभावी साबित होगा।

पुलिस कुछ नहीं कर रही, यह सही नहीं है लेकिन जघन्य अपराध होने के उपरांत मिलने वाले पीड़ादायक दंड की जानकारी होने से निश्चित सुधार आएगा। इससे महिलाओं समेत अन्य तरह के अपराधों में कमी आएगी। साथ ही यह मुहिम छात्रों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक होगी।

-–विमला बाथम, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग

इंटरनेट प्रतिबंध से ई-व्यापार और बैंकिंग सेवा की कमर टूटी

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली।

लोक आपात और सुरक्षा के लिए बार-बार इंटरनेट प्रतिबंध करने की प्रवृत्ति भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा असर ई-व्यापार और बैंकिंग सेवा पर पड़ रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में हिंसा के बाद बंद हुए इंटरनेट से सिर्फ लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारी एक दिन में सौ करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी ऑनलाइन व्यापार करने वालों का अच्छा खासा घाटा होने की बात सामने आई है। ऐप आधारित कैब सेवा और ऑनलाइन खाद्य पदार्थ मंगवाने वाली सेवाएं भी प्रभावित होने से नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

इससे पहले इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन (आइसीआरआइ) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2012 से लेकर 2017 तक भारत में कुल 16315 घंटे तक इंटरनेट ठप रहने की लागत करीब 3.04 अरब अमेरिकी डॉलर थी। वहीं, 12615 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद होने की भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल लागत 2.37 अरब अमेरिकी डॉलर रही थी। सबसे ज्यादा असर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अमदाबाद, सूरत और विशाखापत्तनम जैसे शहरों की जीडीपी पर हुआ है। सेंट्रल यूपी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ केशव अग्रवाल बताते हैं कि इंटरनेट शटडाउन का असर सिर्फ मोबाइल पर पड़ता है। कंफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एसोचैम के पूर्व महासचिव डीएस रावत कहते हैं कि इंटरनेट बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव बैंकिंग के अलावा ई-कॉमर्स पर पड़ता है। छोटे उद्योग और ई-कॉमर्स उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों वृ गुवाहाटी में थे जहां इंटरनेट बंद हुआ तो एअर टिकट से लेकर होटल का भुगतान तक अटक गया। यह बाजार के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला है।

कौन होता है प्रभावित

आइसीआरआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट बंद होने से जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उसमें ई-कॉमर्स और स्वतंत्र कार्य हैं। इसके अलावा पर्यटन, आइटी सेवा, प्रेस और मीडिया दूसरे नंबर पर प्रभावित होने वालों में हैं। तीसरे नंबर पर बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और इसका सबसे मामूली असर मैन्यूफैंक्चरिंग और भारी उद्योग पर पड़ता है। दि कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल बताते हैं कि इंटरनेट बंद होने का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों को अपना पैसा ट्रांसफर करने में पड़ा। व्यापारी ज्यादातर एनइएफटी और आरटीजीएस करते हैं लेकिन इंटरनेट बंद होने से यह काम रुक जाता है। जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उनको तो काफी घाटा होता है। जिन व्यापारियों का काम ई-मेल पर आधारित है उनकी मेल नहीं आ पाई।

सुरक्षा कारणों से 278 बार बंद किया गया इंटरनेट

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) की अगस्त, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2012 से 2019 तक 278 बार भारत में इंटरनेट बंद किया गया। 160 बार सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। 278 में 60 बार बंद किए गए इंटरनेट को 24 घंटे से कम के लिए और करीब 55 बार इंटरनेट 24 से 72 घंटने के लिए बंद किया गया। कई मामलों में देखा गया है कि इंटरनेट बंद को लेकर कोई सार्वजनिक सूचना तक नहीं जारी की गई। आइएफजे फ्रीडम रिपोर्ट 2018 के मुताबिक, भारत में मई 2017 से अप्रैल 2018 में 82 बार इंटरनेट बंद हुआ जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 12 बार इंटरनेट बंद करने की नौबत आई। श्रीलंका में एक बार और बांग्लादेश में पांच बार इंटरनेट बंद रहा। एसएफएलसी की रिपोर्ट की माने तो 139 दिनों के लिए अगस्त 2019 में 370 को बेअसर करने के बाद इंटरनेट बंद रहा। 133 दिन जुलाई 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद हुई हिंसा के चलते इंटरनेट बंद रहा। 100 दिन तक 2017 में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इंटरनेट बंद रहा।

उत्तर प्रदेश

क्या कहता है नियम

सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) 2005 के तहत संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि लोक आपात या फिर जन सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मौकों पर भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकार की ओर से नगद रहित अर्थव्यवस्था को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंटरनेट प्रतिबंधित रहने पर भी नगारिक सेवाएं जैसे बैंकिंग आदान-प्रदान, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग और इंटरनेट बैंकिंग चालू रहने चाहिए। लेकिन इस आदेश का कहीं पालन नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, संभल, बागपत में इंटरनेट ठप होने के बाद स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्टों के अनुसार 11 घंटे तक लोग बैंकिंग सेवा के लिए तरस गए। रेलवे टिकट भी बुक नहीं हो सके। उपभोक्ता मामलों के जानकार खालिद मुहम्मद जीलानी कहते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं से हर मिनट के हिसाब से इंटरनेट का चार्ज लेती हैं जब प्रशासन की ओर से इंटरनेट बंद किया जाए तो उपभोक्ताओं को उसका वाजिब हिसाब मिलना चाहिए या इंटरनेट का समय बढ़ाना चाहिए।

www.readwhere.com

राहुल-प्रियंका को पुलिस ने मेरठ जाने से रोका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

● विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे थे

राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (राष्ट्रीय नागरिकता पंजी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ मेरठ में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मंगलवार को मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मेरठ पुलिस ने धारा-144 का हवाला देते हुए शहर की सीमा, थाना परतापुर में ही रोक दिया। नोटिस थमाए जाने के बाद दोनों नेता वापस दिल्ली लौट गए।

रोके जाने के बाद प्रियंका ने फोन पर मृतकों के परिजनों से बातचीत की। घटना की कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने कड़ी आलोचना की। राहुल ने कहा, 'हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया। वापस जाने के लिए कहा।' राहुल-प्रियंका के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी थे। तिवारी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेता मंगलवार सुबह दिल्ली से मेरठ के लिए निकले थे। शांति व्यवस्था के मद्देनजर उनकी यात्रा गोपनीय रखी गई। पहले हमारे नेताओं को मुरादनगर में फिर मेरठ के बाहर रोका गया। प्रशासन का कहना था कि अभी स्थिति ठीक नहीं है और नेताओं के जाने से अशांति पैदा हो सकती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि अगले दो-तीन दिनों में अधिकारी खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर मेरठ जाएंगे।

मेरठ प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी कर धारा 144 लागू होने की दलील देते हुए राहुल-प्रियंका को रोके जाने की बात कही है। परतापुर क्षेत्र में राहुल-प्रियंका को यह नोटिस दिखाया गया जिसमें धारा 144 और इलाके की अतिसंवेदनशील का जिक्र था। नोटिस में कहा गया था कि आपके आगमन से विधि व्यवस्था संबंधी कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका संपूर्ण दायित्व आपका भी माना जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते मेरठ समेत उप्र के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें भीड़ ने इस्लामाबाद पुलिस चौकी फूंक दी थी और कई जगह आगजनी हुई थी। हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन पुलिसवालों को भी गोली लगी थी। गत रविवार को प्रियंका ने बिजनौर में उन दो युवकों के परिवारों से मुलाकात की थी जो प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए थे। प्रियंका ने सोमवार दोनों युवकों को 'शहीद' करार देते हुए लोगों से संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेने के लिए कहा था।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस घटना को अलोकतांत्रिक बताया जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र ने भी ट्वीट कर इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा कि आज भारत को एक मरहम की जरूरत है, विपक्षी नेताओं पर पाबंदी की नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस घटना को अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

हेमंत सोरेन 29 को लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ

रांची, 24 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन मंगलवार की रात सात बजे गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रात आठ बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल की अनुमति मिलने पर वह 29 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि झारखंड विधानसभा के चुनावों में विजयी विपक्षी गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से रात आठ बजे मिलने का समय लिया था।

सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन के नेता सोरेन के साथ झामुमो, कांग्रेस और राजद के 35 अन्य नवनिर्वाचित विधायक भी राज्यपाल से मिलने गए। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक प्रसाद पिंटू ने बताया कि शाम सात बजे झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर तीनों गठबंधन सहयोगियों झामुमो, कांग्रेस और राजद के सभी विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में हेमंत सोरेन को औपचारिक तौर पर गठबंधन दल का नेता चुना गया। सोरेन ने सोमवार रात में ही कहा था कि वह अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में दोपहर एक बजे शपथ ग्रहण करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनावों में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 81 में से 47 सीटें मिली हैं। इस बीच सोरेन ने कहा कि यदि संशोधित नागरिकता कानून की वजह से झारखंड से एक भी व्यक्ति हटता है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा।

सोरेन विधायक दल के नेता

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुन लिया। झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन के घर पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को सभी 28 विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना।

झाविमो बिना शर्त देगी समर्थन

रांची, 24 दिसंबर (भाषा)।

बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा (प्र) ने मंगलवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाली गठबंधन की सरकार को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है। झाविमो प्रदेश कार्यालय पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इस आशय की घोषणा की।

ज्ञातव्य है कि विपक्षी गठबंधन में झाविमो अपनी शर्तों के चलते शामिल नहीं हो सकी थी। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद गठबंधन ने झाविमो से औपचारिक तौर पर समर्थन नहीं मांगा है लेकिन आज पार्टी ने स्वयं इस आशय की घोषणा की। राज्य में विधानसभा चुनावों में इस बार झाविमो को कुल तीन सीटें ही हासिल हुई हैं। बाबूलाल मरांडी की समर्थन की घोषणा के तुरत बाद हेमंत सोरेन उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया।

डाक्टरों को हिंसा से बचाने के नए मसौदे को आगे बढ़ाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

डाक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाने की पहल को गृह मंत्रालय द्वारा नकारे जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रस्तावित कानून के मसौदे को नए सिरे से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने किसी पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाने को गैरजरूरी बताते हुये प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने से मना कर दिया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 20वें दीक्षांत समारोह में कहा, 'चिकित्सकों पर ड्यूटी के दौरान होने वाले हमलों की सच्चाई से सरकार अवगत है। इसके मद्देनजर सरकार डाक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके लिए कानून का मसौदा बनाया जा रहा है।' समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन और मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन भी मौजूद थीं। समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में डा. हर्षवर्धन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि डाक्टरों की सुरक्षा के लिए पृथक कानून बनाने के मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा इस विचार को पहले ही नकार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अभी विचार चल रहा है।'

कश्मीर से अर्द्धसैनिक बलों की 72 टुकड़ियां हटाने का फैसला

पेज 1 का बाकी

जा रहा है। कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होने के कारण सीआरपीएफ की 24 और बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ और सीएपीएफ की 12-12 टुकड़ियों को वापस बुलाया जाएगा। केंद्र सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इस बारे में फैसला लेने के लिए बुलाई गई गृह मंत्रालय की बैठक में सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू, सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआर भटनागर और जम्मू-कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि वहां से हटाए गए सुरक्षा बलों को वहीं भेजा जाएगा, जहां से उन सबको कश्मीर भेजा गया था। इस साल जुलाई के अंत में सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की 50 कंपनियां, बीएसएफ की 10 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 30 और आइटीबीपी की 10 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया था।

भारतीयों को नहीं भा रहा विदेशी प्याज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

● भारतीय रसोई घरों में इसके जायके के खारिज हो जाने के मद्देनजर खुदरा विक्रेता मंडी में मौजूद प्याज की इस विदेशी नस्ल को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं हैं।

विदेशी प्याज खरीदकर घरेलू बाजार में इसकी कीमतों को काबू करने की सरकारी कवायद कामयाब होती नहीं दिख रही। भारतीय रसोई घरों में इसके जायके के खारिज हो जाने के मद्देनजर खुदरा विक्रेता मंडी में मौजूद प्याज की इस विदेशी नस्ल को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं हैं। शायद यही वजह है कि होटलों से लेकर प्रमुख ढाबों तक में इसको खपाने की कोशिश की जा रही है।

उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी ने अभी तक करीब 50 हजार टन प्याज के आयात का अनुबंध अलग अलग देशों से किया है। इसमें से 790 टन की पहली खेप आ गई है जबकि 1200 टन की दूसरी खेप दिसंबर के आखिर तक पहुंचने की उम्मीद है। आयातित प्याज की पहली खेप दिल्ली और आंध्र प्रदेश को दी गई है क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों ने सबसे पहले प्याज आपूर्ति की मांग की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के खुदरा व्यापारी इस प्याज को मंडी से उठाकर बाजार में पहुंचाने को कतई तैयार नहीं हैं।

दिल्ली में आलू-प्याज के कारोबारियों के संगठन के प्रधान राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि विदेशी प्याज देखने में तो देसी प्याज से ज्यादा आकर्षक होता ही है, वजन की दृष्टि से भी एक-एक प्याज करीब आधे-आधे किलो का है। लेकिन शायद इसका जायका भारतीय परिवारों को नहीं भा रहा। यहां के लोगों को देसी प्याज का स्वाद ही अच्छा लगता है। इसके बदले लोग विदेशी प्याज नहीं खरीदना चाह रहे। उनहोंने बताया कि खुदरा व्यापारियों का कहना है कि चूंकि लोग विदेशी प्याज नहीं खरीद रहे, इसीलिए वे इसको बाजार में ले नहीं जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि फिलहाल इस विदेशी प्याज से देश के होटलों, रेस्तराओं व ढाबों की मांग की पूर्ति की जा रही है।

अधिकारियों की मानें तो 2019-20 के फसल वर्ष में प्याज की खरीफ की फसल में करीब 26 फीसद की गिरावट की आशंका है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में मानसून में देरी और फिर भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। प्याज के कारोबारियों का यह मानना है कि जनवरी के बाद ही प्याज की कीमतों में कमी आएगी जो अभी पूरे देश में 100 से 180 रुपए प्रति किलो तक बनी हुई है।

विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव का इस्तीफा

रांची, 24 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड के विधानसभाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने मंगलवार जारी एक वाक्य के इस्तीफे में लिखा है, 'मैं दिनेश उरांव, अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा, आज दिनांक 24/12/2019 को अपराह्न से अध्यक्ष के पद का त्याग कर रहा हूं।' विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव भी राज्य विधानसभा चुनावों के कल घोषित परिणामों में अपनी सिसई विधानसभा सीट से 38,440 मतों के भारी अंतर से पराजित हो गर थे। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिग्गा सुसारण होरो ने पराजित किया।

इस सीट पर जहां होरो को 93,591 मत प्राप्त हुए वहीं दिनेश उरांव को सिर्फ 55,151 मत प्राप्त हो सके। कल घोषित परिणाम में 81 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को सिर्फ 25 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राजद गठबंधन को कुल 47 सीटें मिली हैं। दिनेश उरांव छह जनवरी को चौथी विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर मुहर

पेज 1 का बाकी

सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीडीएस अन्य सेना प्रमुखों के समान ही होंगे। हालांकि, प्रोटोकाल की सूची में सीडीएस को सेना प्रमुखों से वरिष्ठ बनाया गया है। सीडीएस को लेकर प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैन्य मामलों के प्रमुख होंगे और वह चार स्टार जनरल होंगे। उनका वेतन सेना प्रमुख के समान होगा। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे, जिसका सृजन रक्षा मंत्रालय करेगा और वह इसके सचिव के रूप में काम करेंगे।

सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी। इस समिति ने सीडीएस की जिम्मेदारियों और ढांचे को अंतिम रूप दिया था। सीडीएस की नियुक्ति का मकसद आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। जानकारों के मुताबिक, सीडीएस के जरिए युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा। इससे दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। दरअसल, सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल प्लानिंग में कई बार खामियां सामने आईं। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारतीय वायुसेना को कोई भूमिका नहीं दी गई थी, जबकि भारतीय वायुसेना तिब्बत के पठार पर जमा हुए चीनी सैनिकों को निशाना बना सकती थी।

मारुति के पूर्व प्रबंध निदेशक खट्टर के खिलाफ मामला दर्ज

पेज 1 का बाकी

नेशनल बैंक (पीएनबी) को 110 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। सीबीआइ ने सोमवार शाम को 77 वर्षीय खट्टर और उनकी कंपनी कारनेशन ऑटो के परिसरों पर छापेमारी की थी। खट्टर 1993 से 2007 तक मारुति उद्योग लि. से जुड़े रहे। वह कंपनी के प्रबंध निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद खट्टर ने कारनेशन ऑटो की शुरुआत की। इसके लिए 2009 में उन्हें 170 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया। प्राथमिकी में कहा गया है कि इस ऋण को 2015 में गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित कर दिया गया। यह निर्णय 2012 से प्रभावी बनाया।

सीबीआइ का आरोप है कि खट्टर और उनकी कंपनी ने धोखाधड़ी से बैंक के पास बंधक रखे सामान को बेच दिया। इसके लिए बैंक की अनुमति नहीं ली गई। बैंक की ओर से किए गए फॉरेंसिक ऑडिट से पता चलता है कि 66.92 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां बिना उसकी मंजूरी के 4.55 करोड़ रुपए में बेची गईं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि खट्टर ने बिक्री से प्राप्त इस राशि को बैंक के पास जमा नहीं कराया और बेइमानी और धोखाधड़ी से इसे अनुषंगियों और अन्य संबद्ध इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि इस मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बैंक के अधिकारियों ने कथित रूप से स्टॉक का मासिक सत्यापन नहीं किया। बैंक ने अपनी शिकायत में पांच आरोपियों का उल्लेख किया है। इसमें खट्टर ऑटो इंडिया प्राइवेट लि., कारनेशन रियल्टी प्राइवेट लि. और कारनेशन इंश्योरेंस ब्रोंकिंग कंपनी प्राइवेट लि. का नाम भी शामिल है। लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया में इनकी इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं दी। जांच एजंसी ने पीएनबी की शिकायत पर खट्टर और उनकी कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

जनगणना 2021 और एनपीआर को मंजूरी

पेज 1 का बाकी

यह स्वयं घोषित स्वरूप का होगा। इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई दस्तावेज देना होगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। एनपीआर के उद्देश्यों में कहा गया है कि एनपीआर देश के स्वाभाविक निवासियों का रजिस्टर है। यह नागरिकता संशोधन कानून 1955 और नागरिकता (नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी) करने के नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय स्तर पर (गांव/उप शहर), उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, एनपीआर का मकसद देश के स्वभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डाटाबेस तैयार करना है। इसमें भौगोलिक और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध होगी। एनपीआर के आंकड़े पिछली बार 2010 में घर की सूची तैयार करते समय लिए गए थे, जो 2011 की जनगणना से जुड़े थे। 2015 में घर- घर जाकर इन आंकड़ों को अपग्रेड किया गया था।

भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की आठ बार जनगणना करवाई थी। आजादी के बाद सात जनगणना हो चुकी है। जावड़ेकर के मुताबिक, एनपीआर पहली बार 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सभी लोगों का रजिस्टर बना और उसके कार्ड तत्कालीन मनमोहन सरकार ने वितरित किए थे। 2015 में इसका उन्नयन हुआ। उन्होंने कहा कि इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने नोटिफिकेशन निकाले हैं, सभी राज्यों में कमर्चारियों के प्रशिक्षण हो रहे हैं। जो भी भारत में रहता है, उसकी गणना इसमें होगी। उन्होंने कहा कि एनपीआर से सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान हो पाएगी और यह भी पता चल पाएगा कि योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं? जावड़ेकर ने कहा कि आयुष्मान, उज्जवला, सौभाग्य जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान होगी। सभी और सही लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने बताया कि बंगाल, तमिलनाडु, ओड़ीशा, मणिपुर में पीडीएस (सर्वम) के लिए एनपीआर में दर्ज जानकारी उपयोग में लाई गई।

दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान दूरसंचार सेवाएं बंद करने के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वह याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए दूरसंचार सेवाओं को बंद कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर के पीठ को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने बताया कि 19 दिसंबर को दूरसंचार सेवाएं महज चार घंटे के लिए बाधित की गई थीं और अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद पीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीएए के विरोध में 19 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। जैन ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं पर पाबंदी के लिए जो निर्देश जारी किए गए थे, उनमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। याचिका एसएफएलसी डॉट इन नाम की संस्था ने दायर की थी। अदालत ने याचिका अस्वीकार करते हुए कहा कि सेवाओं के बाधित रहने से याचिकाकर्ता संस्था या किसी अन्य को यदि कोई नुकसान हुआ है तो वह मुकदमा दायर कर क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है।

याचिका में कहा गया कि दिल्ली में दूरसंचार सेवाओं पर पाबंदी का आदेश पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी किया गया।

दिवाला कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश मंजूर

पेज 1 का बाकी

अक्षमता (दूसरा संशोधन) विधेयक को विचार के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया, जिसके सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति को इस विधेयक पर विचार करके तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

इन बदलावों के बाद कॉरपोरेट कर्जदार पर दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए किसी अपराध के लिए कोई देनदारी नहीं बनेगी। इसके अलावा कॉरपोरेट कर्जदार पर न्यायिक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूर करने की तारीख से किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने संहिता में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से आइबीसी, 2016 की विसंगतियां दूर होंगी और संहिता का सुगमता से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार ने 12 दिसंबर को संहिता में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया था।

लोकसभा में पेश विधेयक का मकसद अड़चनों को दूर करना और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुसंगत बनाना है। इसमें सफल बोलीदाताओं को संबंधित कंपनियों के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा किए गए किसी अपराध में आपराधिक प्रक्रियाओं से सुरक्षा मिलेगी। यह संहिता दबाव वाली संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से बाजार मूल्य के हिसाब से समाधान सुनिश्चित करती है। इसमें इससे पहले तीन बार संशोधन किया जा चुका है।

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश चार अन्य विधेयकों को भी विचारार्थ संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के पास भेजा गया है। इनमें जल दस्यु रोकथाम संबंधी विधेयक, श्रमिकों के कल्याण संबंधी विधेयक और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित विधेयक शामिल है।

एनपीआर और एनआरसी में मूलभूत अंतर : शाह

पेज 1 का बाकी

लेकिन, एनआरसी में हर व्यक्ति से सबूत मांगे जाते हैं कि आप किस आधार पर भारत के नागरिक हैं।

गृह मंत्री का बयान आने से पहले गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) से जमा किए जाने वाले आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार करने के लिए कवायद करने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है।

अमित शाह ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी- दोनों प्रक्रिया का एक-दूसरे से कोई लेनदेन नहीं है और न दोनों प्रक्रिया का एक-दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए अभी जो प्रक्रिया चलेगी, उसका उपयोग एनआरसी के लिए नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि एनपीआर की जरूरत इसलिए है कि हर 10 साल में अंतरराज्यीय स्तर पर जनगणना में जबर्दस्त उथल-पुथल होती है। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं। जो लोग दूसरे राज्य में बसे हैं, उनकी जरूरतों के मुताबिक योजनाओं का आधार एनपीआर होगा।

उन्होंने कहा कि यह यह प्रक्रिया भाजपा सरकार ने शुरू नहीं की।

यूपीए सरकार ने 2004 में एक कानून बनाया और 2010 की जनगणना के साथ एनपीआर सर्वे हुआ। शाह ने कहा कि देशव्यापी एनआरसी पर बहस की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है।

दूसरी ओर, एनआरसी और संशोधित नागरिकता अधिनियम को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कहा, 'एनपीआर आंकड़ों के आधार पर समूचे देश के लिए एनआरसी तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।'

प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल का रास्ता रोक कर लौटाया

पेज 1 का बाकी

करीब 50 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संघ की शाखा से जुड़ी शिक्षा बंधु समिति के सदस्य थे। धनखड़ आयोजन स्थल तक जाने के लिए जब अपनी कार से उतरे तो प्रदर्शनकारियों ने 'वापस जाओ', 'नो एनआरसी, नो सीएए' के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों द्वारा रास्ता रोकने पर राज्यपाल ने कुलपति सुरंजन दास को फोन किया और बाद में उन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया।

धनखड़ ने परिसर से रवाना होने से पहले पत्रकारों से कहा, 'हम यहां पर ऐसी व्यवस्था बने रहने नहीं दे सकते। पूरी तरह से अराजकता की स्थिति नहीं हो सकती। कानून का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया है।' उन्होंने कहा कि वह हैरान है कि कैसे लोगों का एक छोटा-सा समूह छात्रों के भविष्य को तबाह कर सकता है। धनखड़ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में से कोई भी छात्र नहीं था। इससे पहले सोमवार को भी राज्यपाल से विश्वविद्यालय में धक्कामुक्की की गई थी और उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे।

इससे एक दिन पहले धनखड़ ने 24 दिसंबर को होने वाले विशेष दीक्षांत समारोह स्थगित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को 'अवैध और अमान्य' बताया था।

भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर सुस्ती के दौर में : आइएमएफ

पेज 1 का बाकी

के साथ मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था में सुस्ती का है। हमारा अब भी मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती संरचनात्मक नहीं, चक्रीय है। इसकी वजह वित्तीय क्षेत्र का संकट है। इसमें सुधार उतना तेज नहीं होगा, जितना हमने पहले सोचा था। यह मुख्य मुद्दा है। इस दौरान आइएमएफ ने भारत पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की।

भारत के लिए परिदृश्य नीचे की ओर जाने का है। ऐसे में आइएमएफ के निदेशकों ने ठोस वृहद आर्थिक प्रबंधन पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निदेशकों को लगता है कि मजबूत जनादेश वाली नई सरकार के सामने यह सुधारों को आगे बढ़ाने का एक बेहतर अवसर है। इससे समावेशी और सतत वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। सलगादो ने कहा कि भारत इस समय गंभीर सुस्ती के दौर में है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसद पर आ गई है, जो इसका छह साल का निचला स्तर है। वृद्धि आंकड़ों से पता चलता है कि तिमाही के दौरान घरेलू मांग सिर्फ एक फीसद बढ़ी है।

सलगादो ने कहा कि इसकी वजह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के ऋण में कमी है। इसके अलावा व्यापक रूप से ऋण को लेकर परिस्थितियां सख्त हुई हैं। साथ ही आमदनी, विशेष रूप से ग्रामीण आय कम रही है। इससे निजी उपभोग प्रभावित हुआ है।

www.readwhere.com

खबर कोना

श्रीलंका में सड़क हादसे में तीन भारतीय समेत चार मरे

कोलंबो, 24 दिसंबर (भाषा)।

श्रीलंका के दक्षिणी कुरुंदुगाहेहेतेक्मा इलाके में वैन और कंटेनर ट्रक की टक्कर में तीन भारतीयों समेत चार लोगों की मौत हो गई। पीड़ित वैन में सवार थे जब दक्षिणी एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात उसकी कंटेनर ट्रक से भिड़ंत हुई। मृतक भारतीय एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें 44 वर्षीय महिला, उसका 18 वर्षीय बेटा और एक अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। उनके नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है। महिला का पति और 10 वर्षीय बेटी घायल हो गए।

सीरिया में रूस के हवाई हमले में पांच बच्चों समेत आठ मरे

बेरूत, 24 दिसंबर (एएफपी)।

उत्तर पश्चिम सीरिया में स्कूल पर रूस के हवाई हमले में मंगलवार को पांच बच्चों समेत कम से कम आठ व्यक्तियों मौत हो गई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि दक्षिण इदलिब प्रांत में साराकेब शहर के समीप जुबास गांव को निशाना बनाकर हमले किए गए जिसमें स्कूल में और उसके आसपास शरण लिए हुए नागरिकों की मौत हो गई।

इंडोनेशिया में बस खड्डु में गिरी, 27 मरे

पालेम्बांग, 24 दिसंबर (एएफपी)।

इंडोनेशिया में बस के खड्डु में गिर जाने से कम से कम 27 व्यक्तियों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। बड़ी संख्या में यात्रियों को ले कर जा रही बस सोमवार आधी रात को दक्षिण सुमात्रा प्रांत में 150 मीटर गहरे खड्डु में गिर गई और बह कर नदी में पहुंच गई। गोताखोर बस के आसपास तलाश अभियान चला रहे हैं। यह हादसा दूरवर्ती और पागर आलम शहर के समीप दुर्गम इलाके में हुआ।

भारत व पाक के बीच शत्रुता से सार्क नहीं फला-फूला : बांग्लादेश

ढाका, 24 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि सार्क के नहीं फलने-फूलने की मुख्य वजह भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता है। हालांकि, उन्होंने 'बिमस्टेक' और 'बीबीआईएन' जैसी अन्य क्षेत्रीय पहल के बारे में आशा जताई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों के बीच सहयोग व समन्वय के अभाव को लेकर इस महीने की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाने के बाद मोमेन की यह टिप्पणी आई है।

मोमेन ने 'नेपाल-बांग्लादेश यात्रा कार्यक्रम-2019' के समापन समारोह में विदेशी पत्रकारों के एक समूह से यहां कहा कि सार्क का फलना-फूलना भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की वजह से बाधित हुआ। इस कार्यक्रम की मेजबानी यहां बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, 'आप जानते हैं कि सार्क फल-फूल नहीं रहा, इसकी मुख्य वजह भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता है लेकिन बीबीआइएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) तथा बिमस्टेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) को बेहतर काम करना चाहिए।

मोदी ने गनी को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी

काबुल, 24 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से पांच बरसों के लिए अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुने जाने पर अशरफ गनी को मंगलवार को बधाई दी। साथ ही उन्हें युद्ध प्रभावित देश में अफगान-द्वारा, अफगान-नीत और संयत शांति प्रक्रियाओं के लिए भारत के समर्थन का भरोसा दिलाया। अफगान चुनाव अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की थी कि राष्ट्रपति गनी ने 28 सितंबर के चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच 50.64 प्रतिशत वोट प्राप्त किए।

गनी ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, 'मेरे प्रिय मित्र व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती नतीजों में जीतने पर मुझे और सफलतापूर्वक हुए राष्ट्रपति चुनावों के लिए अफगानिस्तान के लोगों को बधाई देने के लिए आज दोपहर फोन किया।' गनी ने कहा, 'उन्होंने कहा कि भारत एक मित्र, एक पड़ोसी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र (भारत) अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक शासन का पूरी तरह से समर्थन करता है।'

क्रिसमस के जश्न के लिए तैयार है ईसा मसीह का जन्म स्थान

बेथलहम, 24 दिसंबर (एएफपी)।

ईसा मसीह का जन्म स्थान बेथलहम क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए दुनियाभर के श्रद्धालुओं का स्वागत करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का यह 'छोटा-सा शहर' चर्च ऑफ नैटिविटी में और उसके आसपास जश्न की तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह गिरजाघर उस स्थान पर बना है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यरुशलम के लैटिन पैट्रियार्क के धर्म प्रशासक और पश्चिम एशिया में रोमन कैथोलिक के सबसे वरिष्ठ अधिकारी आर्चबिशप पियरबटिस्टा पिज्जाबाला के मंगलवार सुबह यरुशलम से बेथलहम आने का कार्यक्रम है। वह चर्च ऑफ नैटिविटी में आधी रात में होने वाली प्रार्थना सभा का नेतृत्व करेंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के भी इसमें भाग लेने की संभावना है। इस स्थान पर पहला गिरजाघर चौथी सदी में बना था। हालांकि छठी सदी में आग लगने के कारण इसे बदल दिया गया।

पाक ने बहरीन के राजा को विलुप्त हो रही सोहन चिरैया के शिकार की अनुमति दी

इस्लामाबाद, 24 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने बहरीन के राजा और पांच अन्य शाही परिवार को 100 सोहन चिरैया (हाउबारा बस्टर्ड) का शिकार करने की अनुमति दे दी है। यह लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है, इस कदम के खिलाफ देश में बढ़ती आलोचना के बावजूद सरकार ने यह कदम उठाया है।

'डॉन' ने अपनी खबर में सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश मंत्रालय के उप-प्रमुख प्रोटोकॉल मोहम्मद अदील परवेज ने 2019-20 में शिकार के लिए परमिट जारी किए हैं। यह परमिट बहरीन के राजा शेख हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा, उनके चाचा शेख इब्राहीम, उनके रिश्ते के भाई (जो उनके गृह मामलों के मंत्री भी हैं) लेफ्टिनेंट जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा और राजशाही के अन्य प्रभावशाली लोगों को दी गई है।

साइबर अपराधों के लिए नेपाल में 122 चीनी गिरफ्तार : चीन

बेजिंग, 24 दिसंबर। चीन ने साइबर अपराधों के सिलसिले में नेपाल में 122 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार करने की मंगलवार को पुष्टि की। चीन ने कहा कि सीमा पार साइबर अपराधों के सिलसिले में उन लोगों को चीनी सुरक्षा अधिकारियों के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। काठमांडो के बाहरी इलाके में विभिन्न मकानों में सोमवार को की गई छापेमारी में 500 से अधिक लैपटॉप जब्त किए गए हैं। काठमांडो पुलिस ने कहा कि शक है कि आरोपियों ने आर्थिक अपराध किए और बैंक की नकदी मशीनों में हैकिंग की होगी। यह पहली बार है जब इतने विदेशियों को संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। **(भाषा)**

वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट 203 एवं 204, 2रा तल, "ए" विंग, नवभारत इस्टेट, जकरिया बंदर रोड, सेवरी (वेस्ट), मुम्बई 400015, महाराष्ट्र, CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.6.2019 जारी कर ऋणधारक/ कों श्री नवीन नागर (आवेदक), श्रीमती अंजू (सह-आवेदक) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 34,06,576/- (रुपये चौंतीस लाख छः हजार पांच सौ छियत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक/ सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 34,06,576/- (रुपये चौंतीस लाख छः हजार पांच सौ छियत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज, लागत आदि के लिये वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गाजियाबाद शाखा) के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम मंडावली, फाजलपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति नं. 157-ई, प्लॉट एरिया माप 120 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 1299/610 में। चौहद्दीः पूर्वः रोड 20 फीट, पश्चिमः गव. स्कूल, उत्तरः सम्पत्ति सं. ई-158, दक्षिणः प्लॉट नं.- 157-सीआर

तिथि: 17.9.2019
स्थान: गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

ऋण वसूली अधिकरण-, चंडीगढ़ में
एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (क्षेत्राधिकार-पंजाब राज्य)

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 1295/2017 **नीलामी की तिथि: 6.2.2020**

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

केस का टाईटल

पंजाब एंड सिंध बैंक **बनाम** **मै. चैटली स्टील प्रा.लि.**
प्रमाणपत्र धारक **प्रमाणपत्र डेब्टर्स**

जैसा कि 16.6.2000 से वसूली की तिथि तक प्रतिवादियों/प्रमाणपत्र डेब्टर्स से आवेदक बैंक/प्रमाणपत्र धारक के बकाये लागतों के साथ घटते हुए शेष पर 18.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ रु. 47,57,738/- की राशि की वसूली के लिये माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ ने ओ.ए.नं. 300/2000 में वसूली प्रमाणपत्र सं. 1295/2017 तैयार किया है।

तथा, जैसा कि, उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिये ''जैसा है जहाँ है आधार'' पर ज्ञात अधिभारों के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित गिरवी सम्पत्ति की बिक्री का अधोहस्ताक्षरी ने आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश की अनुपस्थिति में 6.2.2020 को 11 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक स्वतः विस्तार उपबंध अर्थात् यदि ई-नीलामी की समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली की जाती है तो ई-नीलामी का समापन समय स्वतः 10 मिनट प्रति वार आगे बढ़ जायेगा, के साथ support@bankeauctions.com वेबसाईट/पोर्टलः http://www.bankeauctions.com, हेल्प लाइन नं. 991599342 के माध्यम से श्री नरिन्दर कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एससीएफबी धोलेवाल चौक, लुधियाना (पंजाब) सम्पर्क सं. 9910299708 के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा उक्त सम्पत्ति की बिकी की जायेगी। अधिक विवरणों के लिये बोलीदाता उपरोक्त बैंक अधिकारी से सम्पर्क करें।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों/सीडीज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

सपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एंव लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। इस बिक्री में व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से उपरोक्त पोर्टल/वेबसाईट पर बोली करने के लिये आम जनता को आमंत्रित किया जाता है।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

2.

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि का भुगतान (रु. में)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
01	क) नरेश चैटली के माध्यम से मै. चैटली स्टील प्रा. लि. के नाम में ग्राम भट्टियान, तहसील एवं जिला लुधियाना में टाइटल डीड नं. 11228 तिथि 12.09.88, खाता नं. 282/328, खसरा नं. 34/13, म्यूटेशन 3125 तिथि 3.2.1990, एरिया 1 कनाल 14 मरला। ख) नरेश चैटली के माध्यम से मै. चैटली स्टील प्रा. लि. के नाम में ग्राम भट्टियान, तहसील एवं जिला लुधियाना में टाइटल डीड नं. 24495 तिथि 27.12.89, खाता नं. 281/327, खसरा नं. 34/16, 17, 18, 19/1, एरिया 4 कनाल 18 मरला। ग) नरेश चैटली के नाम में टाइटल डीड नं. 25097 तिथि 29.12.89 औद्योगिक भूमि, खाता नं. 282/382, खसरा नं. 34/13, म्यूटेशन 3125 तिथि 3.2.1990, एरिया 1 कनाल, 14 मरला ग्राम भट्यिान, तहसील एवं जिला लुधियाना।	42200000/- (रुपये चार करोड़ बाईस लाख मात्र)	1,05,50,000/- (रुपये एक करोड़ पांच लाख पचास हजार मात्र)	4.2.2020 को 4.00 बजे अप. या पूर्व।

3. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी, का निर्धारण नीलामी संचालक अधिकारी करेंगे राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
5. बोलीदाता द्वारा आरक्षित मूल्य के प्रथम बोली के रूप में रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, चंडीगढ़ के पक्ष में देय पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि का इच्छुक बोलीदाता द्वारा नीलामीकर्ता के पास भुगतान किया जायेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, चंडीगढ़ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा स्पॉट पर ही रु. 1000/- पर 2% तथा शेष बिक्री मूल्य राशि पर 1% की दर रसे पाउण्डेज शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
7. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री की तिथि से अगले कार्य दिवस तक रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, चंडीगढ़ के पक्ष में देय पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अंतिम बोली मूल्य तथा धरोहर राशि के बीच के अंतर वाली 25% राशि (अर्थात् अंतिम बोली राशि घटाकर धरोहर राशि) का बिक्री संचालक अधिकारी के पास भुगतान करना होगा।
8. क्रेता को नीलामी में सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या पूर्व, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस में रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-I, चंडीगढ़ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के प्रति दावे से वंचित हो जाएंगे जिस पर बाद में उसकी बिक्री की जायेगी।
9. बोलीदाता को उस पर फोटोग्राफ के साथ पहचान के स्व. सत्यापित प्रमाण, निवास का प्रमाण, आय कर का पैन, बैंक खाता का विवरण, पत्राचार के लिये ईमेल आईडी तथा स्वतः पोर्टल पर मोबाईल नम्बर आदि जमा करना होगा।
10. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' पर होगी।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय बोली स्वीकार या यदि अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने, किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।
12. यह बिक्री रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, चंडीगढ़ द्वारा पुष्टि के अधीन होगी जिसे बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
13. रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ किसी भी समय नीलामी में सम्पत्ति के भाग को जोड़ने तथा हटाने के लिये अधिकृत हैं।

सम्पत्ति की अनुसूची
जैसा कि ऊपर वर्णित है

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर 3.12.2019 को दी गई।

रिकवरी अधिकारी-II
डीआरटी-III, चंडीगढ़

ई-नीलामी के सामान्य नियम एवं शर्तें

1. नीलामी प्रमाणपत्र ऋणधारक की ई-नीलामी वेबसाईट अर्थात् मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि., टेली नं. 0214-4302020, ईमेलः support@bankeauctions.com, वेबसाईट/पोर्टल http://www.bankeauctions.com, हेल्पलाइन नं. 991599342 फैसिलिटेशन अधिकारी तथा शाखाः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एससीएफबी, धोलेवाल चौक, लुधियाना, पंजाब, समपर्क नं. 9910299708 के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक पद्धति में होगी।
2. बोलीदाता प्रमाणपत्र धारक बैंक के श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एससीएफबी, धोलेवाल चौक, लुधियाना (पंजाब), सम्पर्क नं. 9910299708 से सम्पर्क करें। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि प्रमाणपत्र धारक बैंक के सेवा प्रदाता एजेन्सी की वेबसाईट देखें।
3. ई-नीलामी से संबंधित विवरणों/प्रक्रिया/आन लाइन प्रशिक्षण के लिये संभावित बोलीदाता बिक्री उदघोषणा में वर्णित ई-नीलामी सेवा प्रदाता एजेन्सी से सम्पर्क करें।
4. बोलीदाता अपनी कार्यालय/पसंद के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। डीआरटी/ प्रमाणपत्र धारक/सेवा प्रदाता इन्टरनेट सम्पर्क, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पावर फैल्योर अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से होने वाली समस्या के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. प्रमाणपत्र धारक ऐसे बोलीदाताओं जिनके पास इन्टरनेट सुविधा नहीं है तथा विज्ञापन के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट अधिकारी को सहयोग देने के लिये फैसिलिटेट शाखा के रूप में अपनी किसी एक शाखा को विनिर्दिष्ट करेंगे।
6. बोलीदाता अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास अपनी भागीदारी पंजीकृत कराएं तथा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करें।
7. बोली सभी विवरणों के साथ विधिवत भर कर केवल निर्धारित प्रारूप में ही दाखिल की जायेगी। 'ऑनलाइन' जमा की गई संलग्नकों के साथ बोली प्रपत्र की प्रति नीलामी तिथि से पूर्व रिकवरी अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।
8. एकाकी बोलीदाता के मामले में बोली प्रपत्र में कोट की गई बोली राशि कम से कम एक बोली वृद्धि मूल्य (बिक्री सूचना में यथा निर्दिष्ट) द्वारा बढ़ाई जायेगी। यदि आरक्षित मूल्य अथवा एक वृद्धि मूल्य की राशि से कम की होती है तो बिक्री को रद्द/डेफर कर दिया जायेगा।
9. नीलामी की अवधि एक घंटा होगी। यदि समापन समय के अंतिम पांच मिनट में कोई बोली (उस समय में उच्चतम की तुलना में अधिक मूल्य की बोली) प्राप्त होती है तो बोली का समय दस मिनट आगे बढ़ जायेगा।
10. उच्चतम बोलीदाता को एच 1 बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इसकी जानकारी सेवा प्रदाता द्वारा ई-मेल से दी जायेगी। सफल बोलीदाता की घोषणा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, चंडीगढ़ द्वारा की जायेगी।
11. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि क्रय मूल्य में समायोजित की जायेगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी बैंक द्वारा शीघ्र ही लौटा दी जायेगी। नीलामी के स्थगन तथा निरसन की स्थिति में भी बैंक द्वारा शीघ्र ही ईएमडी राशि वापस लौटा दी जायेगी। बोलीदाता नीलामी की समाप्ति के बाद इस सिलसिले में बैंक से सम्पर्क करें।
12. बोली प्रपत्र के साथ जमा की गई मूल पहचान के दस्तावेज को मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।
13. सभी बोलीदाताओं से अपेक्षा होगी कि उन्होंने बिक्री की शर्तों को पढ़कर समझ लिया है तथा वे शर्तों को मानने के लिये बाध्य होंगे।
14. सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहाँ है आधार पर की जायेगी।
15. बिक्री उद्घोषणा में दिये गये सम्पत्ति के विवरण रिकवरी अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में सही हैं किन्तु रिकवरी अधिकारी किसी गलती अथवा त्रुटि के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
16. रिकवरी अधिकारी को म्यूनिसिपल करों के बकाये अथवा अनुसूची में दिये गये को छोड़कर किसी अधिभार की जानकारी नहीं है। बिक्री की तिथि तक सम्पत्ति के संदर्भ में की गई किसी भी सांविधिक दावे का भुगतान बिक्री राशि से उस सीमा तक की जायेगी जो रिकवरी प्रमाणपत्र में प्रमाणित राशि से अधिक होगी।
17. बोलीदाता को अपना सम्पूर्ण नाम, मोबाईल नम्बर, सम्पूर्ण पता तथा पैन एवं टैन कार्ड देना होगा तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वे अपने लिये अथवा किसी और के लिये बोली कर रहे हैं तथा बाद वाले मामले में उस संदर्भ मे उपयुक्त पावर ऑफ एटॉर्नी जमा करना होगा तथा पैन/टैन नम्बर तथा उसकी फोटोकॉपी के साथ ऐसी पार्टी का सम्पूर्ण नाम एवं पते को भी जमा करना होगा।
18. बोली जमा करने में दो या अधिक व्यक्ति एक साथ शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें नीलामी के समय में उनके विशिष्ट शेयरों के संदर्भ मे लिखित में उद्घोषणा देना होगा, ऐसी उद्घोषणा की अनुपस्थिति में यह माना जायेगा कि उनका बराबर का शेयर है। उनके संयुक्त नामों में एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी की जायेगी।
19. यदि कोई सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक हो लेकिन उन्होंने समय पर बोली/निविदा जमा नहीं किये हों तो रिकवरी अधिकारी की संतुष्टि के लिये उनकी दावेदारी पर तथा यह वचन देने बाद कि वे बिक्री के नियमों एवं शर्तों को मानने के लिये बाध्य होंगे, उन्हें डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा धरोहर राशि के साथ बोली का प्रस्ताव करने अनुमति दी जायेगी बशर्ते उनकी बोली उच्चतम प्रस्ताव से 10% अधिक हो। लेकिन, रिकवरी अधिकारी को लिखित में दर्ज किये गये कारणों के आधार पर ऐसे प्रस्ताव की अनदेखी अथवा स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।
20. सम्पत्तियों की बिक्री साधारण रूप से उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में बिक्री उद्घोषणा में हैं।
21. सम्पत्ति आरक्षित मूल्य/ संशोधित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जायेगी। लेकिन, रिकवरी अधिकारी लिखित में दर्ज कारणों से उच्चतम् बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
22. यदि प्रमाणपत्र डेब्टर तथा प्रमाणपत्र धारक बिक्री की तिथि से तीस दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी को यह संतुष्ट कर देते हैं कि प्रमाणपत्र डेब्टर आय कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 60 (1) (ख) मे दिये गये रूप में सफल बोलीदाती को तत्काल क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देते हैं तो रिकवरी अधिकारी द्वारा किसी बिक्री की पुष्टि नहीं की जायेगी।
23. सक्षण क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा बिक्री अथवा वसूली कार्रवाई पर स्थगन की स्थिति में नीलामी आगे बिना किसी सूचना के स्थगित अथवा निरस्त कर दी जायेगी तथा नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को ऐसे स्थगन अथवा निरसन के कारण हर्जाने, क्षतिपूर्ति अथवा लागतों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
24. यदि बिक्री तीस दिनों से कम की अवधि के लिये स्थगित की जाती है अथवा यदि बिक्री प्रमाणपत्र डेब्टर की पहल पर तीस दिनों के बाद स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई उद्घोषणा जारी नहीं की जायेगी।

रिकवरी अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, चंडीगढ़

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
शाखा कार्यालय : 46, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

दिनांक : 15.10.2019

सेवा में,
गणेश शीट्स, श्री सतवीर सैनी (प्रोपराइटर), खसरा नं. 714, सामने परम इंजीनियरिंग, बसाई एन्कलेव, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
प्रिय महोदय/महोदया,
प्रतिभूति हित (सरफाएशी) अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत सूचना
सन्दर्भ : खाता सं. 6276008700000172 आप द्वारा शाखा कार्यालय चितरंजन पार्क से आप द्वारा ली गयी साख सुविधाएँ।
आपने निम्नलिखित साख सुविधाएँ ग्रहण की हैं :

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	02.10.2019 तक शेष बकाया
1.	नकद साख सीमा	रु. 68,00,000	रु. 70,03,759.60 /-
	कुल	रु. 68,00,000	रु. 70,03,759.60 /-

किस्त/ब्याज/मूल ऋण के भुगतान में चूक के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाता/तों को 02.10.2019 को नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।
इन परिस्थितियों में हम उपर्युक्त स्वीकृत सुविधा(एँ) जारी रखने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। अतः हम उपर्युक्त सुविधाओं की पुनः याद दिलाते हैं।
02.10.2019 तक बैंक की बकाया राशि पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज सहित रु. 70,03,759.60 (रुपये सत्तर लाख तीन हजार सात सौ उनसठ एवं साठ पैसे मात्र) है (इसके पश्चात इसे ''प्रतिभूत ऋण'' कहा जायेगा)।
उपर्युक्त सुविधाओं के तहत बकाये को प्रतिभूत करने के लिए अन्य बातों के साथ आप ने निम्नलिखित सम्पत्तियों/अस्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है :

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	नकद साख सीमा	सिसाई पुल हाँसी (कॉलेज रोड) के निकट, तहसील हाँसी, जिला हिसार में स्थित खसरा नं. 875/1(3-4) खेवट सं. 1115/1087 मिन खतौनी सं. 1543/1 के भाग की भूमि जिसकी कुल माप 483.42 वर्ग गज है। गृह कर इकाई सं. 1018/2 तथा 937/2

एतद्वारा सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत हम आपको सूचना देते हैं और इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज सहित रु. 70,03,759.60 (रुपये सत्तर लाख तीन हजार सात सौ उनसठ एवं साठ पैसे मात्र) की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं। चूक करने पर, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों के उपयोग के अतिरिक्त बैंक सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत प्रावधानित किसी या सभी शक्तियों का उपयोग करेगा। प्रतिभूत ऋण के भुगतान न करने पर बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति/यों का विवरण निम्नलिखित है : 1. सिसाई पुल हाँसी (कॉलेज रोड) के निकट, तहसील हाँसी, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित खसरा नं. 875/1(3-4) खेवट सं. 1115/1087 मिन खतौनी सं. 1543/1 के भाग की भूमि जिसकी कुल माप 483.42 वर्ग गज है। गृह कर इकाई सं. 1018/2 तथा 937/2. कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के सन्दर्भ में इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपर्युक्त सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति का विक्रय, पट्टे या अन्य विधि (प्रकार्य की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) से हस्तान्तरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि कथित अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार इस वैधानिक निषेध/निरोध का कोई उल्लंघन एक अपराध है। यदि किसी कारणवश यदि प्रतिभूत आस्तियाँ प्रकार्य की सामान्य प्रक्रिया के तहत विक्रय या पट्टाकृत की जाती हैं तो विक्रय की कार्यवाहियाँ अथवा वसूलीकृत आय बैंक के पास जमा/अदा करनी होगी। आपको ऐसी वसूली/आय उचित खाते में जमा करनी होगी।
* हमें अन्य प्रतिभूत आस्तियों को प्रवर्तित करने का अधिकार है।
कृपया इस सूचना की इस माँग का अनुपालन करें। अनुपालन न करने की दशा में समस्त लागतों एवं परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी ठहराते हुए भावी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
* यह सूचना डीआरटी/न्यायालय, जैसा मामलो हो, के समक्ष विधिक कार्यवाही करने के लिए बैंक के पूर्वाग्रह से रहित निर्गत की गयी है।
* यह सूचना डीआरटी/न्यायालय के समक्ष लम्बित अभियोग/मुकदमे में बैंक के अधिकार के पूर्वाग्रह से रहित निर्गत की गयी है।
* यदि अप्रयोज्य हो तो, विलोपन करें।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
अधिकृत प्राधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
शाखा कार्यालय : 46, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

दिनांक : 15.10.2019

सेवा में,
जयभगवान पुत्र हुकम चन्द, 565, वार्ड 4, निकट दशहरा ग्राउण्ड, मेहम, रोहतक, हरियाणा-124112
प्रिय महोदय/महोदया,
प्रतिभूति हित (सरफाएशी) अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत सूचना
सन्दर्भ : खाता सं. 6276008700000172 आप द्वारा शाखा कार्यालय चितरंजन पार्क से आप द्वारा ली गयी साख सुविधाएँ।
आपने निम्नलिखित साख सुविधाएँ ग्रहण की हैं :

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	02.10.2019 तक शेष बकाया
1.	नकद साख सीमा	रु. 68,00,000	रु. 70,03,759.60 /-
	कुल	रु. 68,00,000	रु. 70,03,759.60 /-

किस्त/ब्याज/मूल ऋण के भुगतान में चूक के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाता/तों को 02.10.2019 को नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।
इन परिस्थितियों में हम उपर्युक्त स्वीकृत सुविधा(एँ) जारी रखने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। अतः हम उपर्युक्त सुविधाओं की पुनः याद दिलाते हैं।
02.10.2019 तक बैंक की बकाया राशि पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज सहित रु. 70,03,759.60 (रुपये सत्तर लाख तीन हजार सात सौ उनसठ एवं साठ पैसे मात्र) है (इसके पश्चात इसे ''प्रतिभूत ऋण'' कहा जायेगा)।
उपर्युक्त सुविधाओं के तहत बकाये को प्रतिभूत करने के लिए अन्य बातों के साथ आप ने निम्नलिखित सम्पत्तियों/अस्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति ब्याज सृजित किया है :

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	नकद साख सीमा	सिसाई पुल हाँसी (कॉलेज रोड) के निकट, तहसील हाँसी, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित खसरा नं. 875/1(3-4) खेवट सं. 1115/1087 मिन खतौनी सं. 1543/1 के भाग की भूमि जिसकी कुल माप 483.42 वर्ग गज है। गृह कर इकाई सं. 1018/2 तथा 937/2

एतद्वारा सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत हम आपको सूचना देते हैं और इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज सहित रु. 70,03,759.60 (रुपये सत्तर लाख तीन हजार सात सौ उनसठ एवं साठ पैसे मात्र) की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं। चूक करने पर, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों के उपयोग के अतिरिक्त बैंक सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत प्रावधानित किसी या सभी शक्तियों का उपयोग करेगा। प्रतिभूत ऋण के भुगतान न करने पर बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति/यों का विवरण निम्नलिखित है : 1. सिसाई पुल हाँसी (कॉलेज रोड) के निकट, तहसील हाँसी, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित खसरा नं. 875/1(3-4) खेवट सं. 1115/1087 मिन खतौनी सं. 1543/1 के भाग की भूमि जिसकी कुल माप 483.42 वर्ग गज है। गृह कर इकाई सं. 1018/2 तथा 937/2. कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के सन्दर्भ में इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपर्युक्त सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति का विक्रय, पट्टे या अन्य विधि (प्रकार्य की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) से हस्तान्तरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि कथित अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार इस वैधानिक निषेध/निरोध का कोई उल्लंघन एक अपराध है। यदि किसी कारणवश यदि प्रतिभूत आस्तियाँ प्रकार्य की सामान्य प्रक्रिया के तहत विक्रय या पट्टाकृत की जाती हैं तो विक्रय की कार्यवाहियाँ अथवा वसूलीकृत आय बैंक के पास जमा/अदा करनी होगी। आपको ऐसी वसूली/आय उचित खाते में जमा करनी होगी।
* हमें अन्य प्रतिभूत आस्तियों को प्रवर्तित करने का अधिकार है।
कृपया इस सूचना की इस माँग का अनुपालन करें। अनुपालन न करने की दशा में समस्त लागतों एवं परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी ठहराते हुए भावी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
* यह सूचना डीआरटी/न्यायालय, जैसा मामलो हो, के समक्ष विधिक कार्यवाही करने के लिए बैंक के पूर्वाग्रह से रहित निर्गत की गयी है।
* यह सूचना डीआरटी/न्यायालय के समक्ष लम्बित अभियोग/मुकदमे में बैंक के अधिकार के पूर्वाग्रह से रहित निर्गत की गयी है।
* यदि अप्रयोज्य हो तो, विलोपन करें।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
अधिकृत प्राधिकारी

DhanlaxmiBank

5 एवं 6 भू तल, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001
अंचल कार्यालयः नई दिल्ली कॉर्पोरेट कार्यालयः थ्रिसुर
पंजीकृत ए/डी के साथ **तिथिः 7.12.2019**

सेवा में

श्री रविन्दर कुमार, फ्लैट नं. जी-1, भू तल, फ्रान्ट आरएचएस, प्लॉट नं. ए-64, राम पार्क, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 साथ हीः ग्राम खरखरी, पीओ तथा पीएस लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	श्रीमती कविता, पत्नी श्री रविन्दर कुमार, फ्लैट नं. जी-1, भू तल, फ्रान्ट आरएचएस, प्लॉट नं. ए-64, राम पार्क, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 साथ हीः 87, नुसरताबाद, खरखड़ी, नसरताबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

प्रिय महोदय,
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

1. हम धनलक्ष्मी बैंक लि., एक विधिवत पंजीकृत अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थ्रिसुर, केरल राज्य में, अंचल कार्यालय, 2रा तल, नं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 मे है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय भू तल, 5 एवं 6, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपके लिये यह सूचना जारी करता है।
2. हमारी बैंक की कनॉट प्लेस शाखा ने आवश्यक ऋण दस्तावेजों को प्राप्त करने तथा प्रतिभूति अनुबंधों पर श्री रविन्दर कुमार (आवेदक) तथा श्रीमती कविता (सह-आवेदक) की खाता में आपको निम्न वित्तीय सहायता/ साख सुविधाएं जारी की थीः

क्रम सं.	साख सुविधा का प्रकार	ऋण राशि/ सीमा	दस्तावेज/ एओएल की तिथि	बकाया राशि (30.11.2019 को)	आरओआई
1.	आवास ऋण	रु. 1300000/-	29.1.2018	रु. 12,50,339.72	11.35%

3. आप ने हमारी बैंक के पक्ष में निम्न परिसम्पत्तियों के संदर्भ में प्रतिभूति हित का निर्माण किया हैः

क) हायर अथवा वित्तीय पट्टे/शर्तपूर्ण बिक्री पर दी गई अथवा अधिकार, टाइटल पर टेन्जिबल परिसंपत्तियों पर हित अथवा इन्टेन्जिबल परिसम्पत्तियों अथवा एसाइन्मेन्ट/लाइसैन्स पर अधिकार, टाइटल अथवा हित पर हाइपोथेकेशन/चार्ज/एसाइन्मेन्ट/अधिकार/टाइटल या हित जिसका विशेष विवरण नीचे 'अनुसूची क' में दिया गया है।
ख) अचल परिसम्पत्तियों के टाईटल डीड्स जमा कर मार्टगैज अथवा पंजीकृत मार्टगैज जिसका विशेष रूप से विवरण नीचे 'अनुसूची ख' में दिया गया है।
(यहां अनुसूची क तथा अनुसूची ख में वर्णित सम्पत्ति यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसम्पत्तियों'' के रूप में विदित हैं।)

4. आप ने स्वीकृति की शर्तों, ऋण अनुबंधों तथा प्रतिभूति दस्तावेजों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रतिभूत वित्तीय सहायता के भुगतान की अनदेखी तथा उसमें चूक की है। तदनुसार 08.11.2019 से अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित रूप में आपकी उक्त खाता/ ओं को बैंक ने गैर प्रचालन परिसम्पत्ति (एनपीए)के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।
5. आप अन्य लागत एवं खर्चे के साथ 01.12.2019 से सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 11.35% प्रति वर्ष मासिक रूप से मिश्रित की दर से आगे के ब्याज के साथ रु. 12,50,339.72 (रुपये बारह लाख पच्चास तीन सौ उन्तालिस तथा पैसे बहत्तर मात्र) की कुल राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। बार-बार मांग किये जाने के बावजूद आप ने ऋण/वित्तीय सहायता का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
6. अधिनियम की धारा 2 (जेडडी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है तथा आपको यह सूचना जारी करने के लिये अधिकृत है।
7. अतएव हम आपसे मांग करते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर 01.12.2019 से 11.35% प्रति वर्ष मासिक रूप से मिश्रित की दर से आगे के ब्याज तथा दंड ब्याज, अन्य चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ रु. 12,50,339.72 (रुपये बारह लाख पचास हजार तीन सौ उन्तालिस तथा पैसे बहत्तर मात्र) की राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में बैंक अपने अधिकारों तथा उपचारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपायों का अवलम्बन करेगा।
8. एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की लिखित पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बैंक के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय इस सूचना की प्राप्ति के बाद नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों की अवज्ञा अथवा उल्लंघन करता है तो वह एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों का भागी होगा।
9. पुनः कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण देयताओं का भुगतान नहीं करने तथा अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करने की स्थिति में आप इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री राशि से बैंक की सम्पूर्ण बकाया देयता पूरी नहीं होती है तो बैंक आपकी चल तथा अचल दोनों परिसम्पत्तियों से व्यक्तिगत, संयुक्त तथा पृथक रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।
10. अधिनियम की धारा 13(8) में निर्दिष्ट रूप में बिक्री/नीलामी सूचना प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ, सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। यह सूचना कानून के किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी उपयुक्त तथा आवश्यक समझे ऐसी कार्रवाई अथवा कानूनी कार्यवाही शुरू करने की बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूची 'क'
चल परिसम्पत्तियों का विवरणः शून्य
अनुसूची 'ख' अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण
1.	वही नं. 1, जिल्द नं. 25751, पेज 255/320, नम्बर 37756 तिथि 29.08.2013 के माध्यम से श्री रविन्दर कुमार तथा श्रीमती कविता के नाम में प्लॉट नं. ए-64, राम पार्क, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. में निर्मित फ्लैट नं. जी-1 (एचआईजी), भू तल, माप 900 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, पूर्व : 40 फीट रोड, पश्चिमः 12 फीट गली, दक्षिण प्लॉट नं. ए-63

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 07.12.2019

प्राधिकृत अधिकारी
धनलक्ष्मी बैंक लि.

www.readwhere.com

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
एससीओ-129, हुडा मार्केट, सेक्टर-46, गुड़गाँव-122001
टेली. नं. 0124-2579863

कब्जा सूचना

{प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1)}
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.10.2019 जारी कर ऋणधारक श्री देविन्दर सिंह एवं श्रीमती कविता को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 70,29,822.5 (रुपये सत्तर लाख उन्तीस हजार आठ सौ बाईस एवं पैसे पचास मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है आज, 19 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

अधोलिखित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

भूमि तथा भवनः आवासीय, माप लगभग 5250 वर्ग फीट जो अपार्टमेन्ट नं. जे-101, प्रथम तल, टाइप 5 बीएचके ला लैग्यून, सेक्टर-54, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित है तथा चौहद्दीः पूर्वः खुला स्थान वाकिंग ट्रेक, पश्चिमः नीचे पैसेज, पूर्वः प्लॉट में प्रवेश, दक्षिणः टावर एच

तिथिः 19.12.2019 — एजीएम एवं प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गुड़गाँव — आन्ध्रा बैंक

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में
और
एसआरजी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 1415 अंसल टॉवर, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली-110019, में है, के मामले में
......याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी **14.12.2019**, को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की सम्भावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003** के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:
एसआरजी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U51909DL2008PTC181136)
1415 अंसल टॉवर, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली-110019
ई-मेल : info@srginternational.in
मोबाइल नं. : 9811984444
कृते एसआरजी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
तिथि : 14/12/2019 — हस्ता./-
स्थान : नई दिल्ली — सुमित गर्ग
निदेशक डीआईएन : 02097275
पता : 1241, विद्यासागर ए.पी.जे स्कूल, सेक्टर -15, एस्कॉर्ट नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के अनुवर्ती]
क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4), कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में।
तथा
रियलवर्थ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड (U74900DL1996PTC083429) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, अमृत नगर, एन.डी.एस.ई. पार्ट 1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110049 के विषय में।
................याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपना पंजीकृत कार्यालय **"केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हरियाणा राज्य"** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक **23 दिसंबर, 2019** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, दिल्ली-110003** को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या डिलीवर करें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।
हिते एवं कृते आवेदक
रियलवर्थ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
दिनांकः 23.12.2019 — हस्ता./- (राजीव उप्पल)
स्थानः दिल्ली — निदेशक DIN: 00331272

सितंबर तिमाही में फंसा कर्ज 9.1 फीसद पर स्थिर : आरबीआइ

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक के फंसे कर्ज को लेकर सख्ती का सकारात्मक असर दिखने लगा है। फंसे कर्ज की पहचान को लेकर प्रक्रिया पूरी होने के करीब पहुंचने के साथ बैंकों का सकल एनपीए (फंसा कर्ज) कर्ज अनुपात सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 9.1 फीसद पर स्थिर रहा। 2018-19 में भी इसी समय एनपीए का स्तर यही था।

आरबीआइ ने 2018-19 में बैंक प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट में कहा कि पूरे साल के आधार पर एनपीए के मोर्चे पर अच्छा सुधार दिखता है। जहां 2017-18 में एनपीए अनुपात 11.2 फीसद था, वह 2018-19 में घटकर 9.1 फीसद पर आ गया। सभी वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा घटकर 3.7 फीसद पर आ गईं जबकि इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह अनुपात छह फीसद था। यह बैंक प्रणाली की स्थिति में सुधार को प्रतिबिंबित करता है।

1.10 करोड़ फास्टैग जारी, रोजाना टोल संग्रह 46 करोड़

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पथ कर (टोल) संग्रह शुरू होने के साथ अब तक 1.10 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न बिक्री केंद्रों (पीओएस) के जरिए करीब 1.10 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। राजमार्ग प्राधिकरण रोज करीब डेढ़ से दो लाख फास्टैग की बिक्री देख रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोग इस डिजिटल व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, दैनिक इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करीब 46 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

निविदा सूचना संख्या 06/2019-2020

अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड शाहजहॉपुर के प्रयोगार्थ एक नग डीजल चालित हल्का वाहन वर्ष 2018 या उसके बाद का माडल (चालक सहित) नौ माह के लिए मासिक किराये पर रखने हेतु सीलबन्द निविदायें निर्धारित निविदा प्रपत्र पर दो भागों में अनुभवी एजेन्सी/फर्मों द्वारा आमंत्रित की जाती है। भाग एक में धरोहर धनराशि रुपये 3000/- जो एफ.डी./बी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड शाहजहॉपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। भाग दो में दर नियम एवं अन्य शर्ते होनी चाहिए। निविदा दिनॉक 18-01-2020 को 12.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन 15.00 बजे निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र संख्या 06/2019-2020 का मूल्य रुपये 224/- (जी.एस.टी. सहित) मात्र होगा जो इस कार्यालय से प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र www.upptcl.org पर भी उपल्ब्ध है। निविदा का क्रय करना अनिवार्य है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। **हस्ता./- अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड उ.प्र.पा.ट्रॉ.का.लि., 132 के.वी. उपकेन्द्र पोवायॉ रोड शाहजहॉपुर 'राष्ट्र हित में बिजली बचायें' पत्रांक** 164/वि.परी.एवं **परि.खं.(शा.)/निविदा संख्या** 06/2019-20 **दिनांक/Date** 23.12.2019

सूचकांक 181 अंक फिसला

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में मंगलवार को भी गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) की भारतीय अर्थव्यवस्था पर की गई टिप्पणी का असर घरेलू शेयर बाजारों पर पड़ा। आइएमएफ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नरम चल रही है। इसके अलावा कारोबारी गुरुवार को समाप्त हो रहे वायदा व विकल्प खंड सौदों के समाप्त होने से पहले थोड़े सतर्क दिखे। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 181.40 अंक यानी 0.44 फीसद टूटकर 41,461.26 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48.20 अंक यानी 0.39 फीसद की गिरावट के साथ 12,214.55 अंक पर आ गया। कारोबार के अंतिम चार घंटे में रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक व एचडीएफसी जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में एचसीएल टेक रही।

जीएसटी पर अधिकारी समूह की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

राज्यों को माल व सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के लिए उपकर से प्राप्त राशि में चालू वित्त वर्ष के दौरान 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी रहने की आशंका के बीच अधिकारियों की एक समिति ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए हैं। इनमें विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इनमें जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या कम करने और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने के सुझाव भी शामिल हैं। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई इस समिति का गठन जीएसटी की समीक्षा के लिए किया गया था। समिति को इस दौरान विभिन्न संबद्ध पक्षों से भी कई सिफारिशें और सुझाव प्राप्त हुए हैं।

डीसीबी बैंक लिमिटेड — डीसीबी बैंक
7/56, तीसरी मंजिल, देशबन्धु गुप्ता रोड
करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दूरभाष : (011) 45016060/45016055

सरफाएशी अधिनियम के नियम 9(1) के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधान 8(6) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत डीसीबी बैंक के पास प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत 26.09.2019 को भौतिक कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित विवरणों के अनुसार निम्नलिखित बकायों तथा भावी ब्याज, प्रभारों एवं लागत आदि सहित की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार निविदा सह सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी :

सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी।

कर्जदार तथा जमानतियों के नाम : सन्मति ऑयल एण्ड स्पेयर पार्ट्स, सत्यवीर जैन, राहुल जैन, सरिता जैन।

बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
ए-449, मीत नगर, मेन वजीराबाद रोड, शाहदरा, दिल्ली-110094	रु. 98,00,000/- (रुपये अट्ठानबे लाख मात्र)	रु. 9,80,000/- (रुपये नौ लाख अस्सी हजार मात्र)
निरीक्षण की तिथि एवं समय	**नीलामी की तिथि एवं समय**	**कब्जे का प्रकार**
02.01.2020 11.30 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	09.01.2020 12.30 बजे अप. से 4.00 बजे अप.	भौतिक

उपर्युक्त सम्पत्ति की खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक क्रेता डीसीबी बैंक लिमिटेड, 7/56, तीसरी मंजिल, देशबन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर "जमा धरोहर राशि" के प्रति "डीसीबी बैंक लिमिटेड", नई दिल्ली के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित मुहरबन्द लिफाफे में उपर्युक्त सम्पत्ति हेतु अपने प्रस्ताव 08.01.2020 को 4.30 बजे अप. तक या इससे पूर्व भेज सकते हैं। मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि पर 09.01.2019 को 12.30 बजे अपराह्न उपर्युक्त शाखा पर खोले जायेंगे। यदि संविदा असफल होती है तो बिना किसी ब्याज के ईएमडी वापस कर दी जायेगी। इच्छुक क्रेता उपर्युक्त सम्पत्ति/आस्ति का निरीक्षण अधिकतम उपर्युक्त तिथि तक कर सकते हैं जिसके लिए वे श्री श्यामसुन्दर चंडोक या श्री मयंक दत्त चौधरी (011-45016060, 45016055) से सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखें।

ह./-
तिथि : 25.12.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली — डीसीबी बैंक लिमिटेड

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V, नई दिल्ली के समक्षकम्पनी याचिका सं. सीए (सीएए)-144 (एनडी/2019 जो संबंधित है
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए-139/230/232/एनडी/2019 से (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत) कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
मामले में आइट्रॉन मीटरिग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता कंपनी सं. 1/ अंतरक कम्पनी
तथा
आइट्रॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ---याचिककर्ता कम्पनी सं. 2/ अंतरिती कम्पनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

आइट्रॉन मीटरिग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 1) तथा आइट्रॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2) के बीच समामेलन योजना की स्वीकृत के लिए याचिकाकर्ता कम्पनी सं.-1 तथा याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2 द्वारा संयुक्त रूप से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत 29 अक्तूबर, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V (एनसीएलटी) के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर माननीय एनसीएलटी के समक्ष सोमवार, 13 जनवरी, 2020 को 10.30 पूर्वा. में अथवा उसके तत्काल बाद सुनवाई निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक हों, अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं/अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना इस प्रकार से भेजें ताकि वह उक्त याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास पहुंच जाए। यदि वे व्यक्ति उक्त याचिका का विरोध करना चाहते हों तो उस सूचना के साथ विरोध के कारणों अथवा शपथ-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें।

याचिका की एक प्रति आवेदक कम्पनियों के अधिवक्ता से याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व शनिवार तथा रविवार छोड़कर किसी भी कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वा. से 6 बजे सायं के बीच प्राप्त की जा सकती है।

तिथिः 25.12.2019
पताः मै. साइरिल अमरचंद मंगलदास, डी-3, प्रायस प्लैटिनम, 4था तल, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार
पार्टनर
मै. साइरिल अमरचन्द मंगलदास
आवेदक कम्पनियों के
एडवोकेट्स

द करुर वैस्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड
करोलबाग, नई दिल्ली-110005
KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जारी

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.10.2019 जारी कर ऋणधारकों (1) मै. इंडियन बाल्स इन्टरनेशनल, पर प्रॉपः श्री दीपक गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 तथा 2) श्री राजेश गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2136868.34 (रुपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ अड़सठ एवं पैसे चौंतीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.09.2019 जारी कर ऋणधारक 1) मै. बॉबी टॉयज सेन्टर, पर प्रॉप.: श्री राजेश गुप्ता, 5387/2, न्यू मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-110006; 2) श्री राजेश गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 तथा श्री दीपक गुप्ता, पुत्र श्री राजेश गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 25,23,071.07 (रुपये पच्चीस लाख तैईस हजार इकहत्तर तथा पैसे सात मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 23 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 46,59,939.41 (रुपये छियालिस लाख उनसठ हजार नौ सौ उन्तालिस एवं पैसे इकतालिस मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण

2152, वार्ड नं. XII, गली शोरा कोठी, क्लॉक टावर, दिल्ली-110007, भूमि माप लगभग 87 वर्ग यार्ड्स में निर्मित सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति तथा चौहद्दीः
पूर्वः सम्पत्ति सं. XII/2151 — पश्चिमः सम्पत्ति सं. XII/2206 नया
उत्तरः सम्पत्ति सं. XII/1882 नया — दक्षिणः लेन

तिथिः 23.12.2019 — मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली — द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

प्रपत्र-बी
सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और दिवालियापन भारतीय बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत)

जोट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	जोट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	09.01.1998
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायबिलिटी	U18101DL1998PTC091759
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 1/204, भूतल, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली-110010
6.	इंशोल्वेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन	19 दिसम्बर 2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन	20 दिसम्बर, 2019 को माननीय एनसीएलटी द्वारा आदेश पारित (आदेश एनसीएलटी पोर्टल पर 23 दिसम्बर 2019 को अपलोड किया गया)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इंशोल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम तथा	श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/ IP-P00780/ 2017-2018/11353
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेल	पंजीकरण पताः ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली, 110057, भारत ईमेलः Akhilesh@llca.net
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा	श्री अखिलेश कुमार गुप्ता लूथरा एण्ड लूथरा रिस्ट्रक्चरिंग एण्ड इंसोल्वेन्सी एडवाईसर्स एलएलपी, एलजीएफ, ए-16/9, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 भारत ईमेलः jipl.irp@llca.net फोनः +91-11-42591800
11.	दावा जमा करने की अंतिम तिथि	22 जनवरी 2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली-II ने **20 दिसम्बर 2019** को **जोट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड** के परिसमापन को शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश एनसीएलटी पोर्टल पर 23 दिसम्बर 2019 को अपलोड किया गया)।

जोट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास **22 जनवरी, 2020** को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी हितधारक प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

सभी दावे निर्दिष्ट फार्म में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। **फार्म सी**-परिचालन लेनदारों द्वारा दावे का प्रमाण, कामगार और कर्मचारियों को छोड़कर **फार्म डी**-वित्तीय लेनदारों द्वारा दावे का प्रमाण **फार्म ई**-कामगार या कर्मचारी द्वारा दावे का प्रमाण **फार्म एफ**-कामगारों या कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे का प्रमाण **फार्म जी**- किसी अन्य हितधारक द्वारा दावे का प्रमाण। ये फॉर्म आईबीबीआई के पोर्टल यानी https://ibbi.gov.in या लिक्विडेटर के पोर्टल यानी http://www.llcairp.com/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

हस्ताक्षर
दिनांकः 24.12.2019 — अखिलेश कुमार गुप्ता
स्थानः नई दिल्ली — परिसमापक

PTC INDUSTRIES
Aspire. Innovate. Achieve.
सीआईएन : L27109UP1963PLC002931
पंजीकृत कार्यालय : एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सेन्टर, एनएच-25ए, सराय शाहजादी, लखनऊ-227101, उत्तर प्रदेश, भारत
फोनः +91 522 7111017, फैक्स: +91 522 7111020, ईमेलः ptc@ptcil.com, वेब : www.ptcil.com

पोस्टल बैलेट सूचना

कंपनी के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार, कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस (दिनांक 21 दिसंबर, 2019) की प्रेषण प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट फॉर्म सहित, दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को पूर्ण कर ली है। जिसमें विशेष प्रस्ताव के माध्यम से (1) श्री बृज लाल गुप्ता (DIN-06503805) के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार पांच वर्षों का दूसरा कार्यकाल, और (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (3) के प्रावधानों के अनुसार ऋण के इक्विटी में रूपांतरण को सक्षम करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति की मांग की गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान यानी रिमोट ई-वोटिंग भी शामिल है।

जिन व्यक्तियों के नाम 13 दिसंबर, 2019 (कट-ऑफ डेट) को सदस्यों/लाभार्थियों के रूप में रजिस्टर में हैं, वे केवल पोस्टल बैलट/रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पारित प्रस्तावों पर वोट देने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, उनके लिये सूचना केवल जानकारी हेतु है।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से CDSL की सेवायें ली है। पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान गुरुवार, 26 दिसंबर, 2019 (प्रातः 9:00 बजे) से शुरू होगा और शुक्रवार 24 जनवरी 2020 (सांय 5:00 बजे) पर समाप्त होगा। मतदान के परिणाम शनिवार 25 जनवरी, 2020 को घोषित किए जाएंगे।

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित करने के लिये श्री अमित गुप्ता, कंपनी सचिव (पूर्णतः प्रैक्टिस में) को स्क्रूटिनाइजर के रूप में और सुश्री प्रगति गुप्ता कंपनी सचिव (पूर्णतः प्रैक्टिस में) को वैकल्पिक जांचकर्ता के रूप में (अतः स्क्रूटिनाइजर्स के रूप में उल्लिखित) नियुक्त किया है।

विधिवत भरे हुए मतपत्र फॉर्म, स्क्रूटिनाइजर को 24 जनवरी 2020 को सांय 5:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए उक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त मत पत्र अमान्य माना जाएगा।

बैलट फॉर्म की नकल प्रति मांगने या बैलट प्रक्रिया से संबंधित कोई शिकायत होने पर सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लि0 सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 या ई-मेल आईडी companysecretary@ptcil.com पर लिख सकते हैं। डुप्लीकेट बैलट फॉर्म को विधिवत पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और 24 जनवरी, 2020 को सांय 5:00 बजे स्क्रूटिनाइजर तक पहुंच जाना चाहिए।

कृते पी टी सी इण्डस्ट्रीज लि0
हस्ता./-
दिनांक - 24.12.2019 — (अनुज निगम)
स्थान - लखनऊ — कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अक्तूबर में सृजित हुए 12.44 लाख नए रोजगार : ईएसआइसी

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर महीने में 12.44 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ। इससे पिछले महीने 12.23 लाख नए रोजगार पैदा हुए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआइसी के पास कुल 1.49 करोड़ नए नामांकन हुए थे। आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2017 से अक्तूबर 2019 के दौरान ईएसआइसी योजना से 3.22 करोड़ नए अंशधारक जुड़े।

एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआइसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने वाले नए अंशधारकों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान ईएसआइसी के पास कुल 83.35 लाख नए नामांकन हुए। अक्तूबर में ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से 7.39 लाख नए नामांकन हुए। सितंबर में यह संख्या 9.48 लाख की थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईपीएफओ संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 61.12 लाख नए अंशधारक जुड़े। सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान इससे शुद्ध रूप से 15.52 लाख नए अंशधारक जुड़े। ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 से अक्तूबर 2019 के दौरान 2.93 करोड़ अंशधारक कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े।

सोना 191 रुपए उछला, चांदी 943 रुपए चढ़ी

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं में तेजी जारी रहने के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 191 रुपए उछल कर 39,239 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक, चांदी 943 रुपए चढ़ कर 47,146 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले दिन चांदी 46,203 रुपए पर बंद हुई थी।

एमएमटीसी
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
CIN L51909DL1963GOI004033
कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 (भारत)
फोन नं: +91-11-24362200, 24360527
फैक्स: +91-11-24364587

एमएमटीसी निम्न हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है
(i) प्याज का आयात
प्याज के आयात हेतु ई-निविदा
ई-निविदा सं. एमएमटीसी/आइएफपी/प्याज/2019-20/16 दिनांक 20 दिसंबर, 2019, समापन तिथि 26 दिसंबर, 2019 को 1500 बजे (भा.मा.स.)
(ii) आयातित प्याज की खरीद
आयातित प्याज की खरीद हेतु ई-निविदा
ई-निविदा सं. एमएमटीसी/पीयूआर/प्याज/2019-20/02 दिनांक 23 दिसंबर, 2019, समापन तिथि 27 दिसंबर, 2019 को 1500 बजे (भा.मा.स.)
ई-निविदा एमएमटीसी की ई-प्रापण वेबसाइट https://mmtc.abcprocure.com पर उपलब्ध है।
निविदा दस्तावेज की कापी उप महाप्रबंधक (एफो) से भी प्राप्त की जा सकती है अथवा हमारी वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in और https://eprocure.gov.in/epublish/app से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, 1ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद
फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.1.2019 जारी कर ऋणधारको श्री कमरुद्दीन, पुत्र श्री करकल्ली, एमसीएफ 443, खचेरु कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 तथा गारन्टरोंः 1. श्री कमरुद्दीन, पुत्र श्री करकल्ली, एच. न. 543, सुभाष कॉलोनी, निकट जनता मार्डन स्कूल, बल्लभगढ़-121004, 2. श्री मुस्ताक, मुवीन तथा शाहिद एच नं. 543, सुभाष कॉलोनी, निकट जनता मार्डन स्कूल, बल्लभगढ़-121004 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 18,94,766.00/- (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 3.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, खाता सं. 65032497499 में इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 18,94,766.00/- (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 3.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खचेरु कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में बिक्री प्रलेख सं. 5929, 302 तिथि 29.7.1996 तथा 15.2.1990 के माध्यम से श्री कमरुद्दीन, पुत्र श्री करकल्ली के नाम में एम सी एफ 442 (किल्ला नं. 19/1/2, 12 मुस्तिल नं. 84,13(1), एमएसजी-305.50 वर्ग यार्ड्स की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 25.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः फरीदाबाद — भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के अनुवर्ती]
क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4), कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में।
तथा
आरएनएस मर्केनडाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड (U18101DL2001PTC110491) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, अमृत नगर, एन.डी.एस.ई. पार्ट 1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110049 के विषय में।
................याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपना पंजीकृत कार्यालय **"केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हरियाणा राज्य"** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक **23 दिसंबर, 2019** को अपराह्न 2.00 बजे आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, दिल्ली-110003** को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या डिलीवर करें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।
हिते एवं कृते आवेदक
आरएनएस मर्केनडाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
दिनांकः 23.12.2019 — हस्ता./- (राजीव उप्पल)
स्थानः दिल्ली — निदेशक DIN: 00331272

कार बिक्री सूचना

अमीरा प्योर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन)
पंजी. कार्या.: बी-1/ई-28, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044

ई-नीलामी
दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत कारों की बिक्री
नीलामी की तिथि एवं समयः मंगलवार, 7 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

आदेश तिथि 11 दिसम्बर, 2018 माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II द्वारा नियुक्त प्रस्ताव कर्मी द्वारा **अमीरा प्योर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड** (सीआईआरपी के अधीन) के स्वामित्व के कारों की बिक्री। यह बिक्री के माध्यम से ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

कार का विवरण	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
चल परिसम्पत्ति-BMW-सिरीज 750L (2009, व्हाईट, पेट्रोल, 54,500 कि.मी.)	ब्लॉक-1	रु. 18,30,000/- (अठारह लाख तीस हजार मात्र)	रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र)

निरीक्षण की अंतिम तिथि एवं समयः **28 दिसम्बर, 2019 (शनिवार) तथा 29 दिसम्बर, 2019 (रविवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक।**

बोली दस्तावेजों एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः **5.00 बजे अप. से पूर्व, 6 जनवरी, 2020 (सोमवार) को।**

कृपया नोट करें: विस्तृत नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी निविदा दस्तावेज तथा ऑन लाइन नीलामी बिक्री के अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। आगे, स्पष्टीकरणों के लिए कृपया ई-मेलः amira.cirp@gmail.com पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

तिथिः 24.12.2019 — आकाश सिंघल
स्थानः नई दिल्ली — प्रस्ताव कर्मी
मै. अमीरा प्योर फूड्स प्रा. लि. (सीआईआरपी के अधीन कम्पनी)
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
खण्डेलवाल जैन एंड क., जी-8 एवं 9, हंस भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002, ई-मेलः amira.cirp@gmail.com
सम्पर्क नं.: 011-23370091

शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में 12 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित **सार्वजनिक सूचना** 'द्वारका में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के लिए कुछ रिक्तियाँ हैं', से सम्बन्धित में दी गई जानकारी -
27 दिसंबर, 2019 **से** को
27 दिसंबर, 2019 **तक** पढ़ा जाए
असुविधा के लिए खेद है।
सचिव
एनपीएससी सोसाइटी, प्लॉट सं. 5, सेक्टर-2 द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुलग्नक - 'ए' 12
जी ऐंड जी पॉलिमैक प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन : U25191DL2009PTC192924)
पंजी. कार्यालय : 26, आनंद लोक, नई दिल्ली 110049
ई-मेल : cs@agindus.com
केन्द्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5)(क) के मामले (क) विषय में
तथा
जी ऐंड जी पॉलिमैक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 26 आनंद लोक, नई दिल्ली-110049 में स्थित है, के विषय में
........आवेदक कम्पनी

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित/स्थानांतरित करने के लिए याचिकादाता कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 18 दिसम्बर, 2019 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित, के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित याचिकादाता कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति याचिकादाता कम्पनी को उपर्युल्लिखित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।
वास्ते जी ऐंड जी पॉलिमैक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 24.12.2019 — रवि पैट्रो
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 08466964
पता : आरजेड-57/12-14, गली नंबर 5, मेन सागरपुर, साउथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110046

AU SMALL FINANCE BANK
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
परिशिष्ट-IV-A
नियम 8(6) के लिए देखें
अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तों व नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना

आमजन एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी/प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता "जैसे है जहाँ है" "जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे हैं। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार है-

ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि व समय	निविदा जमा करने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
दिनेश कुमार पुत्र श्री सुर्या प्रसाद (ऋणी), श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नि दिनेश कुमार (सह-ऋणी व बंधककर्ता) लोन खाता नं. LSKRL02914-150280269 (L9001060100160796)	3 जून 2017 ₹1660860/- रुपये सौलह लाख साठ हजार आठ सौ साठ मात्र	29 नवम्बर 2019	म.नं.-16, यादव नगर, बुलंदशहर रोड़, इंडिस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. क्षेत्रफल : 58 वर्ग गज	₹ 801000/- रुपये आठ लाख एक हजार मात्र	₹ 50000/- रुपये पचास हजार मात्र	1 फरवरी, 2020 समय प्रातः 10.30 से अपरान्ह 2 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	31 जनवरी 2020 समय प्रातः 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयः- 801 से 804, रूट्स टॉवर, 8वां तल, जिला सेंन्टर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली 110092	भगवान दास 9205262015 31-जनवरी, 2020
नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह (ऋणी), श्रीमती भावना सिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह (सह-ऋणी व बंधककर्ता) लोन खाता नं. LSGUR02715-160344726 (L9001060100970206)	2 नवम्बर 2017 ₹1076983/- रुपये दस लाख छियत्तर हजार नो सौ तिरासी मात्र	25 नवम्बर 2019	फ्री होल्ड रेस. सम्पत्ति एमसीएफ नं. 4548, खसरा नं. 19//19, 20,21,22 वका मौजा गौंची, तहसील-बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद क्षेत्रफल : 46 वर्ग गज	₹ 1200000/- रुपये बारह लाख मात्र	₹ 50000/- रुपये पचास हजार मात्र	1 फरवरी, 2020 समय प्रातः 10.30 से अपरान्ह 2 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	31 जनवरी 2020 समय प्रातः 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयः- बेटर हॉमज़ टॉवर, दुसरा तल, प्लॉट नं. 20-21 सी, यामाहा शौरूम, नीलम रैल्वे रोड़, एनएच-5, निट फरीदाबाद - 121001, हरियाणा	केशव धसमाना 8130291427 31-जनवरी, 2020

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड की वेबसाईट पर दिये गये लिंक https://www.aubank.in/bank-auction पर देखें।
नोटः- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।
स्थानः जयपुर दिनांकः 24-दिसम्बर-2019 — प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

www.readwhere.com

पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों का वीडियो जारी

विपक्ष ने गोलीबारी में मारे गए लोगों को बेकसूर बताने का दावा किया था

बंगलुरु, 24 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ मंगलुरु में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कुछ वीडियो क्लिप जारी किए हैं जिनमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारी एक ऑटो-ट्रॉली में पत्थर भर कर लाते हुए और उन्हें पुलिसकर्मियों पर फेंकते हुए तथा सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कथित तौर पर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं।

वीडियो में प्रदर्शनकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए कपड़ों से अपना चेहरा छिपाए हुए और सबूत मिटाने की कोशिश में सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। ये वीडियो फुटेज पिछली रात जारी किए गए जब विपक्षी कांग्रेस और जद (सेकु) ने दावा किया कि गोलीबारी में मारे गए लोग बेकसूर थे और उनका हिंसा से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था।

पूर्व मुख्यमंत्रियों- सिद्धरमैया और एचडी कुमारस्वामी ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की और दोनों ने प्रत्येक परिवार के सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपए का चेक दिया। यह उस 10 लाख रुपए के अनुदान से अलग था जो राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को दिया गया, जिन्होंने पिछले गुरुवार पुलिस गोलीबारी में अपने प्रियजन खोए थे।

गृहमंत्री बसावराज बोम्मई ने घोर हिंसा में भी कथित रूप से अधिकतम संयम रखने के लिए पुलिस की प्रशंसा की और शरारती लोगों को मासूम कहने पर विपक्ष के नेताओं की आलोचना की। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, 'सोचे-समझे तरीके से, लोगों ने अपने चेहरे छिपा कर रखे थे, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और संगठित तरीके से आगजनी और लूट की। उन्होंने पथराव भी किया और पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया।' भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि पुलिस द्वारा जारी वीडियो, 'कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों की बुरी याद दिलाते हैं जहां युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते हैं।'

कर्नाटक

यहां भाजपा मुख्यालय में सीएए पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कटील ने संवाददाताओं से कहा, 'जब पुलिस के हाथ से चीजें बाहर हो गईं तभी गोलियां चलाई गईं।' उन्होंने विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। इस बीच, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने प्रदर्शनकारियों के चेहरा ढंकने को उचित ठहराया। कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से राव ने कहा, 'प्रदर्शनकारियों के पास चेहरा ढंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे।'

हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

बंगलुरु, 24 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक की सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ मेंगलुरु में पिछले हफ्ते हुए हिंसक प्रदर्शन की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई थी।

राज्य सरकार ने आदेश में कहा कि उसने उडुपी जिले के उपायुक्त जी. जगदीश को मामले की जांच के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और उन्हें तीन महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सरकार के आदेश में इस तथ्य का संज्ञान लिया गया कि मेंगलुरु में सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए।

सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी, जिनकी संख्या करीब 1500 थी, हिंसक हो उठे व पुलिस पर पथराव किया, सड़कों पर टायर जलाए और थाने के अंदर जलता हुआ टायर फेंकने का प्रयास किया। पुलिस ने शुरू में उन्हें लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी और हल्का लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी जब इससे भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवा में रबर की गोलियां चलाई गईं। इस पर भी जब आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिस ने दो गोलियां चलाईं जिसमें अब्दुल जलील और नौशीन मारे गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने इससे पहले घोषणा की थी कि जांच सीआइडी या मजिस्ट्रेट से कराई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और मुसलिम संगठनों द्वारा न्यायिक जांच की मांग को खारिज कर दिया था।

सोनिया,ओवैसी के खिलाफ याचिका दाखिल

अलीगढ़, 24 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ एक वकील ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संबंध में भड़काऊ टिप्पणी की। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी अखंड भारत के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण गुप्ता ने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अलीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख किया है।

मप्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ठिकानों पर छापों में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा

इंदौर (मध्य प्रदेश), 24 दिसंबर (भाषा)।

भारी भ्रष्टाचार के संदेह में लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर नगर निगम (आइएमसी) के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ठिकानों पर मंगलवार को छापे मारे। छापों में जांचकर्ताओं को उसकी वैध आय से कहीं ज्यादा संपत्ति के सुराग मिले हैं।

लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक (डीएसपी) प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि आइएमसी के बेलदार (बिल बांटने और अन्य छोटे-मोटे काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) रियाजुल हक अंसारी (35) के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने भ्रष्ट तरीकों से खासी संपत्ति अर्जित की है। उसके घर तथा दो अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए। छापों में अंसारी के घर से 50,000 रुपए की नकदी और सोने-चांदी के कुछ जेवरात बरामद हुए।

> छापों में अंसारी के घर से 50,000 रुपए की नकदी और सोने-चांदी के कुछ जेवरात बरामद किए गए हैं। आइएमसी कर्मचारी के खिलाफ जारी जांच के घेरे में आईं अचल संपत्तियों में शहर के एक रिहाइशी अपार्टमेंट में दो फ्लैट, एक पेंट हाउस, एक भूखंड जिस पर मकान बनाया जा रहा है, एक भवन और एक दुकान शामिल है।

आइएमसी कर्मचारी के खिलाफ जारी जांच के घेरे में आईं अचल संपत्तियों में शहर के एक रिहाइशी अपार्टमेंट में दो फ्लैट, एक पेंट हाउस, एक भूखंड जिस पर मकान बनाया जा रहा है, एक भवन और एक दुकान शामिल है। इनमें से कुछ संपत्तियां अंसारी के परिजनों के नाम से भी खरीदी गई हैं।

उन्होंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर एक छोटी एसयूवी गाड़ी तथा दो पहियों वाले दो वाहन भी मिले हैं। डीएसपी ने बताया कि अंसारी वर्ष 2003 में आइएमसी की सरकारी सेवा में शामिल हुआ था। गुजरे 16 साल में उसने आइएमसी के वेतन से करीब 25 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि उसके ठिकानों पर छापों के बाद जांच के घेरे में आईं चल-अचल संपत्तियों का कुल मूल्य इस रकम से कहीं ज्यादा है।

उपद्रवियों के खिलाफ आठ एफआइआर दर्ज

भागलपुर, 24 दिसंबर (जनसत्ता)।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर बाजार बंद पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ भागलपुर पुलिस ने अब तक आठ एफआइआर दर्ज की है। जिनमें सवा सौ के करीब नामजद और एक हजार से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। आशंका है कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। वैसे जानकर बताते हैं कि जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनके नाम गुंडा रजिस्टर में भी दर्ज करने की हिदायत पटना पुलिस मुख्यालय से मिली है। गुंडा रजिस्टर में नाम आ जाने के बाद ऐसे लोग कई अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। साथ ही इनकी थाने में हाजिरी लगेगी और पुलिस कभी भी इनके घरों की तलाशी ले सकेगी।

भागलपुर

यों राज्य में अब तक कुल 19 एफआइआर दर्ज की गई है और 15 गिरफ्तारियां हुई हैं। जिनमें से आठ प्राथमिकी केवल भागलपुर में ही लिखी गई है और तीन जनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोग राजद के जिलाध्यक्ष तिरुपति यादव, युवा राजद के जिलाध्यक्ष मो मिराज अख्तर उर्फ चांद और एक अन्य हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया है। इधर पुलिस ने तोड़फोड़ करने के मामले में इनको रिमांड पर लेने की अर्जी अदालत में दाखिल की है।

एसएसपी आशीष भारती ने सोमवार को बताया कि 19 तारीख को हुए बंद के दौरान तोड़फोड़ व उत्पात मचाने वालों के खिलाफ थाना नाथनगर में तीन, कोतवाली और जोगसर में एक-एक मामले दर्ज किए गए। वहीं 21 दिसंबर को बंदी के दौरान हुए उपद्रव व तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ थाना कोतवाली, नाथनगर और विश्वविद्यालय में एक-एक प्राथमिकी लिखी गई है।

एसएसपी के मुताबिक उपद्रवियों की शिनाख्त वीडियो फुटेज देखकर की जा रही है। ताकि शांति भंग करने वालों को जेल भेजा जा सके। हालांकि, पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

अब श्रीनगर नगर निगम के महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

श्रीनगर, 24 दिसंबर (भाषा)।

श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के महापौर जुनैद मट्टू के खिलाफ 40 पार्षदों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिससे निगम में संकट और गहरा गया है। इसी तरह का एक प्रस्ताव सोमवार को उप महापौर शेख इमरान के खिलाफ भी लाया गया था। निर्दलीय पार्षद यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और भाजपा ने इसका समर्थन किया। पार्षदों ने सोमवार को उप महापौर शेख इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था।

कश्मीर भाजपा के मीडिया प्रभारी मंजूर भट ने यहां कहा, 'भाजपा ने निर्दलीय पार्षदों द्वारा एसएमसी के महापौर के खिलाफ लाए गए अश्विवास प्रस्ताव का समर्थन किया है।' उन्होंने कहा कि महापौर और उपमहापौर शहर में विकास कार्य चलाने में विफल रहे हैं और उन्होंने पार्षदों का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा, 'लगभग 29 निर्दलीय पार्षदों ने हमसे संपर्क किया था और एक पार्टी के रूप में, जिसने लोगों के लिए जमीनी स्तर पर विकास का वादा किया है, हम महापौर के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए बाध्य थे। पिछले एक वर्ष में विकास का कोई काम नहीं हुआ। हमारी पार्टी के 11 पार्षद हैं और अब हमारी कुल संख्या 40 है। हमें (प्रस्ताव पेश करने के लिए) केवल 36 पार्षदों की जरूरत है।' भाजपा नेता ने कहा कि पार्षदों ने एसएमसी आयुक्त को प्रस्ताव सौंपा है और कुछ दिनों में बहुमत साबित करने को कहा जाएगा।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन होगा

मंत्रिमंडल ने दी विभिन्न संवर्गों के विलय को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें अब आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न संवर्गों का विलय एकल रेलवे प्रबंधन प्रणाली में करने को भी मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन ऐतिहासिक फैसला है। पुनर्गठित रेलवे बोर्ड विभागों की जटिलताओं से राहत दिलाएगा। इसमें किसी की वरीयता से समझौता नहीं होगा। यातायात, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग के लिए सदस्यों की जगह नवगठित रेलवे बोर्ड में परिचालन, व्यवसाय विकास, मानव संसाधन, अवसंरचना और वित्त कार्यों के लिए सदस्य होंगे। इन्हें एक केंद्रीय सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आइआरएमएस) के दायरे में लाया जाएगा।

भारतीय रेलवे में दो विभाग रेलवे सुरक्षा बल और चिकित्सा सेवा विभाग होंगे। रेलवे बोर्ड का नेतृत्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (सीआरबी) करेंगे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे। इसके चार सदस्य एवं कुछ स्वतंत्र सदस्य होंगे। भारतीय रेलवे पर बनी विवेक देबराय समिति ने 2015 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नौ दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी है।

एसजीएफआइ के 65वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का निशंक ने किया शुभारंभ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को 65वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के अंतर्गत लॉन टेनिस (अंडर 19, बालक व बालिका) का नई दिल्ली स्थित आरके खन्ना स्टेडियम में शुभारंभ किया। ये खेल भारतीय स्कूल खेल महासंघ (एसजीएफआइ) की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। 23 राज्यों से चयनित होकर आए कुल 232 टेनिस खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली में जुटे हैं। ये सभी खिलाड़ी 28 दिसंबर तक विभिन्न श्रेणियों में भाग लेंगे।

इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अपने जिलों, मंडल और फिर राज्य स्तर पर विजेता होने के उपरांत जो खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उन पर उनके संबंधित राज्यों की आशाएं टिकी हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि कुल 232 खिलाड़ियों में से 113 बालिकाएं हैं, जो 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान को सार्थक कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में बालिकाओं का राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना बेहद गर्व का विषय है। निशंक ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का परचम लहराएंगे। उन्होंने फिट इंडिया अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि फिट रहने के लिए खेल सबसे उपयुक्त माध्यम है।

भारतीय स्टेट बैंक
स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी शाखा
द्वितीय फ्लोर, अजीत कॉम्पलेक्स, सहारनपुर रोड, देहरादून-248001
अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर वसूली की बकाया राशि एवं अन्य खर्चे व लागत सहित जो नीचे दी गई है के अनुसार नीचे लिखी तिथि को नीलाम की जायेगी. प्रत्येक संपत्ति के लिए रिजर्व मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है *नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट www.sbi.co.in देखें

(बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात भार, यदि कोई हो)

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम व पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि 13(2) के अनुसार जो बिक्री बेची जाएगी	अ. रिजर्व मूल्य ब. ईएमडी (लाख में) स. बोली वृद्धि राशि
1.	मैसर्स नितिन ट्रेडर्स, 166/1, पटेल नगर, मुजफ्फरनगर. 1. संजय कुमार गोयल (प्रो.) 2. श्रीमती रेनू गोयल, श्रीमती कल्पना गोयल एवं दिनेश गोयल, संजय गोयल (गारन्टर्स)	आवासीय मकान नं0 171, मौहल्ला पटेल नगर, मुजफ्फर-नगर, विक्रय विलेख संख्या 12502, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती कल्पना गोयल, विक्रय विलेख संख्या 358, सम्पत्ति स्वामी श्री संजय कुमार गोयल, क्षेत्रफल 381.85 वर्ग मीटर (250.38+131.47)	रू0 157.19 लाख + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग नोटिस के अनुसार दिनांक 22.05.2019 (नीलामी से सीसी खाते में रू0 41.40 लाख जमा)	अ. रू0 117.00 लाख ब. रू0 11.70 लाख स. 0.50 लाख
2.	मैसर्स वंश इंटरप्राइजेज प्लाट नं0 डी-9, काशीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, श्रीमती प्रीति गोयल	1. फैक्टरी भूमि व भवन प्लाट नं0 डी-9, काशीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाजपुर रोड, निकट गुरुकुल स्कूल, क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर, काशीपुर (उधमसिंह नगर) 2. प्लान्ट एंड मशीनरी स्थित प्लाट नं0 डी-9, काशीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाजपुर रोड, काशीपुर (उधमसिंह नगर)	रू0 68.53 लाख + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग नोटिस के अनुसार दिनांक 05.08.2017 उपरोक्त	1. अ. रू0 23.64 लाख ब. रू0 2.37 लाख स. 0.50 लाख; 2. अ. रू0 7.62 लाख ब. रू0 0.80 लाख स. 0.50 लाख
3.	मैसर्स कृष्णी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मकान नं0 217, ग्राम कुधावाली, जौहरी गाव देहरादून 1. श्री निति कान्त (डायरेक्टर एवं गारन्टर) एवं स्व0 श्री कृष्ण कान्त के कानूनी उत्तराधिकारी	1. फ्लैट नं0 बी-301, द्वितीय मंजिल, स्थित 111, दून पैराडाइज, राजपुर रोड, देहरादून। क्षेत्रफल-130.06 वर्ग मीटर. रू0 1797294.00, रू0 1280571.00 एवं रू0 3842000.00 क्रेडिट खाते में मांग नोटिस के बाद जमा किया गया	रू0 37141480.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग नोटिस के अनुसार दिनांक 31.08.2015	अ. रू0 47.00 लाख ब. रू0 4.70 लाख स. 0.50 लाख
4.	मैसर्स शिफा नर्सिंग होम, प्रोपराइटर: इसरार अहमद। प्लॉट नं0 बी-3 का भाग खसरा नं0 1282एम, रोशन नगर, सराय रोड, ग्राम- एवं परगना ज्वालापुर, हरिद्वार।	नर्सिंग होम स्थित प्लॉट नं0 बी-3 खसरा नं0 1282एम, ज्वालापुर, हरिद्वार। क्षेत्रफल 149.48 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी इसरार अहमद।	रू0 27,42,538.00 + ब्याज एवं खर्चे के अनुसार दिनांक 30.09.2017	अ. रू0 44.00 लाख ब. रू0 4.40 लाख स. 0.50 लाख
5.	मैसर्स लक्ष्मी ऑटो इंजीनियरिंग, प्लॉट नं0 14, सेक्टर-7, IIE, सिडकुल पंत नगर, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) प्रो. 1. राज शेखर, श्री ऐरावत, 2. श्रीमती संगीता ऐरावत (गारंटर)	फैक्टरी भूमि व भवन, प्लॉट नं0 14, सेक्टर-7, IIE, सिडकुल, सम्पत्ति स्वामी लक्ष्मी ऑटो इंजीनियरिंग। क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर पंत नगर, रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)	रू0 4.40 करोड़ + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग नोटिस के अनुसार दिनांक 31.08.2015	अ. रू0 93.00 लाख ब. रू0 9.30 लाख स. 0.50 लाख
6.	मैसर्स लक्ष्मी मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (1) प्लॉट नं0 52 व 53, सेक्टर-6, IIE, सिडकुल, पंत नगर, जिला- उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, (2) प्लॉट नं0 246 1/5, मिले स्टोन, खडसा रोड, गुड़गांव। 1. दया शंकर शर्मा (डायरेक्टर), 2. श्री उमेश शर्मा (डायरेक्टर), 3. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा (गारन्टर), 4. श्री गौरव शर्मा (गारन्टर)	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड फैक्टरी भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं0 52 व 53, सेक्टर-6, IIE, सिडकुल, पंत नगर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड। माप क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स लक्ष्मी मेटल कास्टिंग प्रा0 लि0. रू0 89137341.00, क्रेडिट खाते में दिनांक 05.09.2 16 मांग नोटिस के बाद जमा किया गया	रू0 89137341.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग नोटिस के अनुसार दिनांक 02.01.2016	अ. रू0 265.00 लाख ब. रू0 26.50 लाख स. 0.50 लाख

ई-नीलामी की तिथि व समय : **14.01.2020** (प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 03.30 बजे तक) 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
बैंक में ईएमडी एवं अन्य कागजात जमा करने की अंतिम तिथि व समय: **13.01.2020** को सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी के लिए सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : **06.01.2020** को दोपहर 02.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच, संपर्क व्यक्ति शाखा के फोन नं0 8451948028, 8527817778, 0135-2720081, 2720082 पर संपर्क कर सकते हैं।
दिनांक: 24.12.2019 स्थान - देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
एआईजी बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74140DL2013PTC249122)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : गोपाल फार्मस, बी-15, असोला, छत्तरपुर, दिल्ली-110074 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु बृहस्पतिवार, 28 नवंबर, 2019 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय गोपाल फार्मस, बी-15, असोला, छत्तरपुर, दिल्ली-110074 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते एआईजी बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
अलोक बोस (निदेशक)
दिनांक: 24 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 06522585

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
सिग्नेचरग्लोबल कोमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899HR2002PTC057016)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ग्राउंड फ्लोर, टॉवर-ए, सिग्नेचर टॉवर, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122001 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में बदलने हेतु मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, टॉवर-ए, सिग्नेचर टॉवर, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122001 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते सिग्नेचरग्लोबल कोमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
रवि अग्रवाल (निदेशक)
दिनांक: 24 दिसम्बर 2019
स्थान: गुड़गांव
डीआईएन: 00203856

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
वेस्टर्न एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U36100DL1995PTC064334)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : जी-23, एस/एफ, प्लॉट नं. 8, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में बदलने हेतु बृहस्पतिवार, 13 जून, 2019 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जी-23, एस/एफ, प्लॉट नं. 8, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते वेस्टर्न एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
इरफान खान (निदेशक)
दिनांक: 24 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 08169611

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
एस ए सी पी कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1985PTC021845)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी-135, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली-110052 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय सी-135, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली-110052 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते एस ए सी पी कम्पोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
अरविंद सुनेजा (निदेशक)
दिनांक: 24 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 01156466

फॉर्म सं. आईएनसी-26
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशालय, उत्तरी क्षेत्र
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
सुपर मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 620, रिंग रोड मॉल, 6 फ्लोर, मंगलम पैलेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में है के मामले में .....याचिकाकर्ता
एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पं0 दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय 620, रिंग रोड मॉल, 6 फ्लोर, मंगलम पैलेस, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 पर भेजी जानी चाहिए:-
कृते और उनकी ओर से
कृते सुपर मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(दीपक कर्णानी)
निदेशक (DIN: 00754773)
आर/ओ: 183, इंजीनियर एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
द करूर वैस्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड करोलबाग, नई दिल्ली-110005
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जारी
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.9.2019 जारी कर ऋणधारकों (1) मै. जेएसएस ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजी. कार्यालयः एच नं. 14 एवं 15, 1ला तल, ब्लॉक-सी, पॉकेट-4, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली-110085; ख) श्री हेमन्त कौशिक, पुत्र श्री निरंजन लाल कौशिक, निवासीः 2236, गली अनार, किनारी बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली-110006; ग) श्री पवन कुमार, पुत्र श्री भगवान शर्मा, निवासीः आरजेड-1101 बी/9, गली नं. 12, साध नगर (दक्षिण पश्चिम दिल्ली), पालम, नई दिल्ली-110045; घ) श्री सुनील कुमार शर्मा, पुत्र श्री नरेन्दर कुमार शर्मा, निवासीः मकान सं. 1652/9, काठमंडी, वार्ड नं.2, रेवाड़ी-123401 (हरियाणा) तथा श्रीमती निर्मला देवी, पत्नि श्री भगवान शर्मा, निवासीः आरजेड-1101 बी/9, गली नं. 12, साध नगर (दक्षिण पश्चिम दिल्ली), पालम, नई दिल्ली-110045; को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,03,66,297.74 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख छियासठ हजार दो सौ सत्तानवे तथा पैसे चौहत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 3,03,66,297.74 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख छियासठ हजार दो सौ सत्तानवे तथा पैसे चौहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
1652/9, काठ मंडी, माप लगभग 350 वर्ग याईस, रेवाड़ी, हरियाणा में निर्मित सम्पूर्ण आवासीय सह व्यावसायिक सम्पत्ति, चौहद्दीः
उत्तरः श्री जीतेन्द्र की दुकान **दक्षिणः** जय नारायण की सम्पत्ति
पूर्वः ज्ञान चंद बतला की सम्पत्ति, **पश्चिमः** रोड काठ मंडी
तिथिः 24.12.2019
स्थानः रेवाड़ी
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
(पूर्व में धानुका कर्मशियल लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: 523-ए,सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
CIN: L30007DL1994PLC260191 | दूरभाष: 011-26171326 |
info@dhanukacommercial.com | www.moneyboxxfinance.com |
विशेष सामान्य साधारण बैठक एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना
एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की विशेष सामान्य साधारण बैठक ("ईजीएम") शुक्रवार, जनवरी 17, 2020 को प्रातः 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय: 523-ए,सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 में दिनांक दिसम्बर 20, 2019 की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी।
एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ, एवं उपस्थित पर्ची सभी सदस्यों, जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनीज/डिपाजटरीज भागीदार के पास पंजीकृत थे, को भेज दी गई हैं।
ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.moneyboxxfinance.com पर उपलब्ध हैं। ईजीएम की सूचना एवं उपस्थित पर्ची सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमति माध्यम से भेज दी गई हैं। ईजीएम की सूचना को भेजने का कार्य दिसम्बर 23, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
एजीएम में व्यवसाय निष्पादन हेतु प्रसांगिक दस्तावेज सम्बन्धित मदों के साथ निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य दिवसों के अन्दर ईजीएम की तिथि एवं ईजीएम में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक उपलब्ध हैं।
कट ऑफ तिथि (शुक्रवार, जनवरी 10, 2020) को भौतिक अथवा डिमैट्रीलाइज रूप में शेयरधारित सदस्य अपना मत इलेक्ट्रानिकली एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय निष्पादन हेतु सेन्ट्रल डिपाटरीज सर्विसेस लिमिटेड (सीएसडीएल) के इलेक्ट्रानिक वोटिंग माध्यम द्वारा एक स्थान से ईजीएम स्थल के अलावा वोट कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
i. ईजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय निष्पादन को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग;
ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, जनवरी 14, 2020 प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से प्रारम्भ होगी;
iii. रिमोट ई-वोटिंग वीरवार, जनवरी 16, 2020 सायं 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी;
iv. ईजीएम में इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा अथवा ईजीएम में वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि शुक्रवार, जनवरी 10, 2020 है;
v. कट ऑफ तिथि शुक्रवार, जनवरी 10, 2020 को शेयर्स धारित किसी भी व्यक्ति जिसने ईजीएम की सूचना को भेजने के पश्चात् शेयर्स अर्जित किये हों और सदस्य बना हो वह लॉगइन-आईडी एवं पास वर्ड के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपना फोलियो न०/डीपी आईडी एवं क्लॉइन्ट आईडी न० का उल्लेख कर आग्रह कर सकता है फिर भी यदि वह शेयरधारक पहले से सीडीएसएल में रिमोट ई-वोटंग कि लिए पंजीकृत है तब वोट देने के लिए पहले वाली यूजर आईडी एवं पास वर्ड का प्रयोग कर सकता है।
vi. ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.moneyboxxfinance.com एवं साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
vii. ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) एवं ई-वोटिंग यूजर गाइड www.evotingindia.com पर सहायता भाग अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखकर अथवा 18002005533 के सहायता केन्द पर सर्म्पक कर सकते हैं।
बोर्ड के आदेसानुसार
कृते मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
हस्ता०/-
स्थान: नई दिल्ली राधिका गर्ग
तिथि: दिसम्बर 24, 2019 कम्पनी सचिव

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India Relationships beyond banking
बैंक ऑफ इंडिया
राज नगर शाखा
बी-8, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिये)
[देखें नियम 8 (1)]
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणधारकों तथा गारन्टरों के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर्स/ मार्टगैजर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुबंधित दर पर उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे एवं अनुषांगिक चार्जेज आदि जो ऋणधारक के समक्ष वर्णित हैं, के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ इंडिया, राजनगर शाखा, बी-8, आरडीसी, राजनगर,गाजियाबाद (उ.प्र.) के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक/ गारन्टरों का नाम	अचल/ चल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	बकाया राशि (रुपये में)
मै. अमन मेडिकल स्टोर (प्रॉप. श्री प्रवीण कुमार पुत्र रघुवीर सिंह) (ऋणधारक)	आर-237, नंद ग्राम, गाजियाबाद (उ.प्र.), एरिया 26.78 वर्ग मी. में स्थित इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 238, दक्षिणः 4.57 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः 4.57 फीट चौड़ा रोड, पूर्वः 9.14 फीट चौड़ा रोड	26.8.2019	20.12.2019	उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज, लागतों, खर्चे एवं उस पर अन्य चार्जेज के साथ 26.8.2019 को रु. 9,98,550.30 (रुपये नौ लाख अन्ठानवे हजार पांच सौ पचास एवं पैसे तीस मात्र)
मै. आर. अधाना एण्टरप्राईजेज (प्रॉप. श्री राज कुमार, पुत्र श्री हरवीर सिंह) (ऋणधारक) श्रीमती शकुन्तला, पत्नी श्री हरवीर सिंह (गारन्टर)	प्लॉट नं. 58, खसरा नं. 161, आकाश नगर, ग्राम इन्दरगढ़ी, ग्राम एवं परगणा डासना, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्यामा की सम्पत्ति, पश्चिमः 20 फीट चौडा रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 59, दक्षिणः प्लॉट नं. 57	4.10.2019	20.12.2019	उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज, लागतों, खर्चे एवं उस पर अन्य चार्जेज के साथ 4.10.2019 को रु. 22,37,968.04 (रुपये बाईस लाख सैंतीस हजार नौ सौ अडसठ तथा पैसे चार मात्र)

तिथिः 20.12.2019 स्थानः गाजियाबाद हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

www.readwhere.com

मनु और अनीश को स्वर्ण पदक

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर वर्ग के खिताब जीते

भोपाल, 24 दिसंबर (भाषा)।

17 साल की मनु मंगलवार को चार स्वर्ण पदक (सीनियर और जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में) जीते। *वह* प्रतियोगिता में पहले ही दो स्वर्ण जीत चुकी थी। *उन्होंने* खिताबी जीत के दौरान राष्ट्रीय क्वालीफिकेशन रेकार्ड की बराबरी भी की।

राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन मनु भाकर और अनीश भानवाला ने मंगलवार को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपिनशिप की क्रमशः महिला 10 मीटर एयर पिस्टल और पुरुष 25 मीटर रेपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में सीनियर और जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीते।

हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रही 17 साल की मनु मंगलवार को चार स्वर्ण पदक (सीनियर और जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में) जीते। वह प्रतियोगिता में पहले ही दो स्वर्ण जीत चुकी थी। उन्होंने खिताबी जीत के दौरान राष्ट्रीय क्वालीफिकेशन रेकार्ड की बराबरी भी की।

मनु के राज्य के साथी 17 साल के अनीश ने भी सीनियर और जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया। भारत के लिए तोक्यो ओलंपिक के 15 कोटे में से एक हासिल करने वाली मनु ने क्वालीफिकेशन में 588 अंक के साथ दक्षिण एशियाई खेलों में अनु राज सिंह के राष्ट्रीय रेकार्ड की बराबरी की। उन्होंने इसके बाद आठ निशानेबाजों के फाइनल में 243 अंक के साथ खिताब जीता।

देवांशी धामा ने 237.8 अंक के साथ रजत जबकि तोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी सिंह देसवाल ने 217.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। अनीश ने 28 अंक के साथ रेपिड फायर फाइनल में राजस्थान के भावेश शेखावत को पछाड़कर खिताब जीता।

भावेश ने 26 जबकि चंडीगढ़ के विजयवीर सिद्धू ने 22 अंक जुटाए। अनीश क्वालीफिकेशन में भी 582 अंक के साथ शीर्ष पर रहे।

केरल के खिलाफ फिटनेस साबित करेंगे बुमराह

सूरत, 24 दिसंबर (भाषा)।

भारत के चोटी के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गुजरात और केरल के बीच बुधवार से शुरू होने वाले रणजी मैच में खेलेंगे जिसमें राष्ट्रीय टीम में वापसी से पहले उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा। बुमराह चोटिल होने के कारण सितंबर से ही बाहर हैं। सोमवार को उन्हें श्रीलंका और आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली क्रमशः टी20 और वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

चयनसमिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद भी केरल के खिलाफ इस मैच के दौरान उपस्थित रहेंगे। भारत के तीनों प्रारूपों में गेंदबाजी के अगुआ बुमराह आखिरी बार राष्ट्रीय टीम की तरफ से वेस्ट इंडीज में टैस्ट श्रृंखला में खेले थे। जमैका में दूसरे मैच में वह टैस्ट हैट्रिक लेने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले सप्ताह विशाखापत्तनम में दूसरे वनडे से पहले अभ्यास सत्र में पूरे प्रवाह में गेंदबाजी की जिससे उनकी वापसी की संभावना बनी।

बुमराह ने अभी तक 12 टैस्ट मैचों में 19.24 की औसत से 62 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनके नाम पर वनडे में 103 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 51 विकेट दर्ज हैं।

बुमराह की वापसी से गुजरात का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी मजबूत होगा। गुजरात ने अपने पहले मैच में हैदराबाद को आसानी से हराया था और उसके बाद यह उसका दूसरा मैच है। केरल ने पहले मैच में दिल्ली को ड्रा कराने का मौका दिया जबकि दूसरे मैच में उसे बंगाल से हार का सामना करना पड़ा था।

रणजी ट्राफी : रहाणे, साव के पास प्रभाव छोड़ने का मौका

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

टैस्ट विशेषज्ञ अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी साव को मुंबई और रेलवे के बीच आज शुरू होने वाले रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप बी मैच में प्रभाव छोड़ने का एक और मौका मिलेगा।

रहाणे बड़ौदा के खिलाफ मैच में रन नहीं बना पाए थे जिसे 41 बार के चैंपियन मुंबई ने 309 रन से जीता था। रहाणे लंबे समय बाद लगातार दो रणजी मैच में खेल रहे हैं और भारत ए टीम के साथ न्यूजीलैंड जाने से पहले उनके पास घरेलू सरजमीं पर बड़ा स्कोर खड़ा करने का यह अच्छा मौका होगा।

साव को भी न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में चुना गया है। उन्होंने डोपिंग के कारण आठ महीने का प्रतिबंध झेलने के बाद बड़ौदा के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर शानदार वापसी की। बल्लेबाज अपनी इस फार्म को बरकरार रखने को बेताब होंगे।

आइसीसी टैस्ट रैंकिंग चेतेश्वर पुजारा ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा

कोहली शीर्ष पर, रहाणे सातवें स्थान पर खिसके

दुबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली इस साल का अंत टैस्ट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज के रूप में करेंगे। जबकि अजिंक्य रहाणे आइसीसी की ताजा विश्व रैंकिंग में एक पायदान नीचे सातवें स्थान पर खिसक गए हैं। कोहली के 928 रेटिंग अंक हैं और वह आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ से 17 अंक आगे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (864) साल का अंत नंबर तीन के रूप में करेंगे।

चेतेश्वर पुजारा (791) ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है लेकिन रहाणे सातवें स्थान पर खिसक गए हैं। उनकी जगह पाकिस्तान के बाबर आजम ने ली है। आजम ने श्रीलंका के खिलाफ कराची में दूसरे टैस्ट मैच में नाबाद शतक और 60 रन बनाए थे और वह तीन पायदान ऊपर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

भारत की तरफ से शीर्ष 20 में शामिल अन्य बल्लेबाजों में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (12वें) और रोहित शर्मा (15वें) शामिल हैं। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने छठा स्थान बरकरार रखा है। बुमराह चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला से ही बाहर हैं। गेंदबाजों की सूची में आस्ट्रेलिया के पैट कमिन्स शीर्ष पर हैं। टैस्ट आलराउंडरों की सूची में रविंद्र जडेजा वेस्ट इंडीज के जैसन होल्डर के बाद दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। आइसीसी विश्व टैस्ट चैंपियनशिप में भारत 360 अंक लेकर शीर्ष पर है। उसके बाद आस्ट्रेलिया (216), पाकिस्तान (80), श्रीलंका (80), न्यूजीलैंड (60) और इंग्लैंड (56) का नंबर आता है।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया : कोहली, धोनी दशक के टैस्ट व वनडे कप्तान

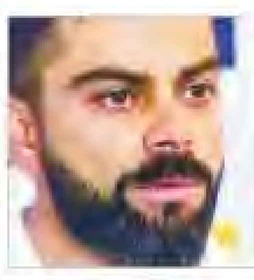

क्रिकेट आस्ट्रेलिया की आधिकारिक समाचार वेबसाइट ने विराट कोहली को दशक की टैस्ट एकादश का कप्तान चुना है जबकि दशक की एकदिवसीय टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी है। कोहली को टैस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों की टीमों में जगह मिली है। वह अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक जड़ चुके हैं और केवल सचिन तेंदुलकर (100) और रिकी पोंटिंग (71) से पीछे हैं।

राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना प्रेरणा रहा : सूर्यकुमार

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

इस साल सभी छोटे प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने वाले मुंबई के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने स्वीकार किया कि सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की प्रेरणा से ही उन्होंने खेलना जारी रखा। कई बार वर्तमान में जीना मुश्किल भी होता था। सूर्यकुमार को न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए सात साल बाद भारत ए टीम में चुना गया है। यादव मुंबई रणजी टीम के कप्तान भी हैं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'हां मेरा लक्ष्य भारत की तरफ से खेलना ही था।'

पंत के अच्छे बैकअप विकल्प हैं कैरी : पोंटिंग

मेलबर्न, 24 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग का मानना है कि आइपीएल नीलामी में हाल में खरीदे गए एलेक्स कैरी चौथे नंबर पर खेलते हुए टीम को काफी मैच जिता सकते हैं। वह विकेटकीपर ऋषभ पंत के अच्छे बैकअप विकल्प हैं।

'क्रिकेट.काम.एयू' ने पोंटिंग के हवाले से कहा, 'इस समय वह जो भूमिका निभा रहे हैं उसी के कारण उन्होंने मुझे और दिल्ली कैपिटल्स को प्रभावित किया।'

भारत- श्रीलंका टी-20 का टिकट 500 रुपए से

इंदौर, 24 दिसंबर (भाषा)।

मध्यप्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) ने भारत और श्रीलंका के बीच आगामी सात जनवरी को खेले जाने वाले टी-20 मैच के टिकटों की दरें घोषित कर दी हैं।

इस मैच के सबसे सस्ते टिकट के लिए दर्शकों को 500 रुपये खर्च करने होंगे। मुकाबले का गवाह बनने की इच्छा रखने वालों को सामान्य श्रेणियों की अलग-अलग दीर्घाओं के हरेक टिकट के लिए 500 से 4,920 रुपए तक चुकाने होंगे।

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष - 51/2019 दिनांक : 06.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 08.08.2019, मेमो नं.: ZP-1110/AD(RK)/2019/19109, हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: 51 of 2019 dated 09.09.2019
3. स्थान	सेक्टर 93, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 307 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी-सह-क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बालकनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	113	539.384	78.114	21,96,593.00	1,09,830.00	4,39,319.00
2BHK TYPE -03	120	594.916	70.849	24,15,088.50	1,20,754.00	4,83,018.00
2BHK TYPE -04	43	577.112	79.029	23,47,962.50	1,17,398.00	4,69,593.00
3BHK TYPE -01 (MQ)	31	641.351	120.32	26,15,404.00	1,30,770.00	5,23,081.00

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बालकनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स. • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Builders Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 17.01.2020. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालांकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

MEMBER

ORCHARD AVENUE 2
THE OASIS OF LIFE IN TOWN
SECTOR 93, GURUGRAM
UPSCALE

HAR PARIVAR EK GHAR

SIGNATURE BUILDERS PRIVATE LIMITED | CIN: U70101DL2011PTC220275
Regd. Office - 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER

AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF RS. 2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**

7053-121-121

indianexpress.com

I unearth the truth to stay unbiased.

Inform your opinion with credible journalism.

The Indian Express. For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 38, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com